भाखड़ा ब्यास
प्रबन्ध बोर्ड

# वार्षिक रिपोर्ट
# 2019-2020

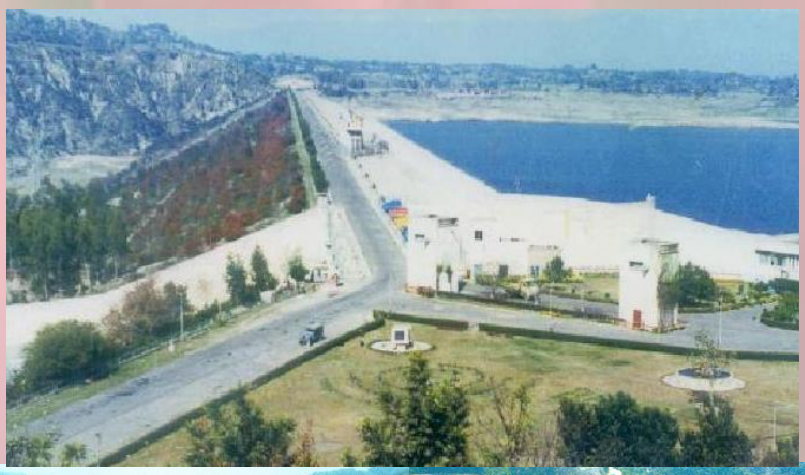

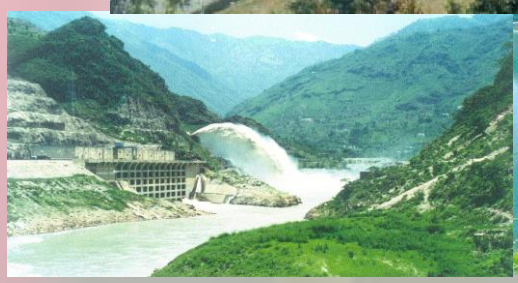

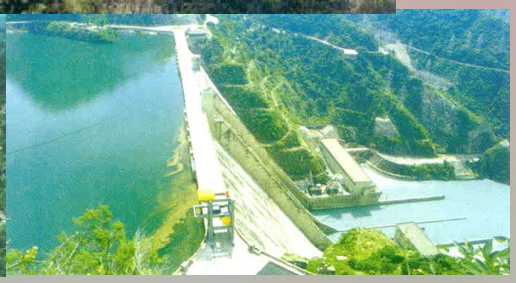

## भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

भाखड़ा ब्यास
राष्ट्र गौरव

# 47 वीं वार्षिक रिपोर्ट

# 47th Annual Report
# 2019-2020

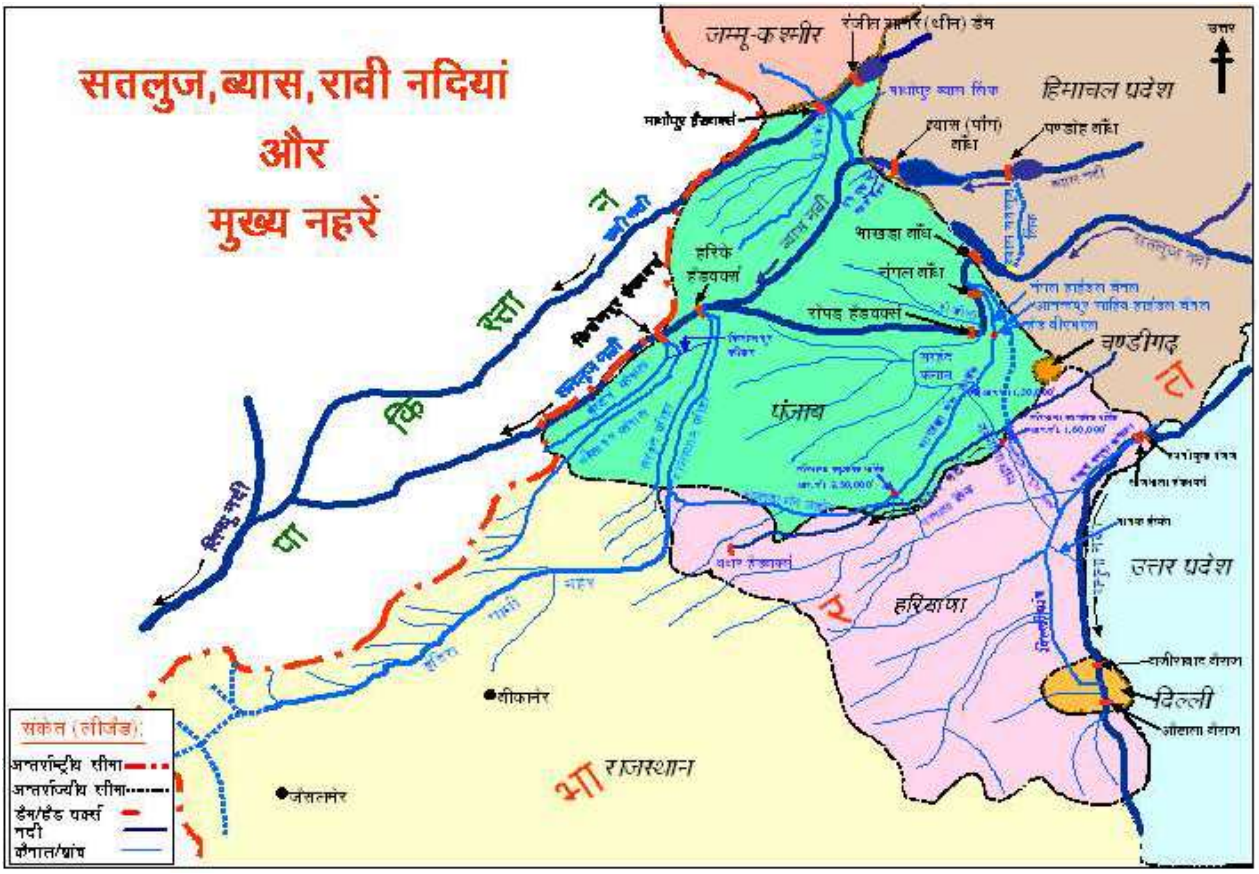


# भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

## Bhakra Beas Management Board

Bhakra Beas
Nation's Pride

# VALUES

Discipline-Hardwork-Operational Excellence
and
Professionalism
अनुशासन-कठिन परिश्रम परिचालन श्रेष्ठता
और व्यावसायिक्ता

# MISSION

To keep our systems running
efficiently at the minimum cost.
हमारी प्रणालियों को न्यूनतम लागत पर दक्षतापूर्वक
चालू रखना

# VISION

**To lead and be a trendsetter in Power Sector by establishing high standards in Operation & Maintenance, Renovation & Modernisation of Hydel Projects, Transmission System availability, Canal Systems and by exploiting new Hydro Power Potential with optimal utilization of existing infrastructure and resources.**

जल विद्युत परियोजनाओं, पारेषण, नहर प्रणालियों के परिचालन एनं अनुरक्षण तथा नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण में और विद्यामान मूलभूत ढांचे तथा संसाधनों के सर्वोतम उपयोग के लिए नई जल विद्युत अंतः शक्ति का लाभ उठाने के लिए उच्च मानको की स्थापना में विद्युत क्षेत्र में अग्रणी रहना और एक ट्रेंड सैटर बनना ।

भाखड़ा ब्यास
राष्ट गौरव

**भाखड़ा बांध का सामने/नीचे से दृष्य** ***Bhakra Dam – Downstream View***

"भाखड़ा नंगल परियोजना में कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ विस्मयकारी है, कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपके दिल में हिलोरें उठती हैं। भाखड़ा, पुनरुत्थानशील भारत का नवीन मन्दिर है और यह भारत की प्रगति का प्रतीक है"

**जवाहर लाल नेहरु**

***Bhakra Nangal Project is something tremendous, something stupendous, something which shakes you up when you see it. Bhakra, the new temple of resurgent India, is the symbol of India's progress."***

***- Jawahar Lal Nehru***

## वर्ष 2019-2020 के दौरान बोर्ड के सदस्य

**अध्यक्ष**

| | |
|---|---|
| इंजी. डी.के.शर्मा | 01.04.2019 से 31.03.2020 |

**सदस्य/प्रतिनिधि**

**भारत सरकार**

| | |
|---|---|
| श्री पी.के.सक्सेना | 01.04.2019 से 31.03.2020 |
| श्री अनिरूद्धा कुमार | 01.04.2019 से 31.03.2020 |

**भागीदार राज्य**

**पंजाब**

| | |
|---|---|
| श्री सरवजीत सिंह | 01.04.2019 से 23.12.2019 |
| श्री ए.वेनू प्रसाद | 23.12.2019 से 31.03.2020 |

**हरियाणा**

| | |
|---|---|
| श्री अनुराग रस्तोगी | 01.04.2019 से 29.11.2019 |
| श्री देवेन्द्र सिंह | 29.11.2019 से 31.03.2020 |

**राजस्थान**

| | |
|---|---|
| श्री नवीन महाजन | 01.04.2019 से 31.03.2020 |

**हिमाचल प्रदेश**

| | |
|---|---|
| श्री प्रबोध सक्सेना | 01.04.2019 से 01.01.2020 |
| श्री राम सुभाग | 01.01.2020 से 31.03.2020 |

**सदस्य/सिंचाई**

| | |
|---|---|
| श्री गुलाब सिंह नरवाल | 01.04.2019 से 31.03.2020 |

**सदस्य/विद्युत**

| | |
|---|---|
| श्री हरमिन्द्र सिंह | 01.04.2019 से 31.03.2020 |

## 1.1 बीबीएमबी-उत्पत्ति

- भाखड़ा-नंगल परियोजना का कार्य स्वतंत्रता के तुरंत बाद तत्कालीन पंजाब एवं राजस्थान राज्यों के संयुक्त सहयोग से शुरु किया गया ।
- पंजाब के पुनर्गठन के बाद, **भाखड़ा-नंगल** परियोजना के प्रशासन, परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अंतर्गत 1 अक्तूबर, 1967 को **भाखड़ा प्रबंध बोर्ड** का गठन हुआ था ।
- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबंधों के अनुसार **ब्यास परियोजनाओं** के कार्य **ब्यास निर्माण बोर्ड** को सौंपे गए थे । ब्यास परियोजनाओं के पूरा होने पर इन्हें **15 मई, 1976** को **भाखड़ा प्रबंध बोर्ड** को स्थानान्तरित कर दिया गया और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम , 1966 के उपबंधों के अनुसार इसका नाम बदल **कर भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड** कर दिया गया ।

## 1.2 कार्य

- भाखड़ा-ब्यास परियोजनाओं का प्रशासन, परिचालन एवं अनुरक्षण।
- भाखड़ा-ब्यास परियोजनाओं से पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों को जल आपूर्ति का नियमन।
- भाखड़ा-ब्यास परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति का नियमन।
- हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान राज्य की सरकारों के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य।
- भारत सरकार ने वर्ष 1999 में जल विद्युत परियोजनाओं तथा सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में इंजीनियरी और संबद्ध तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने और निष्पादन के अतिरिक्त कार्य सौंपे गए।
- विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22, अक्तूबर, 2019 के पत्र क्रं.5-4/1/2019-बीबीएमबी द्वारा 2 X 20 मेगवाट बग्गी विद्युत गृह के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य सौंपा गया ।

## 1.3 विद्युत खण्ड

### सामान्य समीक्षा

विद्युत खण्ड को बीबीएमबी के विद्युत घरों, पारेषण प्रणाली तथा प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) के प्रशासन, परिचालन एवं अनुरक्षण तथा परामर्शी सेवाओं का कार्य सौंपा गया है।

### अधिष्ठापित क्षमता

### (31.3.2020 की स्थिति अनुसार)

| विद्युत घर | क्षमता | मेगावाट |
|---|---|---|
| भाखड़ा (दायां किनारा) | 5x157 | 785 |
| भाखड़ा (बायां किनारा) | 2x108+3x126 | 594 |
| गंगूवाल | 1x27.99+2x24.20 | 76.39 |
| कोटला | 1x28.94+2x24.20 | 77.34 |
| देहर | 6x165 | 990 |
| पौंग | 6x66 | 396 |
| | **योग** | **2918.73** |

**रूफ टॉप सौर**

| स्थान | क्षमता (केडब्ल्यूपी) |
|---|---|
| चण्डीगढ़ | 175 |
| जमालपुर | 60 |
| जालंधर | 125 |
| दिल्ली | 80 |
| नरेला | 20 |
| गंगूवाल | 100 |
| भाखड़ा पीए सर्कल | 270 |
| भाखड़ा गैर आवासीय भवन | 260 |
| नंगल वर्कशाप | 320 |
| तलवाड़ा | 300 |
| **कुल अधिष्ठापित क्षमता** | **1710 केडब्ल्यूपी** |

## पारेषण प्रणाली

## (31.3.2020 की स्थिति अनुसार)

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेश-चण्डीगढ़ तथा दिल्ली तक फैली हुई बीबीएमबी पारेषण प्रणाली, उत्तर क्षेत्रीय पावर ग्रिड के साथ एकीकृत रुप में परिचालित होती है। बीबीएमबी की पारेषण प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं:-

| वोल्टेज स्तर | उप-केन्द्रों की संख्या | लाइन की लम्बाई (सर्किट किमी) |
|---|---|---|
| i) 400 केवी, | 03 | 573.95 |
| ii) 220 केवी, | 17 | 2993.54 |
| iii) 132 केवी, | 02 | 21.72 |
| iv) 66 केवी, | 02 | 115.50 |
| **योग** | **24** | **3704.71** |

**प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी)**

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) को चौबीस घंटे बीबीएमबी की पारेषण और उत्पादन सम्पति की निगरानी, परिचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है ।

## 1.4 सिंचाई खण्ड

### सामान्य समीक्षा

सिंचाई खण्ड को निम्नलिखित परियोजना घटकों के प्रशासन, अनुरक्षण तथा परिचालन का कार्य सौंपा गया है :

### I भाखड़ा-नंगल परियोजना

क) भाखड़ा बांध और जलाशय तथा संबद्ध कार्य, इसमें नंगल कार्यशाला तथा नंगल टाउनशिप चिकित्सालय, विद्यालय, विश्राम गृह इत्यादि शामिल हैं ।

ख) नंगल बांध तथा नंगल जल-विद्युत चैनल ।

### II ब्यास परियोजना

#### क) यूनिट-1 (बीएसएल परियोजना)

ब्यास सतलुज लिंक परियोजना, जिसमें पंडोह बांध, पंडोह-बग्गी सुरंग, सुन्दरनगर जल-विद्युत चैनल, संतुलन जलाशय, सुन्दरनगर-सतलुज सुरंग तथा संबंधित सिविल

कार्य तथा सुन्दरनगर और पण्डोह की टाउनशिप चिकित्सालय, विद्यालय, विश्राम गृह इत्यादि शामिल हैं ।

**ख) यूनिट-।। (पौंग स्थित ब्यास बांध)**

पौंग स्थित ब्यास बांध जिसमें जलाशय, आउटलेट कार्य, स्पिलवे तथा संबद्ध कार्य और तलवाड़ा टाउनशिप शामिल हैं ।

**राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना**

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड ने भाखड़ा तथा पौंग जलाशयों और नहर नैटवर्क के अधिकतम उपयोग के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान (अर्थात अल्पावधि 3 दिन और मध्यावधि 7 से 10 दिन) बाद पूर्वानुमान हेतु चण्डीगढ़ में अर्थ रिसीविंग स्टेशन (ईआरएस) स्थापित किया है, बीबीएमबी विश्व बैंक वित्त पोषित हाइड्रोलॉजी चरण-II परियोजना के अन्तर्गत देश का 'प्रथम प्रवर्तक' है।

## 2.1 बोर्ड की वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित बैठकें

**1 बोर्ड की दिनांक 17.08.2019 को आयोजित 232वीं बैठक**

**2. बोर्ड की दिनांक 20.12.2019 को आयोजित 233वीं बैठक**

**3. बोर्ड की दिनांक 05.03.2020 को आयोजित 234वीं बैठक**

## 2.2 बोर्ड की बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

### 2.2.1 बोर्ड की दिनांक 17.08.2019 को आयोजित 232वीं बैठक

**मद संख्या 232.03**

**संशोधित कार्यसूची दिनांक 21.09-2017 के बाद सामान्य पूल उपभोक्ताओं की आपूर्ति के लिए प्रशुल्क-तत्संबंधी स्पष्टीकरण।**

बोर्ड की 229वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वित्तिय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, बीबीएमबी द्वारा वर्तमान कार्यसूची बोर्ड के सामान्य पूल उपभोक्ताओं उनकी पृष्ठवभूमि, उनको आंबटित ऊर्जा के बारे में 229वीं बैठक से पूर्व और बाद के प्रशुल्क दरों के संशोधन का भागीदार राज्यों की पावर यूटिलिटीज पर वित्तिय प्रभाव संबंधी तालिकाबद्ध विस्तृत सूचना बोर्ड की सूचना के लिए उपलब्ध कराई गई । तदनुसार वित्तिय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, बीबीएमबी ने उक्त सूचना तालिका बद्ध रूप में प्रस्तुत की और प्रशुल्क संशोधन के कारण भागीदार राज्यों को हो रहे राजस्व की वार्षिक हानि के बारे में स्पष्ट किया।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सूचित किया इस कार्यसूची को दिनांक 20-02-2019 को आयोजित 231वीं बैठक में सदस्यों को पीएसपीसीएल और आरआरवीपीएनएल के सभी बकाया राशि के बारे में अवगत कराने के लिए लाया गया था।

सदस्य (हरियाणा) ने सामान्य पूल उपभोक्ता को इस दर पर आपूर्ति रोकने का प्रश्न उठाया और भारी प्रशुल्क होने के कारण इन्हें विद्युत खरीदनी पड़ती है। तदनुसार हरियाणा बोर्ड की बैठक में कार्यसूची प्रस्तुत करेगा ।

आर.आर.वी.पी.एन.एल, के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि बीबीएमबी द्वारा निकाली गई ऊर्जा बकाया राशि में अंतर है। अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सुझाव दिया कि आर.आर.वी.पी.एन.एल की टीम बीबीएमबी अधिकारियों के साथ बैठे और आकड़ों का मिलान करे।

विचार-विमर्श के उपरांत निम्न लिखित निर्णय लिए गए:-

1. बीबीएमबी के सुचारू काम-काज हेतु पीएसपीसीएल बकाया राशि को तुरन्त जारी करेगा।
2. आरआरवीपीएनएल, बीबीएमबी के साथ विद्युत/बकाया राशि के आंकड़ों का मिलान करेगा और बकाया राशि को प्राथमिकता के आधार पर जारी करेगा।

**<u>मद संख्या 232.04</u>**

**400 केवी उप केन्द्र भिवानी में क्रय आदेश संख्या -1646/पीएंडडी (टीएस) दिनांक 16-02-2001 के द्वारा खरीदा गया सीजीएल मेक 400 केवी एस एफ़-6 सर्किट ब्रेकर (एक्स-2) क्रम संख्या -14263-सी के क्षतिग्रस्त होने के कारण हानि को बट्टे खाते में डालना।**

विशेष सचिव, बीबीएमबी ने कार्यसूची का संक्षिप्त ब्यौरा दिया।

विचार-विमर्श उपरांत बोर्ड द्वारा निम्न अनुमोदित किए गए:-

1. 400 केवी उप केन्द्र, बीबीएमबी भिवानी के 400 केवी **सर्किट** ब्रेकर, एक्स-2 के क्षतिग्रस्त होने के कारण हुई हानि रूपये 1585092/- की राशि को बट्टे खाते में डाला गया।
2. डब्ल्यूटीएम के परामर्श पर अध्यक्ष को 5 लाख से ऊपर के भण्डारों के अपरिवर्तनीय मूल्य उपकरण तथा आर्टिकल इत्यादि को ब़ट्टे खाते में डालने की स्वीकृति जारी करने की शक्तियां प्रदान करना। तथापि इस प्रकार के सभी मामलों को बोर्ड के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

**<u>मद संख्या 232.05</u>**

**एनएचएआई द्वारा 400/220/132/66 केवी की बीबीएमबी की पारेषण लाइनों को बदलने/उनकी ऊँचाई बढ़ाने का कार्य करने के लिए पर्यवेक्षण प्रभारों को संशोधित करने हेतु संशोधित कार्य सूची।**

विशेष सचिव ने कार्यसूची का संक्षिप्त विवरण दिया।

सदस्य (हरियाणा) ने इच्छा व्यक्त की कि ऐसे मामलों में मानक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सूचित किया कि एनएचएआई से पीएमओ में बैठक से पूर्व (जैसा की सूची में उल्लेखित है) प्रभार पर्यवेक्षण के मामले पर भारत सरकार के सचिव, विद्युत के समक्ष 'प्रगति' से संबंधित चर्चा की गई थी कि इस प्रकार के पर्यवेक्षण प्रभार को 2.5% की दर से सीमित किया जाए जैसा कि सड़क परिवहन तथा मुख्य मार्ग मंत्रालय और भारत माला परियोजना फ़ेज-1 के अंतर्गत एनएचएआई के लिए भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए है। तदनुसार बीबीएमबी ने एनएचएआई के 02 नं. डिपाजिट कार्यो के संबंध में 2.5% पर्यवेक्षण प्रभार लिया। (पत्र दिनांक 5-9-2018 तथा 30-10-2018 द्वारा स्वीकृति जारी की गई कार्यसूची में संदर्भित)

विचार-विमर्श उपरांत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित अनुमोदित किया गया:-

**क)** परियोजना के अनुमान/कुल लागत पर (फसल का कम मुआवजा और भूमि लागत) + माल निरीक्षण प्रभार + कार्य स्थल दौरा प्रभार + लागू कर कार्यों के लिए एनएचएआई से करों के रूप में लागू (स्वंय निष्पादन योजना के अंतर्गत)

2.5% पर्यवेक्षण प्रभार लगाया जाए। यदि टाटा डिजाइन टावर का उपयोग किया जाता है, तो एनएचएआई पर टाटा टावर डिज़ाइन प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

**ख)** विशेष सचिव, बीबीएमबी, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 30377-80/बी-1547/टीएस/3पर दिनांक 05-09-2018 तथा पत्र क्रमांक 37183-86 एवं 37203-205 दिनांक 30-10-2018 अनुमोदन की पुष्टि की गई।

**<u>मद संख्या 232.06</u>**

**100.60 लाख के प्रतिपूरक भत्ते का भुगतान-ऑडिट पैरा।**

विशेष सचिव, बीबीएमबी ने कार्यसूची का संक्षिप्त विवरण दिया। आगे उन्होंने बीबीएमबी में दिए गए प्रतिपूरक भत्तो, हार्डशिप भत्तो तथा हाइडल भत्तो का विवरण दिया।

सदस्य (हरियाणा) ने पूछा कि प्रतिपूरक भत्तो और हार्डशिप भत्तो को क्यों नहीं मिलाया जा सकता।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने इन भत्तों को दिए जाने के कारण बताए।

सदस्य (भारत सरकार) ऊर्जा मंत्रालय का विचार था कि इतनी देरी के बाद यदि कोई भत्ता बंद किया जाता है तो यह कार्मिकों में रोष उत्पन्न करेगा।

विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया:-

i) प्रतिपूरक भत्तो को, भाखड़ा प्रतिपूरक भत्ता, तलवाड़ा प्रतिपूरक भत्ता, सुन्दरनगर प्रतिपूरक भत्ता के रूप में दिया जा रहा है, तथा इसे वर्तमान प्रावधानों के अनुसार जारी रखा जाए और लेखा परीक्षा प्राधिकारी को तदनुसार सूचित किया जाए।

ii) इसके अतिरिक्त 143वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बीबीएमबी में अपनाए गए पीएसईबी (अब पीएसपीसीएल) के भत्तें/रियायतें बीबीएमबी द्वारा 143वीं बैठक से पहले दिए जा रहे भत्ते/रियायतें जारी रखी जाए।

iii) बोर्ड ने दिनांक 01-12-2018 से नरेला में दिए जा रहे हार्डशिप भत्ते को नोट किया।

**<u>मद संख्या 232.07</u>**

**हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिले में पण्डोह बांध के डाउनस्ट्रीम में थाना प्लोन हाइड्रो विद्युत परियोजना (191 एम डब्ल्यू) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र।**

सचिव, बीबीएमबी ने कार्यसूची के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने आगे उल्लेख किया कि बीबीएमबी पहले ही इस परियोजना के निर्माण की अनुमति एचपीसीएल को दे चुका है। हालांकि सीडब्ल्यूसी ने इस परियोजना के लिए अनुमोदन इस शर्त पर दिया है कि बीबीएमबी सचिवालय यह सुनिश्चित करेगा कि 1981 के समझौते के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के जलाशय से वार्षिक

वाष्पीकरण के नुकसान के कारण उपयोग के रूप में 38 एमसीएम (3.45 क्यूसेक) जल का हिमाचल द्वारा उपयोग करने में भागीदार राज्यों को आपति नहीं है। आगे उन्होंने बताया कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के मण्डी कस्बे के लगभग 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम पर ब्यास नदी की परियोजना पर स्टोरेज-कम रन ऑफ के रूप में है और पौंग जलाशय के 100 किलोमीटर की अपस्ट्रीम में गैर क्षयी उपयोग के लिए है। उन्होंने आगे सदस्यों को अवगत कराया कि यह परियोजना 20 एमसीएम गाद को रोकेगी तथा अवसादन के उपरांत यह 20-25 एमसीएम जल को भण्डारण करेगा। यह परियोजना पौंग जलाशय की भंडारण क्षमता को बढ़ाएगी और अवसादन को रोकने में भी मदद करेगी। आगे उन्होंने सूचित किया कि पौंग जलाशय में जहां पानी की मात्रा समान है और जहां जलाशय का क्षेत्र बड़ा और औसत तापमान तुलना में अधिक रहता है, की तुलना में इस जलाशय में पानी का भंडारण कम होगा जिससे 3.08 एमसीएम (3.45क्यूसेक) कम वाष्पीकरण होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया जल विद्युत परियोजनाओं को पानी का गैर क्षयी उपयोग करने वाला माना जाता है।

विचार-विमर्श उपरांत हिमाचल प्रदेश के मण्डी शहर के निचले हिस्से थाना प्लोन जल विद्युत परियोजना (191 मेगावाट) को अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु बोर्ड की सहमति हुई।

**<u>मद संख्या 232.08</u>**

**बांध की पुर्नरूत्थान और सुधार परियोजनाएं (डीआरआईपी)।**

सचिव, बीबीएमबी ने कार्यसूची का संक्षिप्त वर्णन किया। उन्होंने आगे सूचित किया कि 230 करोड़ की राशि डीआरआईपी के तहत निम्नलिखित परियोजनाएं सीडब्ल्यसी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है:-

1. गोविन्द सागर जलाशय में अवसाद प्रबंधन।
2. भाखड़ा बांध की फाउन्डेशन गैलरियों में आद्रता स्तर को नियंत्रित करना।
3. भाखड़ा और पोंग बांध में बांध क्षतिग्रस्त होने के कारण बाढ़ का मानचित्रण।
4. पोंग बांध की एसएआर (सिंथेटिक एपर्चर रडार) सेटलाइट द्वारा निगरानी और
5. भाखड़ा और पोंग बांध के कैचमेंट क्षेत्र का सुधार।

सचिव, बीबीएमबी ने सूचित किया कि वित्त पोषण 50:50 के अनुपात में किया जाएगा और उक्त सूची को बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल और सीडब्ल्यूसी के साथ परामर्श करके संशोधित किया जाएगा। उन्होंने सूचित किया कि 'भाखड़ा और पोंग बांध के क्षतिग्रस्त होने के कारण बाढ़ के मानचित्रण' का परियोजना अध्ययन बीबीएमबी द्वारा पहले ही किया जा चुका है, उन्होंने आगे सूचित किया कि उक्त प्रस्ताव महत्वपूर्ण है क्योंकि बीबीएमबी के बांध दिन-प्रतिदिन पुराने होते जा रहें हैं। इसलिए यह अतिआवश्यक है कि इनको अनुरक्षित किया जाए।

सदस्य (हरियाणा) ने ऋण (प्रस्तावित रूपये 230 करोड़ के लिए बीबीएमबी का 50%) पर बीबीएमबी द्वारा दिए जाने वाली ब्याज दर के बारे में पूछा। यह सूचित किया गया कि वास्तवित ब्याज दर उपलब्ध नहीं है जैसे ही यह उपल्बध होती है तदनुसार बोर्ड को सूचित कर दिया जाएगा। आगे यह स्पष्ट किया गया कि वर्ल्ड बैंक द्वारा दिए गए ऋण पर जो ब्याज दर बीबीएमबी पर लागू होगी वह डीआरआईपी परियोजनाओं में भाग लेने वाले सभी 18 राज्यों पर लागू होगी। इस ऋण पर जल शक्ति, मंत्रालय के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।

विचार-विमर्श उपरांत बोर्ड ने डीआरआईपी परियोजनाओं पर कार्रवाई की अनुमति दे दी।

**<u>मद संख्या 232.09</u>**

**प्रस्तावित भानुपली-बिलासपुर बेरी नई रेलवे परियाजना और बिलासपुर में रेलवे स्टेशन के लिए बीबीएमबी की भूमि के प्रयोग के लिए अनापति प्रमाण-पत्र ।**

सचिव ने कार्यसूची के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया।

उन्होंने आगे सूचित किया कि संयुक्त निरीक्षण और विचार-विमर्श के बाद आरवीएनएल दो स्थानों जहां उन्हें नींव के निर्माण के लिए नीचे जाने की आवश्यकता है, के अलावा आरएल 1690 फीट तक भूमि की आवश्यकता को छोड़ने को राजी हो गया।

आरवीएनएल द्वारा बीबीएमबी का जो क्षेत्र उपयोग में लाया जाएगा वह लगभग 149.65 बीघा होगा।

विचार-विमर्श उपरांत, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को 16 स्थानों पर बीबीएमबी की भूमि कार्यवृत्त नोट में उल्लेख के अनुसार निश्चित नियम और शर्तो और आरवीएनएल द्वारा बीबीएमबी भूमि के प्रयोग करने पर रॉयल्टी का भुगतान करने के आधार पर अनापति प्रमाण पत्र देने को सहमत हुआ।

**<u>मद संख्या 232.011</u>**

**बीबीएमबी में संविदात्मक कर्मचारियों की नीति में छूट।**

सचिव, बीबीएमबी ने कार्यसूची का संक्षिप्त विवरण दिया।

विचार-विमर्श उपरांत विशेष सचिव, बीबीएमबी के कार्यालय आदेश क्रमांक 188/पीडी-3201/एपीडी-4 दिनांक 06-06-2014 द्वारा बीबीएमबी में सविदात्मक कर्मचारियों के लिए जारी की गई नीति के बिन्दु नं.5 पर दी गई शर्त में निम्नानुसार संशोधन का अनुमोदन किया:-

'संविदात्मक रोजगार के लिए उन कार्मिकों पर विचार किया जाएगा जिसने बीबीएमबी से सेवानिवृत होने से पूर्व उसी पद पर या उससे उच्चतर पद पर कम से कम एक वर्ष कार्य किया हो तथा बीबीएमबी में किसी भी अन्य पद पर 02 वर्ष तक कार्य किया हो। जबकि हिन्दी अनुवादकों के मामले में बीबीएमबी से सेवानिवृत होने वाले सभी कर्मचारी या सरकारी विभागों/पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ के पीएसयूज

अथवा अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर केन्द्र सरकार से सेवानिवृत कर्मचारियों को, जिनके पास कम से कम एक वर्ष हिन्दी अनुवादक के पद पर कार्य अथवा अपने पैतृक विभाग में उच्च पद पर अथवा हिन्दी में स्नातकोत्तर की उपाधि हो, उसे अनुबंध आधार पर रोजगार हेतु विचार किया जाएगा।

**मद संख्या 232.12**

**पंजाब सीएसआर के अनुसार आरम्भिक वेतनमान + अंतरिम राहत के अतिरिक्त 10900-34800+ ग्रेड पे 5450 के वेतनमान वाले मैरिंन फिटर को प्रतिपूरक भत्ता अनुदान ।**

निदेशक/सुरक्षा ने कार्यसूची का संक्षिप्त विवरण दिया । आगे यह उल्लेख किया कि बोर्ड की 230वीं बैठक में अध्यक्ष बीबीएमबी को ड्रेजर आपरेटर ग्रेड-। व ग्रेड-।। की परिवीक्षा अवधि के दौरान क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

विचार-विमर्श के उपरांत बोर्ड ने परिवीक्षा अवधि के दौरान विशेष मामले में मैरिन फिटर को आरभिक वेतमान+अंतरिम राहत (पंजाब सीएसआर के अनुसार) के अतिरिक्त 30000/- रूपये प्रतिमाह (अनुबंध एम-6 के अनुसार) प्रतिपूरक भत्ता प्रदान करने की अनुमति दी। परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरान्त और नियमित वेतनमान दिए जाने पर इसे बंद कर दिया जाएगा।

**मद संख्या 232.13**

**भागीदार राज्यों के कर्मचारियों द्वारा बीबीमएबी में आहरित अंतिम वेतन के आधार पर पैंशन लाभ प्राप्त करने हेतु दायर किए जा रहे कोर्ट केसों के बारे में।**

सचिव, बीबीएमबी ने कार्य सूची का विवरण प्रस्तुत किया । बोर्ड के सदस्यों ने कार्य सूची में दी गई स्थिति को नोट किया और राजस्थान की तर्ज पर बीबीएमबी से उनके कर्मचारियों के प्रत्यावर्तन हेतु नीति तैयार करने के लिए सहमत हुए ।

**मद संख्या 232.15**

**बीबीएमबी में परामर्शदाता की नियुक्ति के संबंध में सचिव, बीबीएमबी ने कार्यसूची का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया ।**

विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड ने बीबीएमबी को समय-समय पर अपेक्षित क्षेत्रों में 02 परामर्शदाता नियुक्त करने की अनुमति बोर्ड की 224वी बैठक में अनुमोदित नियम एवं शर्ते वेतन भत्तों के अनुसार प्रदान की तथा साथ ही यह शर्त जोड़ी गई कि इन परामर्शदाताओं को एक कलेडर वर्ष में 06 माह से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

**मद संख्या 232.19**

**देहर विद्युत गृह, सलापड़ की वर्तमान यूनिट-3 के वर्तमान 3 स्टेटर (सम्पूर्ण फ्रेम,कोट,बार्स सहित) बूंड रोटर पोल्स, एयर कूलर्ज ,बीयरिंग ऑयल, कूलर्स,**

**ब्रेकिंग व जेंकिंग प्रणाली, एयर गाइड, तापमान मापी और अन्य संबंद्व हिस्सों को नए से बदलने के साथ-साथ इनका अधिष्ठापन, परीक्षण और चालू करना।**

विशेष सचिव, बीबीएमबी ने कार्यसूची के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया।

बोर्ड के सदस्यों ने दिनांक 17-05-2019 को आयोजित बैठक में पूर्ण कालिक सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णयों को नोट किया ।

मैसर्ज बीएचईएल, चण्डीगढ़ को देहर विद्युत गृह, सलापड़ की वर्तमान यूनिट-3 के वर्तमान 3 स्टेटर (सम्पूर्ण फ्रेम,कोट,बार्स सहित) बूंड रोटर पोल्स, एयर कूलरस, बीयरिंग ऑयल, कूलर्स, रोटर ब्रेकिंग व जेकिंग प्रणाली, एयर गाइड, तापमान मापी और अन्य संबंद्व हिस्सों को नए से बदलने के साथ-साथ इनकी अधिष्ठापना, परीक्षण और चालू करने का संशोधित आदेश मूल्य 22,81,21,494/- (रूपये बाइस करोड़ इक्यासी लाख इक्कीस हजार चार सौ चौरनवे केवल) का क्रय आदेश जारी करना। साथ में पैंकिग और अग्रेषण प्रभार निश्चित स्थान तक माल ढुलाई पारगमन बीमा प्रभार, खंडित करने का प्रभार, निर्माण, परीक्षण करना तथा वर्तमान 18% की दर से जीएसटी जैसे वैधानिक शुल्क और सहमत निबंधन एवं शर्तो पर दिए जाने वाले जनरेटर पर अतिरिक्त जीटीपीएस निम्न प्रकार दर्शाए गए है:-

'अधिकतम निरन्तर उत्पादन 0.95 पीएफ पर 170 मेगावाट (क्लास बी लिमिट के अनुसार स्टेटर तथा रोटरवांइडिग एबस्लूट तापमान सहित) अधिकतम ओवर लोड आउट पुट (एक दिन में 4 घंटे) 0.95 पीएफ पर 175 मेगावाट (क्लास बी लिमिट के अनुसार स्टेट रतथा रोटर वांइडिग एवस्लूट तापमान सहित)'

यदि मौजूदा रनर को नई उच्च क्षमता वाले रनर के साथ बदल दिया जाए तो उपर्युक्त निरन्तर ओवर लोड आउट (170 मेगावाट) और अधिकतम ओवरलोड आउटपुट (प्रतिदिन 4 घंटे) जोकि 175 मेगावाट है संभव हो जाएगा, इकाइयों और ऑक्जिल के अनुरक्षित घटकों की पर्याप्तता उपयुक्त रूप से स्थापित है।

हॉलाकि जीटीपीएस के अन्य सभी मानदण्ड अपरिवर्तित रहेंगे।

**<u>मद संख्या 232.20</u>**

**नंगल में सतलुज नदी पर एक ओर से भिभौर साहिब गुरूद्वारा (नया नंगल) और दूसरी ओर से बीबीएमबी कालोनी (नंगल टाऊशिप) को जोड़ने वाले पैंटून ब्रिज (Pontoon Bridge) के निर्माण संबंधी कार्यसूची।**

सचिव, बीबीएमबी ने कार्यसूची का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। सदस्य (भारत सरकार, जल शक्ति) की टिप्पणी निम्न प्रकार थी:-

"वैधानिक मंजूरी होने पर सैद्वांतिक रूप से सहमति। यह जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि क्या परिवहन के अन्य साधनों जैसे नाव इत्यादि की सम्भावना पर आंकलन किया गया है अथवा नहीं। तथा इसके क्या परिणाम है, इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित

करने की आवश्यकता है कि प्रस्तावित पैंटून ब्रिज के निर्माण के दौरान और इसके पश्चात पानी के स्वतन्त्र प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न न हो।"

यह सूचित किया गया कि अब तक बीबीएमबी को वन्य और वन्य जीव संरक्षण विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। सदस्य (भारत सरकार) जल शक्ति द्वारा उठाए गए मामलें को ध्यान में रखते हुए और यह सहमति हुई कि पंजाब वन्य और वन्य जीव संरक्षण विभाग से अनापति प्रमाण-पत्र मिलने के उपरांत नंगल में सतलुज नदी पर पैंटून ब्रिज के निर्माण हेतु बीबीएमबी पंजाब सरकार को अनापति प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

**<u>मद संख्या 232.22</u>**

**बीबीएमबी कालोनियों में प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, आग आदि के कारण प्रभावित कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति।**

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने दिनांक 15-07-2019 को हुई लगातार बारिश का वर्णन किया जिसके कारण 220केवी उपकेन्द्र धूलकोट में बाढ़ आई। उनके द्वारा उसी समय स्थान का भ्रमण परिस्थिति के मूल्याकंन करने के लिए किया गया, जहां पर उन्होंने पाया कि 4 नं. बीबीएमबी के कर्मचारी जिनमें दो सेवादार, एक सहायक और एक सहायक अभियन्ता के घरेलू सामान उनके बाढ़ ग्रस्त घर से बचाने के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे। आगे उन्होंने सूचित किया कि बीबीएमबी कर्मचारियों के कल्याण के लिए सहानुभूति वयक्त करते हुए, बीबीएमबी ने एक मुश्त रूपये 15000/- प्रत्येक 4 नं. कर्मचारियों को उनके नुकसान की आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु घोषित किए।

विचार-विमर्श उपरांत, बोर्ड ने निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किया:-

1. दिनांक 15-07-2019 को 220 केवी उपकेन्द्र, धूलकोट में अचानक आई बाढ़ के कारण 4 नं. कर्मचारियों के नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक को एक मुश्त राशि 15000/- रूपये की अदायगी।
2. अध्यक्ष, बीबीएमबी को दिनांक 29-10-1983 को आयोजित 109वीं बैठक (मद संख्या 109.09) के अनुसार प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, आग, भूकम्प आदि से प्रभावित बीबीएमबी कर्मचारियों को उसी समय प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करना।

**<u>मद संख्या 232.23</u>**

**वर्ष 2017-18 के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट।**

समय की कमी होने के कारण मद पर चर्चा नहीं हो सकी। यद्यपि वार्षिक रिपोर्ट परिचालित की गई। सदस्यों से अनुरोध किया गया कि कार्यवृत्त जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें और तदोपरांत रिपोर्ट अनुमोदित मानी जाएगी।

**मद संख्या 232.24**

**बीबीएमबी में वर्ग-। तथा ।। अधिकारियों (भर्ती एंव सेवा की शर्ते) विनियम 2015 जेई से सहायक अभियन्ता/उपमण्डल अधिकारी की पदोन्नति में छूट संबंधी।**

सचिव, बीबीएमबी ने संक्षेप में कार्यसूची का वर्णन किया। यह बताया गया कि हमारे पास बीबीएमबी (सिंचाई खण्ड) में वर्ष 2007 से एक कनिष्ठ अभियन्ता कार्य कर रहा है। बीबीएमबी के वर्ग-। तथा ।। के अधिकारी विनियम 2005 के अनुसार, जिसे सचिव बीबीएमबी के कार्यालय आदेश क्रमांक 48/774/एजेंडा/वाल्यूम-6/एपीडी5/2018 दिनांक 04-02-2019 द्वारा संशोधित किया गया, बोर्ड की 230वीं बैठक की मद संख्या 230.08 के अनुसार सिंचाई खण्ड में जिन कनिष्ठ अभियन्तओं के पास सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होगी उन्हीं मामलों पर सहायक अभियन्ता/उपमण्डल अधिकारी की पदोन्नित पर विचार किया जाएगा। इसलिए उक्त अधिकारी के पास इलैक्ट्रानिकस एवं कम्युनिकेशन की डिग्री होने के कारण उपमण्डल अधिकारी की पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार बीबीएमबी में एक और कनिष्ठ अभियन्ता के पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तथा वह बीबीएमबी (विद्युत खण्ड) में कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में कार्य कर रहा है। उपरोक्त कर्मचारी दिनांक 13-04-1984 को मकैनिकल मिस्त्री के रूप में नियुक्त हुआ था तथा दिनांक 20-11-1993 को एसएसए के रूप में पदोन्नत किया गया। ततपश्चात संशोधित बीबीएमबी वर्ग-। तथा ।। अधिकारी विनियम 2015 के अनुसार वर्ष 2003 में उसे कनिष्ठ अभियन्ता उपकेन्द्र के रूप में पदोन्नत किया गया, विद्युत खण्ड में केवल उन कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता की पदोउन्नति के लिए विचार किया जाएगा जिनके पास इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है। इसलिए उक्त कर्मचारी के पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होने के कारण सहायक अभियन्ता/उपमण्डल अधिकारी की पदोन्नित हेतु विचार नहीं किया जा सकता।

जैसा कि उपरोक्त दोनों कर्मचारी बीबीएमबी में लम्बे समय से कार्यरत है तथा उनके संबंधित वर्गो में उनकी नियुक्ति दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए उनके संबंधित वर्ग में उच्च पद पर पदोन्नित के लिए उन पर विचार न करने से उक्त पदाधारियों को काफी कठिनाई होगी।

विचार-विमर्श के पश्चात बीबीएमबी वर्ग-1 तथा ।। अधिकारियों (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) विनियम 2015 की धारा 21 के उपबंधानुसार निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड ने अध्यक्ष, बीबीएमबी को कार्यसूची में दर्शाए अनुसार 02 कनिष्ठ अभियन्ताओं को उनके संबंद्द वर्ग में, बीबीएमबी वर्ग-। तथा ।। अधिकारियों (भर्ती एवं सेवा शर्ते) विनियम 2015 की अनुसूची ए की क्रम संख्या 03 के उपबंधों में रियायत द्वारा

उप मण्डल अधिकारी/सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत करने की अनुमति प्रदान की गई।

**मद संख्या 232.25**

**बीबीएमबी में जन शक्ति का पुनर्गठन।**

सचिव, बीबीएमबी ने कार्यसूची के बारे में बताते हुए सूचित किया कि बोर्ड की 230वीं बैठक में बीबीएमबी के 8 पद कार्यकारी अभियन्ता और 6 पद उप मण्डल अधिकारी के स्थगित करने का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया था कि इन्हें बोर्ड की पूर्वानुमति के साथ ही निरन्तर किया जाएगा। इसी तर्ज पर अब मुख्य अभियन्ता/ब्यास बांध, बीबीएमबी, तलवाड़ा के प्रशासन के अधीन अन्य पद नामित अधीक्षक/प्राप्ति भण्डार एवं निपटान मण्डल, बीबीएमबी, तलवाड़ा के पद को अस्थगित करने का प्रस्ताव है।

विचार-विमर्श उपरांत, बोर्ड ने निम्नलिखित अनुमोदित किया:-

1. मुख्य अभियन्ता/ब्यास बांध, बीबीएमबी, तलवाड़ा के प्रशासन के अधीन अधीक्षक/प्राप्ति भण्डार एवं निपटान मण्डल, बीबीएमबी, तलवाड़ा के पद को स्थगित किया जाता है। पद का बोर्ड को पूर्व अनुमोदन उपरांत ही पुनः बहाल किया जाएगा।
2. इस पद के कार्य निर्धारण का पुनर्विभाजन अध्यक्ष, बीबीएमबी के अनुमोदन उपरान्त होगा।

### 2.2.2 बोर्ड की दिनांक 20.12.2019 को आयोजित 233वीं बैठक

**मद संख्या 233.02**

**भाखड़ा नंगल परियोजना के सामान्य पूल उपभोक्ता को बीबीएमबी विद्युत आपूर्ति: अखिल भारतीय औसत ऊर्जा खरीद लागत (एपीपीसी) 25% की दर पर पुराने हिमाचल (10 मेगावाट सामान्य मूल शेयर) के प्रशुल्क पर विचार-विमर्श।**

विशेष सचिव, बीबीएमबी ने संक्षेप में कार्यसूची के बारे में बताया।

इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और सदस्य/हरियाणा द्वारा यह सुझाव दिया गया कि पुराना हिमाचल विद्युत के लिए प्रशुल्क सभी भागीदार राज्यों की एपीपीसी दरों के औसत का 25% वसूल किया जा सकता है।

चर्चा के उपरांत, एक छोटी मात्रा होने के नाते, सभी सदस्यों ने 01-01-2018 से अखिल भारतीय एपीपीसी दर का 25% प्रशुल्क लगाने पर सहमति व्यक्त की जैसा की कार्यसूची में प्रस्तावित किया गया था।

**मद संख्या 233.03**

**बीबीएमबी कर्मचारियों को बीबीएमबी परियोजनाओं के कुशल रख रखाव और परिचालन हेतु उनके उत्कृष्ठ योगदान को देखते हुए वार्षिक प्रोत्साहन की मंजूरी-व्यापक मसौदा नीति संबंधी।**

विशेष सचिव ने सूचित किया कि बीबीएमबी के उत्कृष्ठ प्रदर्शन को देखते हुए दिनांक 19-11-2018 को बोर्ड की 230वीं बैठक में वर्ष 2017-18 के लिए 20 दिनों के वेतन के प्रोत्साहन की अनुमति दी थी। इसके उपरान्त 230वीं बैठक के दौरान बोर्ड के निदेशानुसार प्रोत्साहन नीति को सभी भागीदार राज्यों को परिचालित कर दिया गया था। नीति और प्राप्त टिप्पणियों के बारे में सदस्यों को जानकारी देते हुए, विशेष सचिव ने लक्ष्य से अधिक उत्पादन और उत्कृष्ठ संयंत्र और पारेषण उपलब्धता के रूप में राष्ट्रीय औसत की तुलना में 2018-19 के दौरान बीबीएमबी के प्रदर्शन के बारे में विस्तार से बताया। बोर्ड के सदस्यों ने बीबीएमबी के प्रदर्शन की सराहना की और बोर्ड प्रत्येक वर्ष गणना नीति के अनुसार गणना प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए 21 दिनों के लिए कार्यसूची में सम्मिलित प्रस्ताव को मंजूरी दी। तथापि, यह सहमति व्यक्त की गई कि आगामी कार्यसूची की मद संख्या 233.04 के अनुसार जब भी यह प्रोत्साहन दिया जाता है, तो बीबीएमबी में काम करने वाले कर्मचारियों को किसी की भी आकस्मिक मृत्यु/दुर्बल स्थायी विकलांगता के मद्देनजर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 03 दिन का प्रोत्साहन हर बार काट लिया जाएगा। इस प्रकार, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारियों को 18 दिनों के प्रोत्साहन का भुगतान करने की मंजूरी प्रदान की। इसके अतिरिक्त जैसा कि मद संख्या 233.04 के अंतर्गत चर्चा की गई 03 दिनों प्रोत्साहन बीबीएमबी में कार्य कर रहे कर्मचारियों के परिवारों को वित्तिय सहायता प्रदान करने के लिए दिया जाएगा।

**<u>मद संख्या 233.04</u>**

**बीबीएमबी में कार्य करने वाले कर्मचारियों के परिवार को किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मृत्यु/सेवा के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी के कारण स्थायी विकलांगता होने पर तत्काल वित्तिय सहायता प्रदान करना।**

विशेष सचिव ने सूचित किया कि बीबीएमबी, बीबीएमबी में काम करने वाले कर्मचारियों की मृत्यु से प्रभावित परिवारों/शोक संतप्त परिवारों को तत्काल वित्तिय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में है।

आगे यह सूचित किया गया कि इस योजना का वित्तपोषण मौटे तौर पर कर्मचारियों से मासिक सदस्यता के साथ एक बार सदस्यता शुल्क के आधार पर होगा और इसलिए यह भागीदार राज्यों पर कोई वित्तिय बोझ नहीं होगा।

सदस्य (विद्युत मंत्रालय) ने बीबीएमबी को सुझाव दिया कि बीबीएमबी को अपने कर्मचारियों के लिए समूह बीमा पॉलिसी देनी होगी। सदस्य/राजस्थान, सदस्य/विद्युत मंत्रालय के इस सुझाव से सहमत थे।

सदस्य/सिंचाई ने सुझाव दिया कि उपरोक्त नीति में आत्महत्या की मृत्यु को कवर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बोर्ड के अन्य सदस्यों ने सर्वसम्मति से तर्क दिया कि चूंकि यह शोक संतप्त परिवार को वित्तिय अवसाद/ऋण में डूबने से बचने के लिए वित्तिय सहायता है, इसलिए ऐसे मामले में भी इसे अनुमति दी जा सकती है।

सदस्य/हरियाणा ने मासिक सदस्यता के संबंध में कर्मचारियों के बीच स्वीकृति के स्तर की जांच का सुझाव दिया।

सदस्य/पंजाब ने सुझाव दिया कि निधि में कर्मचारियों के योगदान के बजाय, यह अधिक उचित होगा कि बीबीएमबी को कर्मचारियों को दिए गए वार्षिक प्रोत्साहन अनुदान का एक हिस्सा अलग करना चाहिए और उस निधि से शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत तथा इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि कर्मचारी मासिक कटौती के लिए आपति उठा सकते हैं, बैठक के दौरान सर्वसम्मति से प्रोत्साहन में से फंड बनाना तय किया गया। तदनुसार, यह तय किया गया कि बीबीएमबी में काम करने वाले कर्मचारी की मृत्यु (किसी भी तरह की आत्महत्या सहित) के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हर बार, नीति के अनुसार, वार्षिक प्रोत्साहन पर वर्क आऊट किया जाएगा और प्रत्येक बार 03 दिन का प्रोत्साहन अलग फंड में डाला जाएगा। उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत एक विशेष फंड उसी के लिए बनाया जाएगा।

**<u>मद संख्या 233.05</u>**

**बीबीएमबी परियोजनाओं के लिए मुख्य सरकारी शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी तथा अन्य सरकारी/सरकारी वित्तपोषित संस्थानों इत्यादि से नामांकन आधारित अध्ययन/परामर्श करवाने हेतु बीबीएमबी के संबंधित पूर्ण कालिक सदस्य के साथ परामर्श से अध्यक्ष, बीबीएमबी को शक्तियां प्रदत्त करना।**

सचिव, बीबीएमबी ने संक्षिप्त में कार्यसूची के बारे में बताया।

विचार-विमर्श के उपरान्त, कार्यसूची में शामिल प्रस्ताव को एकल या कई अध्ययनों/परामर्शो के लिए अनुमोदित किया गया, जिसमें प्रति वर्ष कुल लागत केपिंग रूपये 75 लाख है।

**<u>मद संख्या 233.07</u>**

**जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए ब्यास नदी से 1.67 क्यूसेक (58.97 क्यूसेक) जल उत्थान हेतु अनापति प्रमाण-पत्र।**

सचिव, बीबीएमबी ने सूचित किया कि कार्यसूची हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध के अनुसार रखी गई है।

सदस्य/सिंचाई ने कहा कि चूंकि हिमाचल प्रदेश को आंबटित जल का कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा सदस्य/हरियाणा ने पूछा की हिमाचल प्रदेश द्वारा पहले कितनी बार जल उत्थान की अनुमति दी गई है। सचिव, बीबीएमबी ने बोर्ड को सूचित किया कि इससे पूर्व सामान्य पूल में से 11 बार बिना किसी कीमत के जल उत्थान की अनुमति दी है।

सदस्य/राजस्थान ने कहा कि इस बार बढ़ी हुई मात्रा की मांग को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश को पानी की आपूर्ति की अनुमति देने के लिए कुछ संरचित तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, जिसके लिए सदस्य (भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय) ने सूचित किया कि वास्तव में हिमाचल प्रदेश ने संरचित तंत्र की आवश्यकता को कई बार ऊर्जा मंत्रालय में उठाया है तथा हर बार हिमाचल प्रदेश को आश्वासन दिया गया कि उसकी जरूरतों को आवश्यकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

सदस्य (भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय) ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक तटीय राज्य है और मात्रा बहुत कम है, बोर्ड को इसकी अनुमति प्रदान करने हेतू अनुग्रहित होना चाहिए।

विचार-विमर्श के उपरांत बोर्ड के सदस्य प्रस्तावित कार्यसूची के अनुसार हिमाचल प्रदेश को सामान्य पूल में से बिना किसी कीमत के जल उत्थान के लिए सहमत हुए।

**<u>मद संख्या 233.08</u>**

**बीबीएमबी द्वारा आरएफएफ के बकाया भुगतान में देरी पर लगाए गए 10,85,47234/- (दस करोड़ पिचासी लाख सैंतालीस हजार दो सौ चौंतीस रूपये) के अधिभार की छूट के लिए स्वीकृति।**

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, बीबीएमबी द्वारा राजस्थान से प्राप्त कार्यसूची के बारे में समझाया गया तथा सूचित किया कि अधिभार आरएफएफ बकाया राशि के देर से भुगतान का कारण है तथा इसलिए राजस्थान द्वारा देय है।

सदस्य/राजस्थान ने सूचित किया कि बीबीएमबी द्वारा आरएफएफ के अधिक शुल्क चार्ज करने का मामला कई वर्षो से लटका हुआ था और बोर्ड द्वारा इस मामले में अंतिम निर्णय लेने तक अधिभार जमा हो गया था और एमडी, आरयूवीएनएल और बीबीएमबी के वित्तीय सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकारी की एक समिति का गठन समस्या को हल करने के लिए किया गया था। सदस्य (विद्युत मंत्रालय) ने बताया कि राष्ट्रीय शुल्क नीति के अनुसार देर से भुगतान अधिभार अनिवार्य किया गया है तथा इसमें से छूट का कोई प्रावधान नहीं है।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सूचित किया कि यदि इस प्रकार का अधिभार किसी राज्य के लिए माफ कर दिया जाएगा तो यह उसी प्रकार अन्य भागीदार राज्यों पर भी लागू होगा।

सदस्य/हरियाणा ने भविष्य के लिए उचित नीति निर्माण का सुझाव दिया, जो सभी भागीदार राज्यों पर लागू हो।

विचार-विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि एक समिति जिसमें एमडी आरयूवीएनएल तथा बीबीएमबी के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी शामिल हों, मामले पर विचार-विमर्श करके उसका परिणाम बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करे।

**<u>मद संख्या 233.09</u>**

**बीबीएमबी में सौर ऊर्जा संयंत्र (एसपीपीएस) उनकी स्थिति।**

विशेष सचिव द्वारा बीबीएमबी द्वारा लगाए जा रहे रूफटॉप, फ्लोटिंग तथा ग्राऊंड-माउटेड सौर ऊर्जा संयंत्रों (एसपीपीएस) की स्थिति के बारे में सूचित किया गया।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सूचित किया कि बीबीएमबी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 500 मेगावाट का सौर लक्ष्य सौंपा गया। तदोपरांत अध्यक्ष द्वारा यह सूचित किया गया कि बीबीएमबी हिमाचल प्रदेश में पंजाब के साथ सीमा के ऊपर नंगल बांध जलाशय में 15 मेगावाट एसपीपी की स्थापना के लिए एसईसीआई के माध्यम और पेडा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में बीबीएमबी की जमीन पर तलवाडा तथा नंगल के तीन अलग-अलग स्थानों पर 8 मेगावाट ग्राउंड-माउंटेड एसपीपी तथा 10 मेगावाट पंजाब में बीबीएमबी की जमीन पर स्थापित करने के लिए निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।

यह निर्णय लिया गया कि बीबीएमबी को सौर ऊर्जा संयंत्रों के निष्पादन की निविदा प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तथापि, ग्राउंड-मांउटेड तथा फलोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्रो से संबंधित कार्य सौंपने से पूर्व उसका व्यापक प्रस्ताव कोट की गई दरों सहित बोर्ड में प्रस्तुत किए जाएं । तत्पश्चात कार्यसूची के साथ संलग्न (पीपए) के प्रारूप को ग्रांउड-माउंटेड और फलोटिंग ( एसपीपीएस) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

**<u>मद संख्या 233.14</u>**

**विश्राम गृह, पंडोह में 2 नं. नए सुइटस (Suites) के नवीकरण और निर्माण के संबंध में कार्यसूची।**

सचिव, बीबीएमबी द्वारा बोर्ड के समक्ष कार्यसूची के बारे में बताया गया। उन्होंने आगे सूचित किया कि सदस्य/सिंचाई द्वारा कुछ टिप्पणियां की गई है जो कार्यसूची के साथ संलग्न हैं।

सदस्य/सिंचाई ने कहा कि एचपी पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में वीआईपी सुइटस पहले से ही पंडोह में मौजूद है तथा इसलिए इस कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि उपरोक्त विश्राम गृह ब्यास नदी के दाएं किनारे पर है तथा पंडोह में बीबीएमबी का विश्राम गृह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और इसे अक्सर वीआईपी द्वारा विजिट किया जाता है उन्होंने आगे तर्क दिया कि पंडोह डायवर्जन डैम की लोकेशन होने के कारण तथा पंडोह-बग्गी सुरंग का इनटेक प्वांइट होने के कारण यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और वीआईपी/निरीक्षण अधिकारियों के रहने के लिए विश्राम गृह की वर्तमान स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत सदस्यों ने पंडोह विश्राम गृह में एडिशन, नवीकरण और शिलान्यास इत्यादि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जैसा कि कार्यसूची में शामिल था।

**मद संख्या 233.15**

**क्रय आदेश संख्या 1581/पीएण्डडी(टीएस)/पीएनटी-391 दिनांक 01-05-2006 के विरूद्ध कटौती किए गए जुर्माने में छूट।**

विशेष सचिव ने फर्म द्वारा देरी सें ड्राईंग जमा करने के कारण लोग जुर्माना शुल्क को समाप्त करने की कार्यसूची को संक्षिप्त रूप से समझाया। सदस्य/विद्युत मंत्रालय का विचार था कि अनुबंध के प्रावधान का पालन किया जाना चाहिए।

सदस्य/हरियाणा का मत था कि जुर्माना ड्राईंग को देरी से जमा करने के कारण है, न कि किसी तकनीकी कमी के । आगे सदस्य/हरियाणा ने पूछा कि इस संबंध में बीबीएमबी को कितना वित्तीय नुकसान हुआ, जिसमें मुख्य अभियन्ता/पारेषण प्रणाली, बीबीएमबी ने पुष्टि की कि बीबीएमबी को कोई विशेष वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि निधार्रित अवधि के चार दिनों उपरान्त कार्य पूरा हो गया है जिसके लिए जुर्माने को घटा दिया गया है।

सदस्य/राजस्थान ने आगे पूछा कि इस तरह क्या कोई अन्य मामला भी है, तो मुख्य अभियन्ता/पारेषण प्रणाली ने सूचित किया कि बीबीएमबी के साथ इस प्रकार का कोई मामला लंबित नहीं है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए क्रय समिति की सिफारिशों तथा डब्ल्यू टी एम के अनुमोदन को बोर्ड द्वारा नोट किया तथा अनुमोदित किया।

**मद संख्या 233.16**

**बीबीएमबी वर्ग-। तथा ।। अधिकारियों की (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) विनियम 2015 में पदोन्नति हेतु समय अंतराल में कमी करने संबंधी।**

सचिव, बीबीएमबी ने कार्यसूची के बारे में बताया। उन्होंने आगे सूचित किया कि सदस्य/सिंचाई द्वारा कुछ टिप्पणियां की गई जो कार्यसूची के साथ संलग्न है।

विचार-विमर्श के दौरान सदस्य/हिमाचल प्रदेश ने पूछा कि क्या प्रस्ताव में कोई ऐसा मामला है जहां पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव में छूट परीवीक्षा अवधि से कम हो जाएगी। इस तर्क का सभी बोर्ड सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया । इसलिए यह निर्णय लिया गया कि अनुभव संवर्धन में कमी के संबंध में पीएसपीसीएल मानदंडो का अनुपालन करने वाले विभिन्न संवर्गो के बीच एकरूपता लाने के लिए बीबीएमबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पदोन्नति के किसी भी मामले में आवश्यक अनुभव परीवीक्षा अवधि से कम नहीं होना चाहिए।

तदनुसार कार्यसूची में शामिल प्रस्ताव को उपरोक्त शर्तों के अनुसार अनुमोदित किया गया।

**मद संख्या 233.20**

**प्रस्तावित 40 मेगावाट (2x20मेगावाट) बग्गी विद्युत घर के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन।**

विशेष सचिव ने संक्षिप्त में कार्यसूची की व्याख्या की। सदस्य/हरियाणा ने चर्चा आरम्भ करते हुए दो मुख्य बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा, जो उनके अर्धशासकीय पत्र में भी उठाए गए है नीचे संक्षेप में दिए गए है:-

1. पीएसयू/एसईबीएस तथा घरेलू और विदेशी निजी उद्यमो के बीच संयुक्त उपक्रमों पर 13% निशुल्क बिजली का प्रावधान लागू होता है जबकि बग्गी विद्युत घर के निर्माण में कोई निजी भागीदारी नहीं है चूंकि बीबीएमबी संसद के अधिनियम द्वारा एक संवैधानिक निकाय है, और न तो कम्पनी है और न ही पीएसयू है। इसके अतिरिक्त यह एक वाणिज्यिक संगठन नहीं है जिसका कोई लाभ या हानि खाता है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाए कि बीबीएमबी ने इन नीतियों के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को निशुल्क बिजली देने का प्रस्ताव क्यो दिया है ?
2. बग्गी विद्युत घर कोई नई योजना नहीं है क्योंकि इसकी परिकल्पना बीएसएल परियोजना के निर्माण के दौरान की गई थी और बग्गी विद्युत घर के लिए आवश्यक अधिकांश इन्फ्रास्ट्रक्टर पहले ही बीएसएल परियोजना के साथ निर्मित है। इस प्रकार बीएसएल परियोजना के लिए लागू पावर शेयरिंग फॉमूला बग्गी विद्युत घर पर लागू होता है क्योंकि बीबीएमबी ने बग्गी विद्युत घर हेतु नए पावर शेयरिंग फॉर्मूले का प्रस्ताव दिया है ?

सदस्य/विुद्यत ने उतर दिया कि बीबीएमबी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79 (6) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अधीन है और भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के अनुसार एक केन्द्रीय उत्पादन स्टेशन है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (ऊर्जा विभाग) के पत्र दिनांक 01-11-1990 द्वारा पॉवर शेयरिंग के फॉर्मूले से अवगत कराया तथा सभी केन्द्रीय क्षेत्र की पन बिजली परियाजनाएं जो दिनांक 07-09-1990 के बाद चालू हुई है जिसमें 12% निशुल्क बिजली उन राज्यों को दी जाएगी जिसमें संबंधित पन बिजली परियोजना स्थित है। तदनुसार बग्गी विद्युत घर पर निशुल्क बिजली का प्रावधान लागू है।

सदस्य/एमओपी (MOP) ने इस मुद्दे पर आगे स्पष्टीकरण दिया और बोर्ड को सूचित किया कि राष्ट्रीय जल विद्युत नीति केवल जेवी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह केन्द्रीय क्षेत्र की पन बिजली परियोजनाओं पर भी लागू है और बीबीएमबी केन्द्रीय क्षेत्र की पन बिजली परियोजना के अंतर्गत आता है। आगे यह सूचित किया गया कि हाइड्रो नीति-2019 में गृह राज्य को निशुल्क बिजली देने का प्रावधान भी है क्योंकि नदी को एक राज्य संसाधन माना जाता है जिसे बिजली उत्पादन के लिए पट्टे पर दिया जा रहा है।

सदस्य/सिंचाई ने कहा कि परियोजना के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की सहमति सशर्त है और इसमें बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।

सदस्य/हिमाचल प्रदेश ने बताया कि बीबीएमबी को बताई गई शर्तें मानक शर्तें है और वर्तमान मामले में कोई विशेष शर्त शामिल नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि बीबीएमबी परियोजनाओं से राजस्थान का हिस्सा निकालने के उपरांत हिमाचल प्रदेश का 7.19 % हिस्सा है, जबकि एसजेवीएनएल परियोनाओं में 27% हिस्सेदारी है और ये शर्तें (निशुल्क बिजली सहित) एसजेवीएनएल पर भी लागू है। इसके अतिरिक्त सदस्य/हिमाचल प्रदेश ने कहा कि इस परियोजना की लागत लगभग 6 करोड रूपये प्रति मेगावाट होगी जो सभी भागीदार राज्यों के लिए लागत का एक अवसर हैं।

सदस्य/राजस्थान ने सुझाव दिया कि इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उत्पादन लागत इत्यादि का विश्लेषण भी बीबीएमबी द्वारा तैयार की जाए तथा बोर्ड स्तर पर विचार-विमर्श किया जाए। सदस्य/एमओपी (विद्युत मंत्रालय) भी इससे सहमत थे।

आगे सदस्य/हरियाणा ने इच्छा व्यक्त की कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समझौता प्रारूप में निधार्रित नियम एवं शर्तो जो हाइड्रो पॉलिसी से शर्तों का विचलन है, पर विस्तृत चर्चा की जाए। तदनुसार सदस्य/विद्युत में उक्त एमओयू में निहित सभी बिन्दुओं के बारे में विस्तार से बताया। सदस्य/पंजाब ने इच्छा जताई कि इन शर्तों के वांछित वित्तीय प्रभावों को अगली बोर्ड की बैठक में रखा जाए।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने कहा कि जब तक डीपीआर उत्पादन लागत के विश्लेषण संबंधी मामले को अंतिम रूप नही दे दिया जाता तब तक हिमाचल प्रदेश सरकार एमओयू/कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए जोर नहीं दे सकती है, जिस पर सदस्य/हिमाचल प्रदेश ने सहमति प्रकट की।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि परियोजना की लागत जिसमें उत्पादन लागत और बहुतायत शुल्क शामिल है, को इस कार्यसूची के अन्य प्रासंगिक बिन्दुओं के साथ आगामी बोर्ड की बैठक में रखा जाए।

इस बीच बीबीएमबी द्वारा पहले से शुरू की गई प्रक्रियांए जैसे जांच-पडताल, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तथा वैधानिक क्लीयरेंस इत्यादि, जो परियोजना के बोर्ड की स्वीकृति के अनुसरण में होती है, जारी रखी जाए। वन के अधिग्रहण के साथ-साथ निजी भूमि का भुगतान परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलने के उपरान्त बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

**<u>मद संख्या 233.21</u>**

**बीबीएमबी में विशेषज्ञ की नियुक्ति संबंधी।**

सचिव, बीबीएमबी ने प्रस्तावित कार्यसूची को संक्षिप्त में समझाया। उन्होंने आगे सूचित किया कि सदस्य/सिंचाई द्वारा कुछ टिप्पणियां की गई थी जो कार्यसूची के साथ संलग्न है।

विचार-विमर्श उपरान्त कार्यसूची में शामिल प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

### 2.2.2 बोर्ड की दिनांक 05.03.2020 को आयोजित 234वीं बैठक

**मद संख्या 234.02**

**वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्राक्कलन और वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित बजट प्राक्कलन।**

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, बीबीएमबी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित बजट प्राकक्लन और वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक बजट प्राक्कलन (ओबीई) के लिए अनुमोदन हेतु ब्याख्या की।

सदस्य/हरियाणा ने सिंचाई विंग (कार्य) के बढ़े हुए बजट प्राकक्लन (2020-21) के कारणों के बारे में पूछा जिसका वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी ने प्रस्तावित व्यय बारे/परियोजनाओं का आइटम वार विस्तृत वर्णन किया। आगे सदस्य/हरियाणा ने बीबीएमबी द्वारा आरबीई (2019-20) के संदर्भ में 6% आरबीई (2020-21) की बढ़ोतरी के विवरण जानने चाहे, जिसकी व्याख्या वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी ने की। आगे सदस्य/हरियाणा ने सिंचाई विंग के लिए आरबीई (2020-21) के लिए 121.03 करोड़ और आरबीई (2019-20) के लिए रूपये 97.61 करोड़ रखने के कारण का आधार जानना चाहा, क्योंकि जनवरी, 2020 तक केवल रूपये 35.99 करोड़ का ही उपयोग किया गया है।

सदस्य (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) ने सूचित किया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अधिकतम 33% व्यय की ही अनुमति है। सदस्य (जीओआईएमओपी) और सदस्य/हरियाणा चाहते हैं कि बीबीएमबी में वजट का उपयोग एसीआर मूल्यांकन के आधार तैयार किए जाए, जिस तरह की पीएसयूज और अन्य संगठनों में किया जाता है।

सदस्य/सिंचाई ने कहा कि बीबीएमबी के बजट तैयार करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष के पास है। उन्होंने आगे कहा कि बजट/कार्य संबंधी फाइलें सीधे संबंधित मुख्य अभियन्ताओं के माध्यम से अध्यक्ष को भेज दी जाती हैं और उनके कार्यालय को छोड़ बायपास कर दिया जाता है। अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सदस्य/सिंचाई विवाद का दृढ़ता से खंडन किया और बोर्ड सदस्यों को सूचित किया कि सदस्य/सिंचाई को कम बजट के उपयोग पर अगस्त, 2019 से आगे मासिक आधार पर टिप्पणी भेजने के साथ-साथ शीघ्रता से सिंचाई खण्ड के बजट के उपयोग का अनुरोध किया गया। बोर्ड ने वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, बीबीएमबी को इस मसले पर 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट तैयार कर विद्युत

मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत करने को कहा और सचिव, बीबीएमबी को शीघ्र ही संबंधित रिकार्ड वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिए कि रिपोर्ट में बजट के कम उपयोग के कारण भी सम्मलित किए जाये।

इस तथ्य को मददेनजर रखते हुए कि वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है और वर्ष के अंत में भुगतान करने के लिए बजट के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित बजट और वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित बजट को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। हालाँकि यह आवश्यक है कि व्यय के लिए एसओपी को, भारत सरकार के एसओपी के आधार पर बीबीएमबी द्वारा तैयार किया जाए, ताकि वर्ष के अंत में व्यय के व्यवधान को रोका जा सके। इसके अलावा सदस्य (सिंचाई) और सदस्य (विद्युत) अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर बजट के उपयोग की नियमित समीक्षा करेंगे और इसे प्रत्येक बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

**<u>मद संख्या 234.03</u>**

**लाभानुभोगी एजेंसियों द्वारा बीबीएमबी की 400/220/132/66 केवी पारेषण लाइन के परिवर्तन/ऊंचाई को बढ़ाने के लिए डिपॉजिट वर्क को पूरा करने के लिए कार्यसूची नोट।**

मुख्य अभियन्ता/उत्पादन, बीबीएमबी ने पीएसटीसीएल के अनुसार मौजूदा 10% से 12.5%तक आत्म-निष्पादन के आधार पर डिपॉजिट वर्कस के लिए पर्यवेक्षण शुल्क के संशोधन के बारे में कार्यसूची समझाई।

विचार-विमर्श के उपरांन्त, बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई:-

1. बीबीएमबी की पारेषण लाइन के परिवर्तन/ऊंचाई बढ़ाने के कार्य के लिए कुल परियोजना लागत (कम फसल मुआवजा और भूमि लागत, यदि कोई) के 12.5% पर्यवेक्षण शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) लाभानुभोगी एजेंसियों द्वारा स्व-निष्पादन के आधार पर की जाएगी। पर्यवेक्षण शुल्क पर जीएसटी, जैसे लागू होगा प्रभार्य होगा। इन पर्यवेक्षण प्रभारों में भारत के अंदर सामग्री निरीक्षण शुल्क कार्य स्थल भ्रमण शुल्क शामिल होंगे। इसके अलावा सामान के ऑफ-शोर निरीक्षण के लिए शुल्क, यदि कोई हो, जिसमें आने-जाने की यात्रा और भोजन व आवास सम्मलित हो और निरीक्षण अधिकारी के अन्य शुल्क, पात्रता के अनुसार, लाभानुभोगी एजेंसी से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा और वही लाभानुभोगी एजेंसी द्वारा निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया गया है।
2. एनएचआई द्वारा स्व-निष्पादन के आधार पर किए गए बीबीएमबी पारेषण लाइनों के परिवर्तन/ऊंचाई बढ़ाने के संबंध पर्यवेक्षण शुल्क 17-08-2019 को आयोजित 232वीं बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमादित किए गए और विशेष

सचिव के दिनांक 11-09-2019 के पत्र क्रमांक 28889-88/बी-5/जमालपुर/2पी द्वारा संप्रेषित किए गए हैं।

**<u>मद संख्या 234.04</u>**

**बीबीएमबी में मकान निर्माण के लिए पंजाब प्लिंथ एरिया के नवीनतम मानकों को अपनाना।**

मुख्य अभियन्ता/उत्पादन, बीबीएमबी ने बीबीएमबी में आवासीय निर्माण के लिए दिनांक 15-07-2014 के पंजाब सरकार के प्लिंथ एरिया मानकों को अपनाने के लिए कार्यसूची प्रस्तुत की।

सिंचाई/पंजाब ने सूचित किया कि पंजाब में सरकारी आवासों की कम मांग है और ज्यादातर आवास खाली रहते है। मुख्य अभियन्ता/उत्पादन ने बताया कि बीबीएमबी का अलग ही परिदृश्य है, यहां उप-केन्द्रो और परियोजना स्थलों पर तैनात कर्मचारी बीबीएमबी के आवासों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आवास पुराने निर्माण के कारण जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है।

सदस्य (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) ने अच्छी गुणवता वाले घरों के निर्माण को सुनिश्चित करने और कर्मचारियों को उनके आत्म-सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अच्छी रहने की स्थिति प्रदान करने पर जोर दिया। तदनुसार यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया:-

'बीबीएमबी द्वारा मकानों के निर्माण के लिए पंजाब सरकार के लोक निर्माण विभाग की अधिसूचना दिनांक 15-07-2014, क्रमांक 11/411/2012-4बी एंड आर 3/4108 में पंजाब सरकार प्लिंथ एरिया के मानको को अपनाया जाए। साथ ही सीपीडब्ल्यूडी के विनिर्देशन को मकान निर्माण के लिए अपनाया जाए।

**<u>मद संख्या 234.06</u>**

**बांध पुनर्वास और परियोजना उन्नयन, फेस-।। व ।।। (डीआरआईपी-।। व ।।।)**

सचिव, बीबीएमबी ने कार्यसूची की व्याख्या करते हुए बताया कि इस मद पर बोर्ड 232वी बैठक में मद संख्या 232.08 के तहत चर्चा की गई, जिसमें बोर्ड ने डीआरआईपी परियोजना पर काम करने के लिए 230 करोड़ की अनुमति प्रदान की तत्पश्चात जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल का गठन किया गया, जिसने दिसम्बर 2019 में बीबीएमबी के बांधों का दौरा किया। डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना में किए जाने वाले कार्यो पर लगभग 316.76 करोड़ की लागत का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने आगे बताया कि दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2020 से पहले कम से कम 30% परियोजना कार्य के साथ बजट का प्रयोग आवश्यक है। जिसके लिए वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को ईएपी (एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट) डीआरआईपी के तहत लेखा शीर्ष

खाता खोलने के लिए मामला भेजा गया था। बीबीएमबी के वित्त विभाग और सदस्य/सिंचाई ने इस मद पर कुछ आपतियां उठाई, जिन्हें बोर्ड के सदस्यों के समक्ष विचारार्थ और अग्रिम चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। बीबीएमबी के वित्त खण्ड की आपतियां मद संख्या 234.06 का एक भाग है।

सदस्य/सिंचाई, बीबीएमबी ने बताया कि बीबीएमबी कोई ऋण नहीं ले सकता और न ही बीबीएमबी के जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में कोई ट्रीटमेंट की कार्रवाई कर सकता है, इस परियोजना का प्रस्तावित कार्य हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में बीबीएमबी ने एक हलफनामा माननीय उच्च न्यायलय को प्रस्तुत कर दिया है। सदस्य/हरियाणा ने यह भी जानना चाहा कि क्या बीबीएमबी ने जलग्रह क्षेत्र के ट्रीटमेंट के बारे में कोई नीति अपनाई है और तदनुसार बोर्ड को सूचित करने के निर्देश दिए।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने बताया कि बीबीएमबी के बांधो के जलाशयों में गाद तेजी से जमा हो रही है और बीबीएमबी बांधो के उपयोगी जीवन को बढ़ाने के लिए जलाशयों में प्रवेश करने वाले अवसादन भार को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता है, जिसके लिए जलग्रहण क्षेत्र के ट्रीटमेंट कार्य की जरूरत है।

सदस्य/राजस्थान के प्रतिनिधि ने परियोजना के बजट विवरण और रिपोर्ट देने के लिए अनुरोध किया जिससे कि वे परियाजना के वितपोषण के बारे में अपने वित्त विभाग से मंजूरी ले सकें । यह सहमति हुई कि बीबीएमबी के सभी चार बांधों की डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल (डीएसआरपी) निरीक्षण रिपोर्ट सभी भागीदार राज्यों को भेजी जाएगी।

सदस्य (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) ने कहा कि बीबीएमबी के भागीदार राज्यों को अग्रिम लागत के साथ-साथ अपने संबंधित बजट में ऋण चुकाने का प्रावधान करना होगा।

इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई और बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिया:-

1. बीबीएमबी को डीआरआईपी परियोजना में भाग लेने का अनुमोदन प्रदान करना। जल ग्रहण क्षेत्र के ट्रीटमेंट के संबंध में, सचिव, बीबीएमबी को बीबीएमबी का रूख स्पष्ट करने के लिए निर्दशित किया गया ताकि यह स्पष्ट हो कि जल ग्रहण क्षेत्र में ट्रीटमेंट का कार्य बीबीएमबी अथवा हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जाएगा।
2. बीबीएमबी को बजट लाइन खोलने के लिए अधिकृत किया गया, बीबीएमबी निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। डीआरआईपी-।। व।।। के तहत कार्य और व्यय भागीदार राज्यों से मंजूरी के बाद किया जाएगा।
3. भागीदार राज्यों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने के लिए बीबीएमबी प्रत्येक भागीदार राज्य की देयता अग्रिम खर्चो के साथ-साथ ऋण/भुगतान से

संबंधित डाटा की सभी भागीदार राज्यों को शीघ्र आपिर्त करेगा, जिस पर की भागीदार राज्य 31-03-2020 तक अपनी सहमति प्रदान करेंगे।

**<u>मद संख्या 234.07</u>**

**ग्रेटर नोएडा में 4से 10 अप्रैल,2020 तक इंडियन एक्सपो मार्ट में बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आईसीओएलडी) में बीबीएमबी की भागीदारी।**

सचिव, बीबीएमबी ने कार्यसूची का संक्षिप्त विवरण दिया।

सदस्य/सिंचाई ने बताया कि सम्मेलन को सितम्बर, 2020 के लिए स्थगित कर दिया गया है और इस तरह इस कार्यसूची को आस्थगित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने बताया कि सदस्य/सिंचाई ने इस मसले पर उनके विरूद्व कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं। यह ज्ञात हुआ है कि सदस्य/सिंचाई ने बोर्ड के सभी सदस्यों को संबोधित एक असंतुष्ट नोट भेजा है। हालांकि इस नोट को बोर्ड के सभी सदस्यों को संबोधित किया गया है, लेकिन नोट की प्रति अध्यक्ष और सदस्य/विद्युत को नहीं भेजी गई है। अपने असंतुष्ट नोट में सदस्य/सिंचाई ने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष बीबीएमबी आईसीओएलडी के अध्यक्ष पद के लिए अपना पक्ष जुटा रहे हैं और आईसीओएलडी को बढ़ावा देने के लिए बीबीएमबी के संसाधनों का प्रयोग कर रहें है। अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सदस्य/सिंचाई द्वारा बिना उनके संज्ञान में लाए पत्र के वितरण पर कड़ा विरोध किया और कहा कि उनके विरूद्व लगाया गया आरोप बिल्कुल गलत, निराधार, मनगढ़त है इसमें दुर्भावनापूर्ण इरादा है। अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे आईसीओएलडी 2020 सम्मेलन के दौरान होने वाली वार्षिक बैठक और आम सभा में आईसीओएलडी बोर्ड का कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आईसीओएलडी 2020 सम्मेलन में भाग लेने के लिए बीबीएमबी अधिकारियों को नामित करने के प्रस्ताव को बीबीएमबी की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया गया था, जो बीबीएमबी के पुराने बांधो और विद्युत गृहों के परिचालन और अनुरक्षण में आने वाली चुनौतियों के मददेनजर है और संगठन के हित में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए बीबीएमबी अधिकारियों को नामित करने की शक्तियां उनके पास है।

सदस्य/सिंचाई, बीबीएमबी ने कहा कि बीबीएमबी के केवल 4 अधिकारियों को पुणे में आयोजित एनएचपी सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी गई थी और यहां तक कि उन्हें इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इस संबंध में अध्यक्ष, बीबीएमबी ने बताया कि 03-06-2019 से 08-01-2020 के बीच सदस्य/सिंचाई ने 16 सम्मेलनों/सेमिनारों/ पाठयक्रमों आदि के लिए अपना नाम प्रस्तावित किया है, जिसमें से 8कार्यक्रमों के लिए प्रतिभागिता के लिए उनके नाम को मंजूरी दी गई थी। पुणे में एनएचपी सम्मेलन के लिए बीबीएमबी में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियाजना के लिए काम करने वाले तीन अधिकारियों को नामित किया गया था। आयोजकों के दिशा-निर्देश के अनुसार, दो से तीन अधिकारियों को नामित किया जाता था। अध्यक्ष, बीबीएमबी को आयोजकों के तकनीकी पक्ष की अध्यक्षता

करने और सम्मेलन के दौरान एक तकनीकी पेपर प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

सदस्य (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) ने उल्लेख किया कि आईसीओएलडी एक बहुत ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो बांध तकनीक में ज्ञान और अनुभव के आदान-प्रदान के लिए मंच प्रदान करता है। आईसीओएलडी विशेष रूप से वर्तमान समस्याओं के विषय पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है और इसमें 28 तकनीकी समितियां है जो अभियान्त्रिकी अभिकल्प निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के क्षेत्र पर कार्य कर रही है।

उन्होंने आगे सूचित किया कि ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे एनटीपीसी एनएचपीसी, एसजेवीएनएल, टीएचडीसी इत्यादि इस कार्यक्रम में अपने पेशेवरों को नामित कर रहे हैं।

सदस्य (भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय) ने भी सदस्य (भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय) के विचारों का समर्थन किया और कहा कि भारत में हो रहे इस सम्मेलन में भाग लेने का एक अवसर मिला है, जिसमें बीबीएमबी के अपने अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। इस पर सदस्य/हरियाणा और सदस्य/पंजाब भी सहमत थे कि इस सम्मेलन में बीबीएमबी की भागीदारी बीबीएमबी के अभियन्ताओं/पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए उपयोगी सिद्व होगी।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत ऐजेंडा नोट में शामिल प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। क्योंकि यह एंजेडा अध्यक्ष की शक्तियों के अंतर्गत था, इसलिए बोर्ड द्वारा इसकी स्वीकृति को भविष्य में पूर्वता नहीं माना जाएगा।

**<u>मद संख्या 234.08</u>**

**वर्ष 2018-19 के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट।**

बोर्ड द्वारा वार्षिक रिपोर्ट (2018-19) को अनुमोदित किया गया।

**<u>मद संख्या 234.13</u>**

**बीबीएमबी में खुले बाजार से अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों के लिए परिलब्धियों का संवर्धन।**

सचिव, बीबीएमबी ने संक्षिप्त रूप से एंजेंडा समझाया।

सदस्य/हरियाणा ने बीबीएमबी द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त चिकित्सकों के वर्तमान और प्रस्तावित परिलब्धियों को जानना चाहा। इस संबंध में सचिव, बीबीएमबी ने सूचित किया कि वर्तमान में सामान्य वर्ग (एमबीबीएस) तथा स्पेशलिस्ट (पोस्ट ग्रेजुएट) चिकित्सकों की प्रतिमाह परिलब्धियों क्रमश 50000/- तथा 60000/- रूपये है, जिसे पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही परिलब्धियों के अनुसार क्रमश: 60000/- रूपये प्रति माह 3% वार्षिक वृद्धि सहित तथा 100000/- रूपये प्रतिमाह 3% वार्षिक वृद्धि सहित बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

सदस्य (भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय) ने यह जानना चाहा कि क्या बीबीएमबी द्वारा पहले से नियुक्त चिकित्सकों के लिए भी प्रस्तावित बढ़ोतरी लागू होगी या नहीं। इस संबंध में सचिव, बीबीएमबी ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित परिलब्धियां बीबीएमबी द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त सभी मौजूदा चिकित्सकों के लिए बोर्ड के निर्णय की अधिसूचना की तिथि से लागू होंगी।

विचार-विमर्श के उपरांत, बोर्ड ने एजेंडा नोट में शामिल प्रस्ताव के अनुसार चिकित्सकों की परिलब्धियों को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर दी।

**<u>मद संख्या 234.14</u>**

**माननीय उच्च न्यायाल, हिमाचल प्रदेश शिमला के एलपीए नं 89/2019 दिनांक 21-11-2019 के अनुरूप दिनांक 17-05-2010 से 30-11-2010 तक संयुक्त निदेशक/कार्मिक कम विधिक का तदर्थ आधार पर** अधिसंख्य **पद सृजन करने के फैसले को क्रियान्वित करने संबंधी।**

सचिव, बीबीएमबी ने एजेंडे को संक्षिप्त रूप में समझाया।

सदस्य/राजस्थान के प्रतिनिधि ने कहा कि उनके विधि विभाग ने इस मामले में एसएलपी दायर करने की सलाह दी है कि माननीय न्यायालय किसी व्यक्ति को लाभ देने के लिए एक अधिसंख्य पद सृजित करने के लिए संगठन को निर्देशित नहीं कर सकता है। इस पर सदस्य (भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय) ने सचिव, बीबीएमबी से वित्तीय निहितार्थ और भविष्य में निर्णय के किसी भी परिणाम को सूचित करने के लिए कहा। इस संबंध में सचिव, बीबीएमबी ने सूचित किया कि अधिकारी को दिए जाने वाले बकाये का वित्तीय निहितार्थ चार लाख रूपये का आदेश होगा और भविष्य का कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि इस मामले में अनूठे तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत निर्णय सुनाया गया है।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत बोर्ड ने निर्णय लिया कि वह मामले में एसएलपी दाखिल नहीं करे और एजेंडा नोट में शामिल प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई।

**<u>मद संख्या 234.15</u>**

**बग्गी विद्युत घर परियोजना-वित्तीय निहितार्थ और डीओपी (डेलीगेशन आफ पावर) का संशोधन।**

मुख्य अभियन्ता/उत्पादन, बीबीएमबी ने एजेंडा प्रस्तुत किया और सूचित किया कि 20-12-2019 को आयोजित पिछली बोर्ड की बैठक के दौरान यह वांछित था कि परियाजना की लागत, उत्पादन लागत अन्य प्रासंगिक बिन्दुओं के साथ-साथ लेविलाइज्ड शुल्क (यानि जल विद्युत नीति और उनके वित्तीय निहितार्थ के संदर्भ में एचपी द्वारा प्रस्तुत एमओयू के नियमों एवं शर्तो का विचलन) को आगामी बोर्ड की बैठक में रखा जाए। उन्होंने कहा कि अपेक्षित विवरणों के अनुसार काम किया गया है और तत्काल एजेंडे में चर्चा की गई।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने अवगत कराया कि परियोजना की प्रति मेगावाट लागत लगभग 06 करोड़ रूपये प्रति मेगावाट है जबकि जल परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय औसत लागत लगभग 9.83 करोड़ प्रति मेगावाट है। इसके अतिरिक्त रूपये 5 से 6 प्रति युनिट के हिसाब से रूपये 2.66 प्रति युनिट की दर से स्तरित शुल्क (पनबिजली परियोजना के लिए रूपये 10 से 11 करोड़/मेगावाट के लिए) काफी उचित है। सदस्य (भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय) ने बताया कि स्तरित लागत के लिए किए गए परियोजना के ईएण्डएम कार्यो की प्रति मेगावाट लागत हायर साइड पर दिखाई पड़ती है। इस पर अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सूचित किया कि निविदा के समय ईएण्डएम कार्यों की लागत कम है, स्तरित शुल्क तदनुसार कम हो जाएगा।

सदस्य/हरियाणा ने परियोजना के निष्पादन के साथ आगे बढ़ने के लिए सहमति व्यक्त की, जैसाकि सदस्य/पंजाब और सदस्य/हरियाणा के प्रशन के संबंध में सदस्य (भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय) द्वारा यह सूचित किया गया कि 13% निशुल्क ऊर्जा और 1.5% एलएडीएफ शर्ते जल नीति के अनुसार है और इसलिए इसे कम नहीं किया जा सकता। तथापि सदस्य/सिंचाई, बीबीएमबी हिमाचल प्रदेश को 13% निशुल्क ऊर्जा और 1-5% एलएडीएफ प्रदान करने के लिए सहमत नहीं थे।

विचार-विमर्श के उपरांत, बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बीबीएमबी परियोजना के निर्माण/कार्यान्वयन को तुरन्त आगे बढ़ाएगा। बीबीएमबी एमओयू की शर्तो और डीपीआर के अनुमोदन के अनुसार डीपीआर की तैयारी करेगा। बीबीएमबी परियोजना के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेगा।

इस बीच, बग्गी विद्युत घर के लिए 13% निशुल्क ऊर्जा और 1.5% एलएडीएफ क्लॉज की छूट का मामला हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा जाना चाहिए। बीबीएमबी एमओयू पर हस्ताक्षर करने के साथ आगे बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार की जो भी प्रतिक्रिया होगी, बोर्ड के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत की जाएगी। यह भी चाहा गया कि कार्यसूची में अनुमानित लागतों की गणना का विवरण सदस्य/राजस्थान के प्रतिनिधि को उपलब्ध कराया जाए।

आगे यह निर्णय लिया गया कि डीओपी के संशोधन और जनशक्ति की तैनाती के संबंध में जैसा कि एजेंडा में प्रस्ताव शामिल है, आगामी बोर्ड की बैठक में चर्चा की जाए।

## 3.1 बीबीएमबी की जनशक्ति

दिनांक 31.03.2020 को सम्पूर्ण बीबीएमबी के लिए कुल स्वीकृत पदों तथा नियुक्त कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार है:-

| स्थापना की श्रेणी | स्वीकृत पदों की संख्या | कार्यरत कार्मिक |
|---|---|---|
| समूह क | 613 | 479 |
| समूह ख | 1512 | 1914 |
| समूह ग | 4761 | 3004 |
| समूह घ | 5185 | 3284 |
| **योग** | **12071** | **7681** |

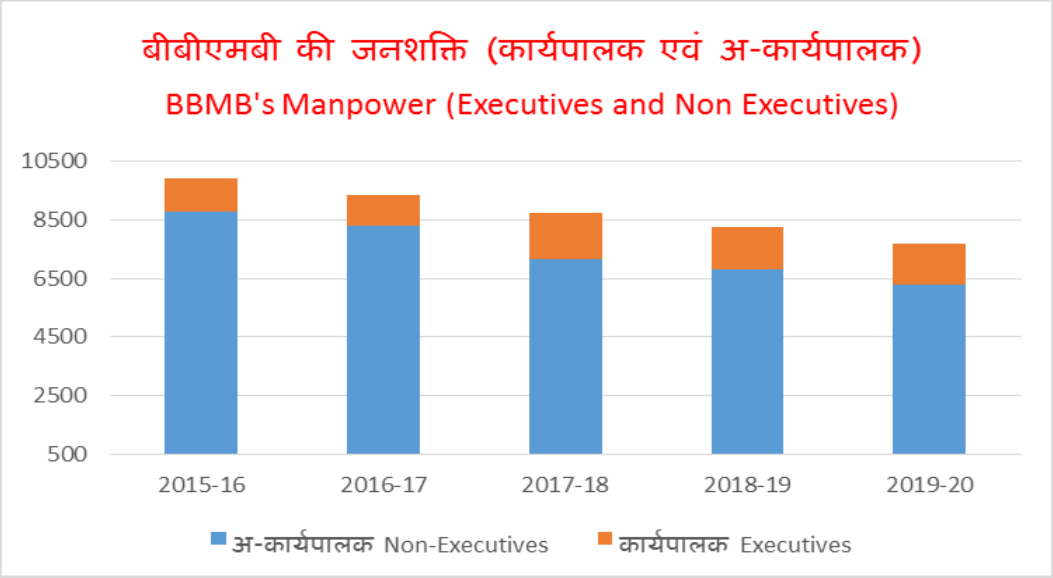

## 3.2 बीबीएमबी सचिवालय

अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, बोर्ड के मुख्य कार्यपालक हैं और दो पूर्णकालिक सदस्य, अर्थात सदस्य (सिंचाई) और सदस्य (विद्युत) उनकी सहायता करते हैं।

### क. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.3.2020 को बीबीएमबी सचिवालय, चण्डीगढ़ तथा उप सचिव/समन्वय कार्यालय, नई दिल्ली सहित केन्द्रीय कार्यालय में संस्वीकृत एवं नियुक्त स्टाफ की संख्या निम्नानुसार है:-

| **स्थापना की श्रेणी** | **स्वीकृत पदों की संख्या** | **कार्यरत कार्मिक** |
|---|---|---|
| समूह-क | 72 | 58 |
| समूह-ख | 83 | 68 |
| समूह-ग | 141 | 99 |
| समूह-घ | 141 | 63 |
| **योग** | **437** | **288** |

**ख. अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आबंटन (दिनांक 31.3.2020 को बीबीएमबी सचिवालय के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत) :-**

| श्रेणी | पंजाब | हरियाणा | राजस्थान | हिमाचल प्रदेश | केन्द्र सरकार | अन्य | पंजाब पावर यूटिलिटीज़ | हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ | राजस्थान पावर यूटिलिटीज़ | **एचपीएसईबीएल** | बीबीएमबी | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | नियमित | संविदा आधार पर | तदर्थ | अन्य | कुल योग |
| समूह-क | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 9 | - | | 0 | 58 |
| समूह-ख | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 25 | - | | 0 | 68 |
| समूह-ग | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | **10** | **1** | **0** | **1** | **70** | - | | 0 | 99 |
| समूह-घ | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | **5** | **0** | **1** | **0** | **31** | - | | 0 | 63 |
| योग | 44 | 40 | 9 | 0 | 0 | **0** | **31** | **14** | **1** | **14** | **135** | | | 0 | 288 |

## 3.3 सिंचाई खंड

सिंचाई खंड के तीन परियोजना स्थलों का नेतृत्व मुख्य अभियन्ता/भाखड़ा बांध, नंगल, मुख्य अभियन्ता/ब्यास बांध, तलवाड़ा और मुख्य अभियन्ता/ब्यास सतलुज लिंक, सुन्दरगनर करते हैं। जल विनियम मामलों के लिए निदेशक/जल विनियम, नंगल उत्तरदायी हैं।

## बीबीएमबी (सिंचाई खंड) की संगठनात्मक व्यवस्था
## Organisational Set-Up Of BBMB (Irrigation Wing)

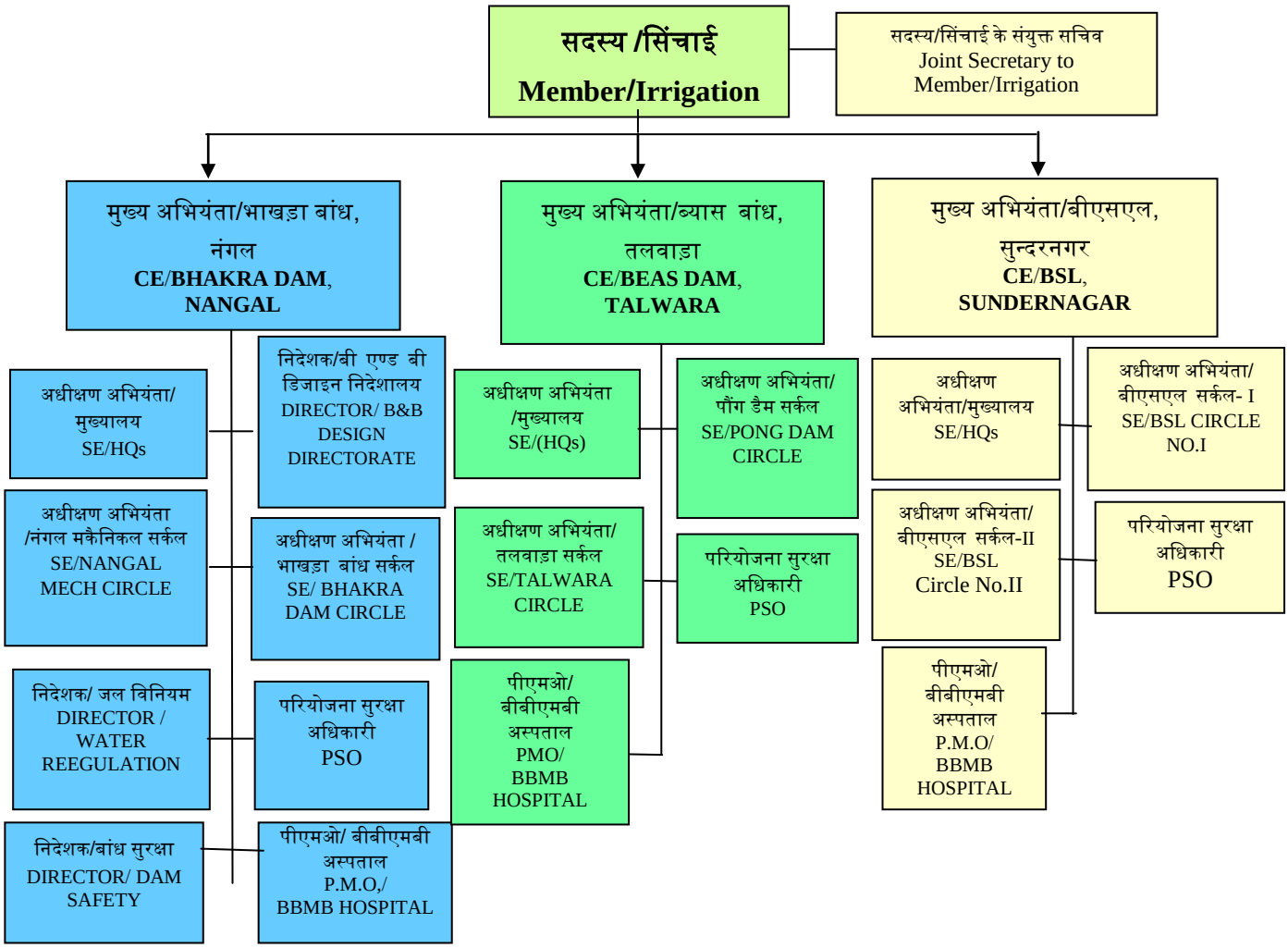

## क. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.3.2020 को नियमित स्थापना के स्वीकृत पदों तथा नियुक्त स्टाफ की संख्या निम्नलिखित है:-

| **स्थापना की श्रेणी** | **स्वीकृत पदों की संख्या** | **कार्यरत कार्मिक** |
|---|---|---|
| समूह-क | 210 | 149 |
| समूह-ख | 646 | 359 |
| समूह-ग | 2614 | 1807 |
| समूह-घ | 3387 | 2339 |
| **योग** | **6857** | **4654** |

## ख. अधिकारियों/कर्मचारियों का आबंटन (दिनांक 31.3.2020 को विभिन्न संगठनों से नियुक्त)

| श्रेणी | पंजाब | हरियाणा | राजस्थान | हिमाचल प्रदेश | केन्द्र सरकार | अन्य | पंजाब पावर यूटिलिटीज़ | हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ | राजस्थान पावर यूटिलिटीज़ | **एचपीएसईबीएल** | बीबीएमबी | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | नियमित | संविदा आधार पर | तदर्थ | अन्य | कुल योग |
| समूह-क | 60 | 27 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 | 0 | | | 149 |
| समूह-ख | 125 | 74 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | 128 | 0 | | | 359 |
| समूह-ग | 724 | 15 | 7 | 15 | 0 | 0 | 14 | 8 | 3 | 27 | 994 | 0 | | | 1807 |
| समूह-घ | 731 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | **3** | **0** | **0** | **1** | 1572 | 0 | | | 2339 |
| योग | 1640 | 143 | 29 | 28 | 0 | 0 | 25 | 10 | 4 | 65 | 2710 | 0 | | | 4654 |

## 3.4 विद्युत खंड

बीबीएमबी के विद्युत खंड के अंतर्गत तीन मुख्य अभियन्ता अर्थात: मुख्य अभियन्ता/पारेषण प्रणाली, चण्डीगढ़, मुख्य अभियन्ता/उत्पादन, नंगल और मुख्य अभियन्ता/प्रणाली परिचालन, चण्डीगढ़ क्रमश: पारेषण, उत्पादन तथा प्रणाली परिचालन खंड का नेतृत्व करते हैं ।

### बीबीएमबी विद्युत खंड की संगठनात्मक व्यवस्था

### Organisational set up of BBMB (Power Wing)

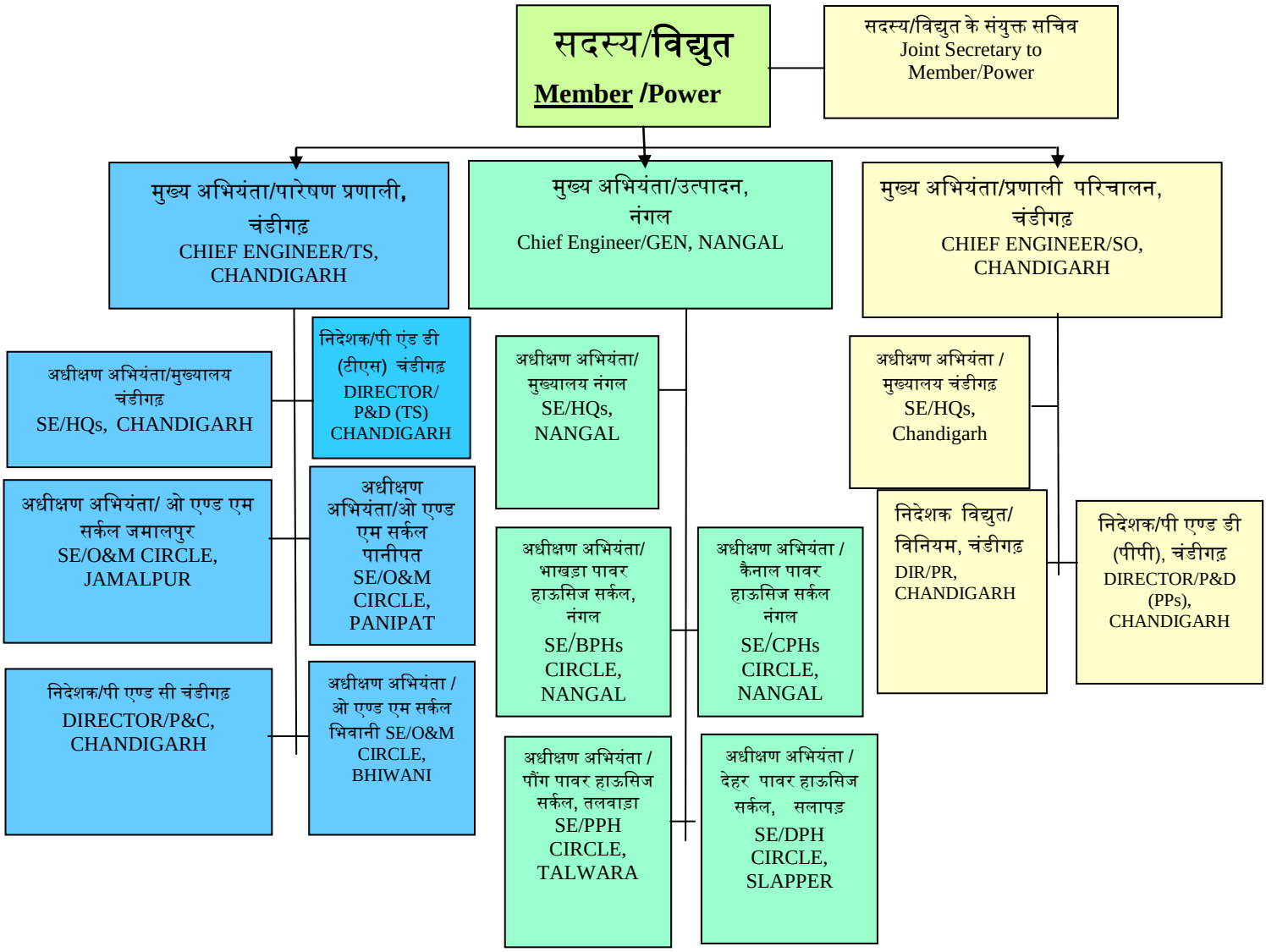

क. **स्टाफ की संख्या**

दिनांक 31.3.2020 को नियमित स्थापना के स्वीकृत पदों तथा नियुक्त स्टाफ की संख्या निम्नलिखित है:-

| **स्थापना की श्रेणी** | **स्वीकृत पदों की संख्या** | **कार्यरत्त कार्मिक** |
|---|---|---|
| समूह-क | 296 | 243 |
| समूह-ख | 641 | 386 |
| समूह-ग | 1838 | 1006 |
| समूह-घ | 1564 | 829 |
| **योग** | **4339** | **2464** |

**ख. अधिकारियों/कर्मचारियों का आबंटन (दिनांक 31.3.2020 को विभिन्न संगठनों से नियुक्त)**

| श्रेणी | पंजाब | हरियाणा | राजस्थान | हिमाचल प्रदेश | केन्द्र सरकार | अन्य | पंजाब पावर यूटिलिटीज़ | हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ | राजस्थान पावर | **एचपीएसईबीएल** | बीबीएमबी | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | नियमित | संविदा | तदर्थ | अन्य | कुल योग |
| समूह-क | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 76 | 35 | 19 | 25 | 0 | | 1 | 243 |
| समूह-ख | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 62 | 31 | 10 | 185 | 0 | | 0 | 386 |
| समूह-ग | 85 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 50 | 20 | 1 | 756 | 0 | | 0 | 1006 |
| समूह-घ | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 16 | 0 | 723 | 0 | | 0 | 829 |
| योग | 157 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 252 | 196 | 102 | 30 | 1689 | | | 1 | 2464 |

## 3.5 वित्त, लेखे तथा लेखा परीक्षा

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी बोर्ड के "निजी खाता लेखा" के परिचालन के लिए तथा लेखों से सम्बन्धित आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए प्रधान अधिकारी हैं। वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी का कार्य तिहरा है, अर्थात्:

क) सभी वित्तीय मामलों में बोर्ड का वित्तीय सलाहकार।

ख) बोर्ड की आय तथा व्यय लेखे संकलित करने के लिए मुख्य लेखा अधिकारी तथा

ग) बोर्ड के वित्तीय लेन-देन की आन्तरिक लेखा-परीक्षा तथा संवीक्षा के लिए मुख्य आन्तरिक लेखा-परीक्षक ।

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी बीबीएमबी की संगठनात्मक व्यवस्था

***Organisational Set-Up Of FA & CAO, BBMB***

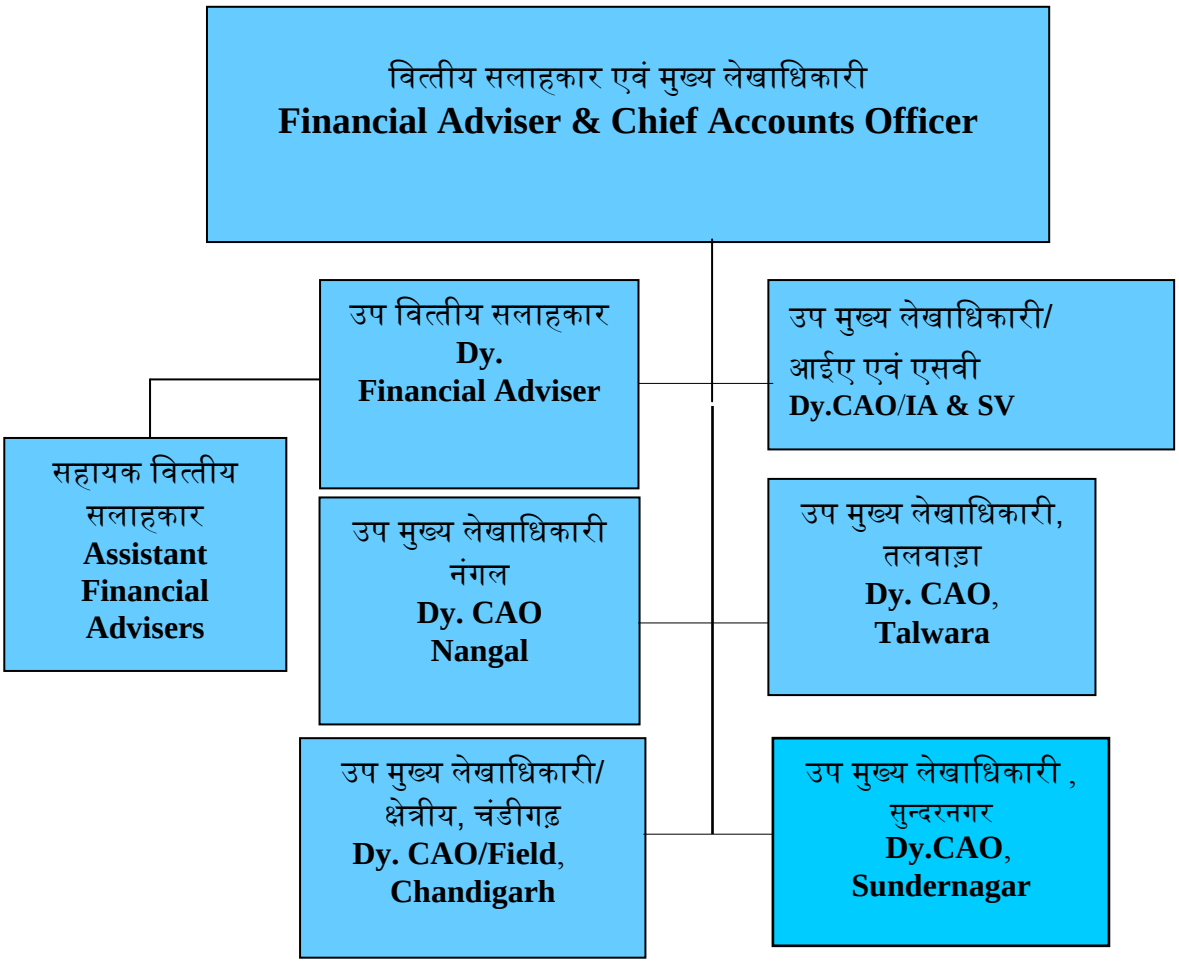

## क. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.03.2020 को नियमित स्थापना के स्वीकृत पदों तथा नियुक्त कार्मिकों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

| **स्थापना की श्रेणी** | **स्वीकृत पदों की संख्या** | **कार्यरत कार्मिक** |
|---|---|---|
| समूह-क | 35 | 29 |
| समूह-ख | 142 | 101 |
| समूह-ग | 168 | 92 |
| समूह-घ | 93 | 53 |
| **योग** | **438** | **275** |

ख. **अधिकारियों/कर्मचारियों का आबंटन (दिनांक 31.03.2020 को विभिन्न संगठनों से नियुक्त)**

| श्रेणी | पंजाब | हरियाणा | राजस्थान | हिमाचल प्रदेश | केन्द्र सरकार | अन्य | पंजाब पावर यूटिलिटीज़ | हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ | राजस्थान पावर यूटिलिटीज़ | एचपीएसईबीएल | बीबीएमबी | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | नियमित | संविदा | तदर्थ | अन्य | कुल योग |
| समूह-क | 3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | NA | | 0 | 29 |
| समूह-ख | 24 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 2 | 26 | NA | | 1 | 101 |
| समूह-ग | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 44 | NA | | 0 | 92 |
| समूह-घ | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | NA | | 0 | 53 |
| योग | 72 | 40 | 1 | 7 | 2 | 0 | 41 | 11 | 1 | 2 | 97 | | | 1 | 275 |

## भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड की वित्तीय समीक्षा

- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79(1) के अंतर्गत अधिनियम की धारा 79 में उल्लेखित कार्यों के प्रशासन, परिचालन और अनुरक्षण हेतु भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 79 की उप धारा 5 के अनुसार तत्कालीन पंजाब के उत्तराधिकारी राज्यों की सरकारों और राजस्थान राज्य के लिए हमेशा भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के अपने कार्यों के निर्वहन हेतु सभी अपेक्षित खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक निधि जुटाना अपेक्षित है। बोर्ड वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के परामर्श से भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड नियमों के नियम 11 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट आकलन के साथ-साथ चालू वर्ष के लिए संशोधित बजट आकलन तैयार करता है।
- सिंचाई खण्ड के राजस्व खर्चे का वित्तपोषण भागीदार राज्यों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों अर्थात बीबीएमबी द्वारा सहमत अनुपातों में उनके अपने निजी संसाधनों से किया जाता है। इसी प्रकार, विद्युत खण्ड का राजस्व खर्च, आंशिक रूप में सामान्य पूल उपभोक्ताओं से की गई प्राप्तियों से और शेष में भागीदार पावर यूटीलिटीज़ द्वारा सहमत अनुपात में उनके अपने संसाधनों से पूरा किया जाता है।
- भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपनी दिनांक 31.10.2011 की अधिसूचना सं.2/13/96-बीबीएमबी (वाल्यूम-VI) के द्वारा दिनांक 01.11.2011 से भाखडा-नंगल और ब्यास परियोजनाओं से विद्युत खण्ड के ऊर्जा के आबंटन के हिस्से में संशोधन किया है।
- विद्युत खण्ड की राजस्व प्राप्तियों के हिस्से को घटाने के बाद भागीदार राज्य सरकारों/भागीदार पावर यूटीलिटीज़ के वर्ष 2019-20 के बजट पर आधारित दायित्व निम्नानुसार निश्चित किए गए हैं:-

**(लाख ` में)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| पंजाब | 15483.19 | पीएसपीसीएल | 28137.01 |
| हरियाणा | 10105.86 | एचवीपीएनएल | 23211.24 |
| राजस्थान | 12695.48 | आरआरवीपीएनएल | 15100.34 |
| | | एचपीएसईबी लिमिटेड | 4133.83 |
| | | यूटी, चण्डीगढ़ | 2012.30 |

- भागीदार राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा दी गई अग्रिम राशि भारत सरकार के पब्लिक अकाउंट में खोले गए वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के निजी खाता लेखे (पीएलए) में जमा कराई जाती है। जब भी खर्चा किया जाता है

तो राज्य सरकार/राज्य भागीदार पावर यूटीलिटीज़ का आनुपातिक हिस्सा, राज्य सरकारों/भागीदार पावर यूटीलिटीज़ के लेखों में ब्यौरा देने हेतु सम्बन्धित महालेखाकार/भागीदार पावर यूटीलिटीज़ को भेज दिया जाता है।

1 भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का पीएलए जो समीक्षाधीन पूरे वर्ष के दौरान सकारात्मक रहा, वह 31 मार्च 2020 को 18236.30 लाख के जमा बकाया के साथ बंद हुआ।

2. लेखांकन की पीडब्लयूडी प्रणाली का अनुकरण किया जा रहा है और वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है।

3. i) नोशनल परिचालन खर्च (विद्युत खण्ड को प्रभार्य) ` 75926.18 लाख

ii) विद्युत उत्पादन(मि.यू) उत्पादित यूनिटें (एक्स-बस) 12018.73 एमयू

4. ऊर्जा का प्रति यूनिट नोशनल परिचालन खर्च (उत्पादन एवं पारेषण) 63.18 पैसे

5. **ऊर्जा बिक्री से प्राप्त राजस्व : 30418.03 लाख** `

जमा की गई राशि:

i) पी.एस.पी.सी.एल = 13230.41 लाख `

ii) एच.वी.पी.एन.एल. = 9705.65 लाख `

iii) आर.आर.वी.पी.एन.एल = 4736.63 लाख `

iv) एचपीएसईबी लिमिटेड = 1846.49 लाख `

v) यूटी, चण्डीगढ़ = 898.85 लाख `

वर्ष 2019-20 में उर्जा विक्री राजस्व का पाई चार्ट

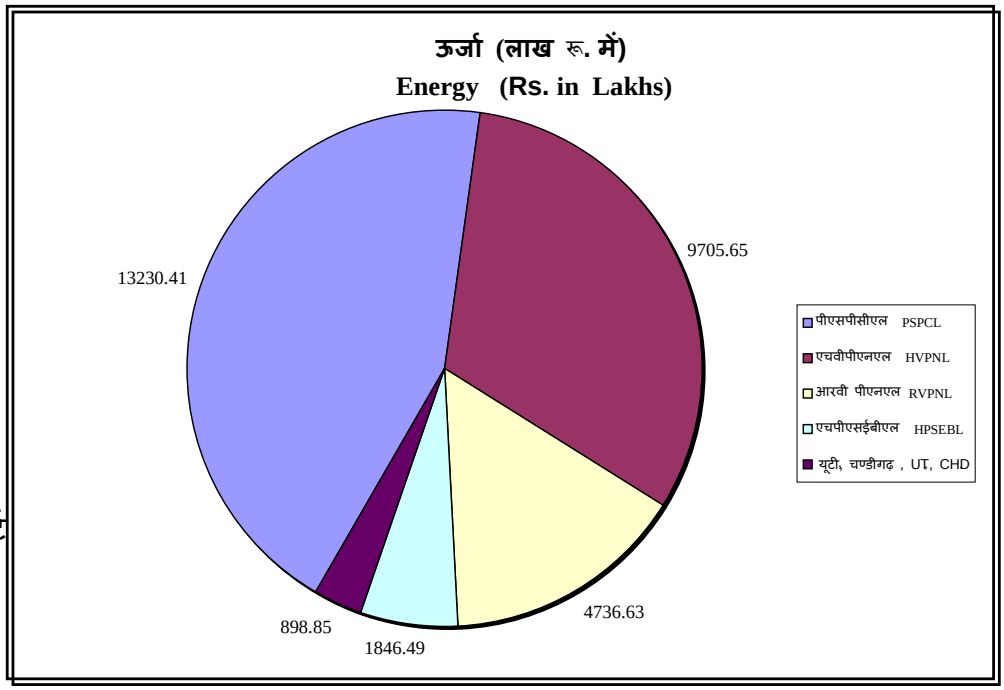


चार्ट

6. **जल बिक्री से राजस्व तथा अन्य विविध प्राप्तियां: `2695.37 लाख जमा की गई राशि:**

(i) पंजाब राज्य = 1258.34 लाख `

(ii) हरियाणा राज्य = 838.89 लाख `

(iii) राजस्थान राज्य = 598.14 लाख `

वर्ष 2019-20 के दौरान जल विक्री राजस्व का पाई चार्ट

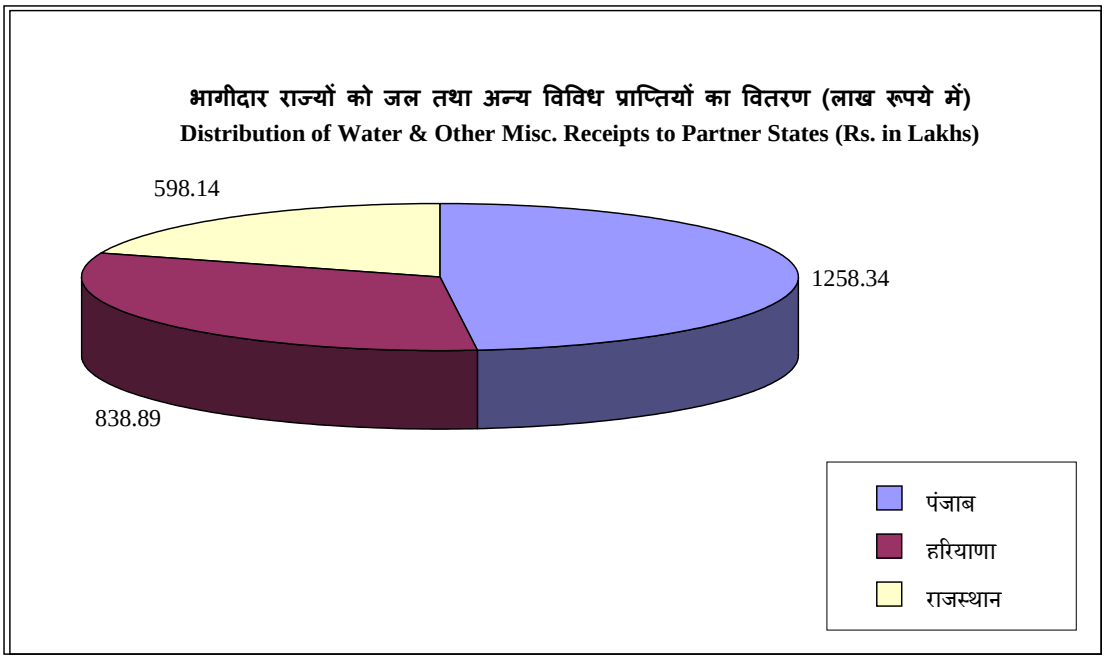


नोटः- वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्त राजस्व रू.333.38 लाख राजस्व वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के हिस्से को क्रमशः रू.184.04, 122.70 व रू.27.14 लाख भुगतान किया गया ।

**7. पूंजीगत व्यय** **(लाख ` में)**

| | **पंजाब सरकार** | **हरियाणा सरकार** | **राजस्थान सरकार** | **कुल** |
|---|---|---|---|---|
| भाखड़ा | **-131.44** | **-87.62** | **-39.33** | **-258.39** |
| ब्यास (अवशिष्ट कार्य) | **1.53** | **-6.00** | **0.09** | **-4.38** |

## 8. भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का कुल खर्च (कार्य तथा स्थापना)।

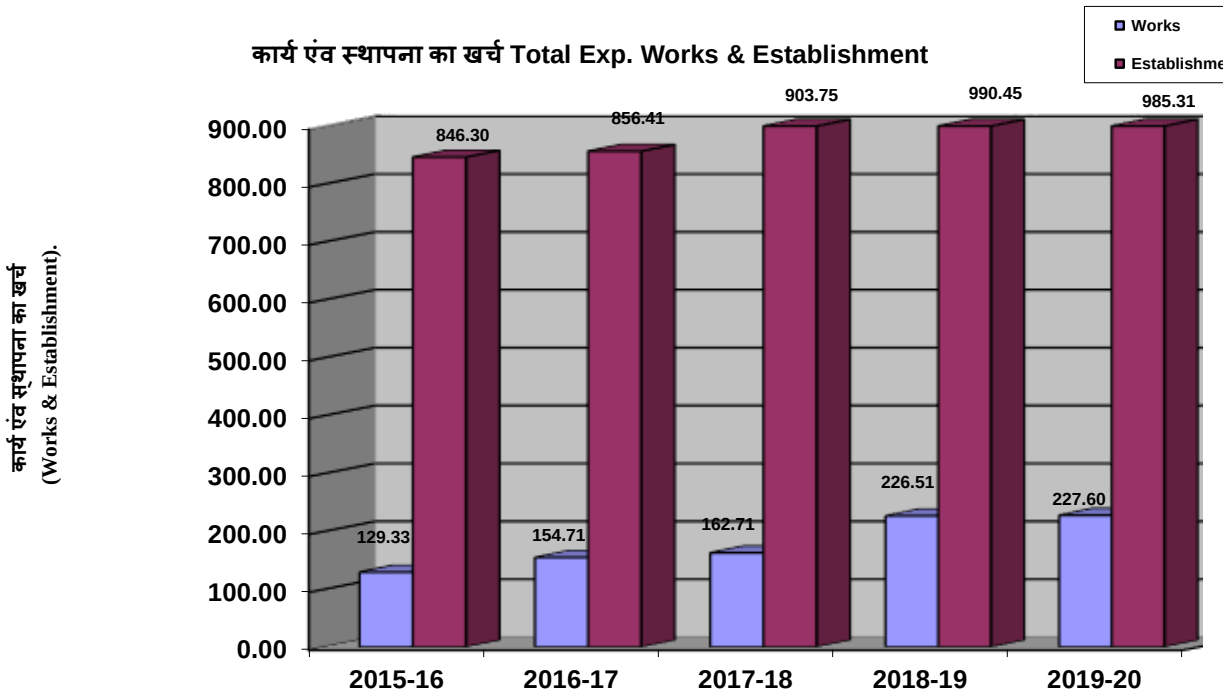


रूपये करोड़ो में

| व्यय | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| **कार्य** | 129.33 | 154.71 | 162.71 | 226.51 | 227.60 |
| **स्थापना** | 846.30 | 856.41 | 903.75 | 990.45 | 985.31 |

## 4.1 विद्युत खण्ड

### 4.1.1 (क) लाभानुभोगी

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 31.10.2011 की अधिसूचना सं.2/13/96-बीबीएमबी (वाल्यूम-VI) के द्वारा नियत आबंटन के अनुसार दिनांक 01.11.2011 से निम्नलिखित लाभानुभोगी राज्य बीबीएमबी परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त कर रहें हैं:-

क) पंजाब

ख) हरियाणा

ग) राजस्थान

घ) हिमाचल प्रदेश

ड.) संघीय क्षेत्र, चंडीगढ़

(ख) **सामान्य पूल उपभोक्ता**

| | | |
|---|---|---|
| क. | राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नया नंगल | 1.02 लाख यूनिट/दिन |
| ख. | पुराना हिमाचल प्रदेश | 1.2 लाख यूनिट/दिन |
| ग. | राजस्थान में उर्वरक कारखाने के लिए बिजली की आपूर्ति | 5.0 लाख यूनिट/दिन |
| घ. | संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़ | 1.0 लाख यूनिट/दिन जमा 10 लाख यूनिट/दिन की विशेष सहायता |
| ड. | नंगल, तलवाड़ा और बीएसएल कॉम्पलैक्स में सिंचाई शाखा को परियोजना आपूर्तियां | |

### 4.1.2 राजस्व प्राप्तियां और खर्चे

विद्युत खण्ड के राजस्व खर्चे प्रधानत: सामान्य पूल उपभोक्ताओं की राजस्व प्राप्तियों से किए जाते हैं। सामान्य पूल उपभोक्ता की राजस्व प्राप्तियों से राजस्व खर्चों के बढ़ जाने की स्थिति में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अन्तर्गत किए गए उपबन्धों के अनुसार भागीदार राज्य बिजली बोर्ड/पावर यूटीलिटिज़ द्वारा इन अतिरिक्त खर्चों को वहन किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियां, वसूले गए अग्रिम और किए गए खर्च और शेष राशि की स्थिति निम्नानुसार है:

**क राजस्व प्राप्तियां**

राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार है: **(लाख ` में)**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | भाखड़ा | 28090.97 |
| **2** | ब्यास पारेषण लाइनें | 412.47 |

| | | |
|---|---|---|
| **3** | देहर विद्युत संयंत्र, सलापड़ (अन्य प्राप्ति) | 61.80 |
| **4** | देहर विद्युत संयंत्र (विद्युत की बिक्री) | 19.79 |
| **5** | पौंग विद्युत संयंत्र, तलवाड़ा (अन्य प्राप्ति) | 14.58 |
| **6** | पौंग विद्युत संयंत्र (विद्युत की बिक्री) | 16.42 |
| **7** | भाखड़ा आईबी से प्राप्त को जोड़िए | 1623.01 |
| **8** | यूनिट नं. 1 बीएसएल, सुन्दरनगर से प्राप्त को जोड़िए | 60.18 |
| **9** | यूनिट नं.2 पौंग डैम, तलवाड़ा से प्राप्त को जोड़िए। | 118.81 |
| | **योग** | **30418.03** |

**ख राजस्व व्यय**

वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व खर्चों के आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

**(लाख ` में)**

| **क्र.सं.** | **विवरण** | **कार्य** | **स्थापना** | **कुल** |
|---|---|---|---|---|
| **परिचालन एवं अनुरक्षण** | | | | |
| 1. | भाखड़ा बायां किनारा विद्युत संयंत्र/उत्पादन | 65.59 | 5452.83 | 5518.42 |
| 2. | भाखड़ा बायां किनारा विद्युत संयंत्र /पारेषण | 233.86 | 3298.90 | 3532.76 |
| 3. | भाखड़ा दायां किनारा विद्युत संयंत्र /उत्पादन | -270.00 | 3593.68 | 3323.68 |
| 4. | भाखड़ा दायां किनारा विद्युत संयंत्र /पारेषण | 655.40 | 9850.35 | 10505.75 |
| 5. | ब्यास पारेषण लाइनें | 1085.94 | 7094.11 | 8180.05 |
| 6. | देहर विद्युत संयंत्र | 1799.40 | 3853.86 | 5653.26 |
| 7. | पौंग विद्युत संयंत्र | 242.30 | 650.20 | 892.50 |
| 8. | भाखड़ा सिंचाई शाखा से प्राप्त को जोड़िए | 1713.66 | 16221.43 | 17935.09 |
| 9. | ब्यास परियोजना के यूनिट नं. 1 (ब्यास सतलुज लिंक, सुन्दरनगर) से प्राप्त को जोड़िए | 1375.70 | 15645.45 | 17021.15 |
| 10. | ब्यास परियोजना के यूनिट नं. 2 (पौंग डैम, तलवाड़ा) से प्राप्त को जोड़िए | 240.87 | 3122.65 | 3363.52 |
| | **योग** | **7142.72** | **68783.46** | **75926.18** |
| **नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन (आर,एम एण्ड यू)** | | | | |
| 11 | भाखड़ा बायां किनारा विद्युत घर का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन | 11812.17 | -- | 11812.17 |
| | **योग (आर, एम एण्ड यू)** | **11812.17** | **--** | **11812.17** |
| **कुल व्यय (विद्युत खण्ड) (परिचालन एवं अनुरक्षण + नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन)** | | **18954.89** | **68783.46** | **87738.35** |

**ग पूंजीगत व्यय**

पूंजीगत लेखा शीर्ष कोई पूंजीगत व्यय बुक नही किया गया है । तथापि, वर्ष के दौरान नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन योजनाओं से संबंधित व्यय का ब्यौरा 4.1.2 बी में दिया गया है ।

### 4.1.3 राजस्व प्राप्तियों और खर्चों की भागीदारी

विद्युत खण्ड की राजस्व प्राप्तियां और खर्चे भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ के बीच निम्नवर्णित अनुसार बांटे गए है:-

#### क. भाखड़ा काम्प्लैक्स

राजस्व प्राप्तियां और खर्चे जिसमें आर, एम एण्ड यू खर्चे भी शामिल हैं, भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटे गए हैं:

| क्रम.सं. | राज्य विद्युत यूटिलिटी | प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1. | आर.आर.वी.पी.एन.एल. | 15.22% |
| 2. | पी.एस.पी.सी.एल. | 51.80%<br>(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद) |
| 3. | एच.वी.पी.एन.एल | 37.51%<br>(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद) |
| 4. | एच.पी.एस.ई.बी.एल. | 7.19%<br>(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद) |
| 5. | विद्युत विभाग, यूटी., चण्डीगढ़। | 3.5%<br>(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद) |

## ख) ब्यास परियोजना

### (i) ब्यास परियोजना यूनिट-I (देहर विद्युत संयंत्र)

देहर विद्युत संयंत्र से कुल राजस्व प्राप्तियां/खर्चे विद्युत और सिंचाई खण्डों के बीच 94:6 के अनुपात में बांटे जाते हैं। विद्युत क्षेत्र की 94% की शुद्व राजस्व प्राप्तियां/खर्चे भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटे गए हैं:-

| क्रम.सं. | राज्य विद्युत यूटिलिटी | प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1. | आर.आर.वी.पी.एन.एल. | 20% |
| 2. | पी.एस.पी.सी.एल. | 51.80% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद) |
| 3. | एच.वी.पी.एन.एल | 37.51% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद) |
| 4. | एच.पी.एस.ई.बी.एल. | 7.19% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद) |
| 5. | विद्युत विभाग, यूटी., चण्डीगढ़। | 3.5% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद) |

### (ii) ब्यास परियोजना यूनिट-II (पौंग बांध)

पौंग विद्युत संयंत्र से कुल राजस्व प्राप्तियां/खर्चे को सिंचाई और विद्युत खण्डों में 76.5 और 23.5 अनुपात में बांटा जाता है। विद्युत क्षेत्र की 23.5% शुद्ध राजस्व प्राप्तियां/खर्चे का भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटा जाता है:-

| क्रम.सं. | राज्य विद्युत यूटिलिटी | प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1. | आर.आर.वी.पी.एन.एल. | 58.5% |
| 2. | पी.एस.पी.सी.एल. | 51.80% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद) |
| 3. | एच.वी.पी.एन.एल | 37.51% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद) |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | एच.पी.एस.ई.बी.एल. | 7.19% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद) |
| 5. | विद्युत विभाग, यूटी., चण्डीगढ़। | 3.5% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद) |

**(iii) ब्यास पारेषण लाइनें**

दिनांक 01.11.2011 से भागीदार पावर यूटीलिटीज के बीच हिस्से का पुन:आबंटन निम्नानुसार किया गया:-

| क्रम.सं. | राज्य विद्युत यूटिलिटी | प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1. | आर.आर.वी.पी.एन.एल. | 23.80% |
| 2. | पी.एस.पी.सी.एल. | 28.72% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद) |
| 3. | एच.वी.पी.एन.एल | 60.59% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद) |
| 4. | एच.पी.एस.ई.बी.एल. | 7.19% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद) |
| 5. | विद्युत विभाग, यूटी, चण्डीगढ़। | 3.5% (आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद) |

### 4.1.4 भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ पर बकाया ओ एण्ड एम प्रभार

| **विवरण** | **पीएसपीसीएल** | **एचवीपीएनएल** | **आरआरवीपीएनएल** | **एचपीएसईबीएल** | **यूटी, चण्डीगढ़** | **योग** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2019 को बकाया राशि | **9222.77** | **-726.91** | **-271.77** | **-139.87** | **-20.48** | **8063.74** |
| वर्ष के दौरान वसूल की गई राजस्व प्राप्तियां | 13230.41 | 9705.65 | 4736.63 | 1846.49 | 898.85 | 30418.03 |
| वर्ष के दौरान | 17946.62 | 15428.89 | 10984.11 | 2686.91 | 1150.58 | 48197.11 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ द्वारा रिलीज की गई अग्रिम राशि | | | | | | |
| कुल उपलब्ध राशि | 21954.26 | 25861.45 | 15992.51 | 4673.27 | 2069.91 | 70551.40 |
| वर्ष के दौरान किए गए खर्चे | 30025.70 | 24223.45 | 15183.65 | 4367.39 | 2125.99 | 75926.18 |
| **दिनांक 31.03.2020 को उपलब्ध शेष राशि** | **8071.45** | **-1638.01** | **-808.86** | **-305.88** | **56.08** | **5374.78** |

दिनांक 31 मार्च, 2020 को भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ से राजस्व खर्चे में इनके हिस्से की वसूली योग्य राशि की स्थिति निम्नानुसार दी गई है-:

### 4.1.5 दिनांक 31.03.2020 को बकाया राशि का संक्षिप्त विवरण

**(-) अग्रिम**

**(+) वसूली योग्य राशि** **(लाख ` में)**

| **क्रम संख्या** | **राज्य विद्युत यूटिलिटी** | **कुल ओ एण्ड एम प्रभार** | **कुल आर एम एण्ड यू प्रभार** | **कुल बकाया राशि** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पीएसपीसीएल | 8071.45 | 88.30 | 8159.75 |
| 2. | एचवीपीएनएल | -1638.01 | 142.88 | -1495.13 |
| 3. | आरआरवीपीएनएल | -808.86 | 68.42 | -740.44 |
| 4. | एचपीएसईबीएल | -305.88 | 34.44 | -271.44 |
| 5. | संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़ | 56.08 | 75.41 | 131.49 |
| | **योग** | **5374.78** | **409.45** | **5784.23** |

### 4.1.6 बिजली की बिक्री के लिए सामान्य पूल उपभोक्ताओं से बकाया राशि

वर्ष के दौरान मैसर्ज़ राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नया नंगल, पुराना हिमाचल प्रदेश, संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़, राजस्थान उर्वरक कारखाना और भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का सिंचाई खण्ड, सामान्य उपभोक्ता रहे थे। संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़ और हिमाचल प्रदेश (नया) ने तत्कालीन पंजाब राज्य के उत्तराधिकारी होने के आधार पर परियोजना से विद्युत सप्लाई प्राप्त की। विभिन्न सामान्य पूल उपभोक्ताओं तथा अन्य के विरुद्ध 31 मार्च, 2020 को निम्नानुसार राशियॉ बकाया थीं:

**(-) अग्रिम**

**(+) वसूली योग्य राशि**

| **क्र.सं.** | **की गई उर्जा बिक्री** | **लाख ` में** |
|---|---|---|
| 1. | मैसर्ज़ राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नया नंगल<br>-ऊर्जा<br>-पानी की बिक्री | 6.33 |
| 2. | राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के माध्यम से राजस्थान उर्वरक कारखाना | 5439.51 |
| 3. | जम्मू एवं कश्मीर | 679.69 |
| 4. | सिंचाई खण्ड नंगल | -0.24 |
| 5. | ब्यास सतलुज लिंक परियोजना | 15.71 |
| 6. | ब्यास परियोजना | 2.82 |
| 7. | संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़,<br>(निर्धारित आबंटन 3.5 प्रतिशत) | 12328.86 |
| 8 | संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़ (विशेष सहायता) 10 लाख/दिन | 1059.66 |
| 9. | संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़ (एक लाख/दिन) | 105.97 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड(पुरानी पूर्ती ) | 79.00 |
| | **योग** | **19717.31** |

### 4.1.7 अन्य बकाया राशि

**क) पूल कृत पारेषण हानियां**

| क्र.सं. | विवरण | लाख ` में |
|---|---|---|
| 1. | पी.एस.पी.सी.एल. | - 2.89 |
| 2. | एच.वी.पी.एन.एल. | 0.01 |
| 3. | उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड | 0.01 |
| 4. | संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़ | 0.01 |
| 5. | जम्मू एवं कश्मीर | 2.43 |
| | **योग** | **- 0.43** |

**ख) व्हीलिंग प्रभार (समयपुर)**

| क्र.सं. | विवरण | लाख ` में |
|---|---|---|
| 1. | उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड | -2.72 |
| 2. | दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीईएसयू) | 13.06 |
| 3. | जम्मू और कश्मीर | 1111.82 |
| | **योग** | **1122.16** |

**ग) व्हीलिंग प्रभार (बैरासूल)**

| क्र.सं. | विवरण | लाख ` में |
|---|---|---|
| 1. | दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीईएसयू) | 102.91 |
| 2. | हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) | 316.85 |
| | **योग** | **419.76** |

**घ) केन्द्रीय विद्युत शुल्क**

| क्र.सं. | विवरण | लाख ` में |
|---|---|---|
| 1. | संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़ | 59.33 |
| 2. | ब्यास सतलुज लिंक परियोजना | 3.01 |
| | **योग** | **62.34** |

**ड़) 132 केवी, देहर-शिमला लाइन पर नियंत्रण उपकरण का अनुरक्षण प्रभार**

| क्र.सं. | विवरण | लाख ` में |
|---|---|---|
| 1. | हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड | 4.43 |
| | **योग** | **4.43** |

**कुल योग** **`21325.57 लाख में**

### 4.1.8 ऊर्जा आबंटन/बिक्री

सामान्य पूल उपभोक्ताओं से विद्युत के विक्रय द्वारा राजस्व एकत्र किया जा रहा है जबकि राज्य बिजली बोर्डों को ऊर्जा हर एक परियोजना में उनके हिस्से के अनुसार आबंटित की जाती है। राज्य विद्युत यूटीलिटीज़ के साथ-साथ सामान्य पूल उपभोक्ताओं को किए गए आबंटन का विवरण निम्नलिखित है:-

**(आंकडे मिलियन यूनिट में)**

| परियोजना | पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड | हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड पुराने हिमाचल सहित | संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़ | राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड | अन्य सामान्य पूल उपभोक्ता | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भाखड़ा कॉम्प्लेक्स | 2843.73 | 2117.19 | 1196.29 | 449.78 | 600.18 | 20.42 | 20.12 | 7247.71 |
| देहर विद्धयुत घर | 1354.21 | 980.69 | 653.58 | 187.90 | 91.50 | 0.00 | 12.29 | 3280.17 |
| पौंग विद्धयुत घर | 289.43 | 209.60 | 787.51 | 40.12 | 19.52 | 0.00 | 9.90 | 1356.08 |
| **कुल योग** | **4487.37** | **3307.48** | **2637.38** | **677.80** | **711.20** | **20.42** | **42.31** | **11883.96** |

i. आंकड़े एनआरपीसी द्वारा जारी आर ई ए में दर्शाई गई शैडयूल एनर्जी पर आधारित होते हैं ।

ii. बीबीएमबी विद्युत घरों द्वारा भेजी गई कुल ऊर्जा 12018.73 एमयू है और भागीदार राज्यों/लाभार्थियों को बुक की गई ऊर्जा 11883.96 एमयू है । भागीदार राज्यों/लाभार्थियों को बुक की गई वास्तविक ऊर्जा और ऊर्जा के अन्तर को विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम) के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि बीबीएमबी के उत्पादन केन्द्र जून 2016 से एबीटी के दायरे में आ गए हैं ।

## 4.2 सिंचाई खण्ड

### 4.2.1 राजस्व प्राप्तियॉ और खर्चे

राजस्व एवं पूंजीगत खर्चों के संबंध में समेकित मासिक लेखे राज्य लेखों में समायोजित करने के लिए सम्बन्धित महालेखाकारों को भेजे जाते हैं। मासिक प्राप्तियाँ खर्चों की प्रतियॉ, भारत सरकार, राज्य सरकारों और भागीदार राज्यों के मुख्य अभियन्ताओं को भेजी जाती हैं ताकि उन्हें इन खर्चों के प्रवाह से अवगत कराया जा सके और बोर्ड के लिए वित्त की व्यवस्था की जा सके। आहरित चेकों तथा भेजी गयी रकम के मासिक वर्गीकृत लेखे, लेखा नियन्त्रक, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय को भेजे जाते हैं।

**क राजस्व प्राप्तियॉ**

वर्ष के अंतर्गत वसूल की गई राजस्व प्राप्तियॉ 2695.36 लाख ` हैं। प्रचलित प्रथा के अनुसार, सिंचाई खण्ड से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों का भागीदार राज्य सरकारों को भुगतान मार्च के महीने में किया जाता है।

नोटः- वर्ष 2018-19 के लिए प्राप्त राजस्व रू.333.38 लाख राजस्व वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के हिस्से को क्रमशः रू.184.04, 122.70 व रू.27.14 लाख भुगतान किया गया ।

**ख राजस्व खर्च**

कुल राजस्व खर्च, निम्न पैरा 4.2.2 में वर्णित ढंग से सिंचाई और विद्युत खण्ड में विभाजित किया जाता है। जारी की गई निधियों के साथ-साथ किए गए खर्च की भागीदार राज्यवार स्थिति नीचे दी गई है:-

**(-) अग्रिम**

**(+) वसूली योग्य राशि** **(लाख ` में)**

| **विवरण** | **पंजाब** | **हरियाणा** | **राजस्थान** | **योग** |
|---|---|---|---|---|
| **भाखड़ा काम्प्लैक्स** | | | | |
| दिनांक 01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष | **753.95** | **2998.62** | **-208.37** | **3544.20** |
| वर्ष के दौरान जारी की गई राशि | 10148.41 | 5400.00 | 3202.59 | 18751.00 |
| उपलब्ध कुल धन राशि | 9394.46 | 2401.38 | 3410.96 | 15206.80 |
| वर्ष के दौरान खर्च | 9411.81 | 6059.60 | 2779.43 | 18250.84 |
| **31.03.2020 को अंतिम शेष राशि** | **17.35** | **3658.22** | **-631.53** | **3044.04** |
| **ब्यास परियोजना** दिनांक 01.04.2018 को प्रारम्भिक शेष | **-1192.50** | **-2857.31** | **-55.62** | **-4105.43** |
| वर्ष के दौरान जारी की गई राशि | 4551.59 | 3500.00 | 9492.89 | 17544.48 |
| उपलब्ध कुल धन राशि | 5744.09 | 6357.31 | 9548.51 | 21649.91 |
| वर्ष के दौरान खर्च | 4187.94 | 2791.96 | 8322.09 | 15301.99 |
| 31.03.2020 को अंतिम शेष राशि | **-1556.15** | **-3565.35** | **-1226.42** | **-6347.92** |
| 31.03.2020 को भाखड़ा और ब्यास में उपलब्ध कुल शेष राशि | **-1538.80** | **92.87** | **-1857.95** | **-3303.88** |

### 4.2.2 राजस्व प्राप्तियॉ और खर्चे की हिस्सेदारी

**क. भाखड़ा**

सकल प्राप्ति/खर्च सिंचाई तथा विद्युत खण्ड के बीच 50:50 अनुपात में बांटी जाती है।

निवल सिंचाई प्राप्ति खर्च को आगे राज्य सरकारों में निम्नलिखित अनुपात में बांट दिया जाता है:-

| | | |
|---|---|---|
| राजस्थान | 15.22% | यूनिट नं.1 |
| | 19.06% | यूनिट नं. 2 और 3 |
| पंजाब | 60% | राजस्थान का हिस्सा घटाने के पश्चात |
| हरियाणा | 40% | |

**ख. ब्यास परियोजना यूनिट नं.1 (ब्यास सतलुज लिंक)**

ब्यास परियोजना यूनिट नं.I, ब्यास सतलुज लिंक परियोजना की कुल राजस्व प्राप्ति/खर्च सिंचाई तथा विद्युत के बीच 6:94 के अनुपात में बांटी जाती है। भागीदार राज्य सरकारों के बीच निवल सिंचाई प्राप्तियां/खर्चे की हिस्सेदारी निम्नलिखित अनुपात में की जाती है:-

| | |
|---|---|
| राजस्थान | 15% |
| हरियाणा | 34% |
| पंजाब | 51% |

**ग. ब्यास परियोजना यूनिट-II (पौंग बांध)**

सिंचाई खण्ड की कुल प्राप्ति/खर्च सिंचाई और विद्युत के बीच 76.5:23.5 के अनुपात में बांटा जाता है। निवल 76.5 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां/खर्चे भागीदार राज्य सरकारों के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटे जाते हैं:-

| | |
|---|---|
| राजस्थान | 58.5% |
| पंजाब | 24.9% |
| हरियाणा | 16.6% |

### 4.2.3 परियोजनाओं का पूंजीगत खर्च

**क. भाखड़ा परियोजना**

बोर्ड का पूंजीगत खर्च अतिरिक्त भण्डार मशीनरी की बिक्री से हुई आय से चलाया जाता है क्योंकि इस खर्च के लिए भागीदार राज्य सरकारों/भारत सरकार द्वारा लेखे के पूंजीगत शीर्ष के अधीन कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है। भागीदार राज्यवार स्थिति निम्नानुसार है:-

**4700 - प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत लागत**

**(-) अग्रिम**

**(+) वसूली योग्य**

**(लाख ` में)**

| | **पंजाब** | **हरियाणा** | **राजस्थान** | **योग** |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष राशि | -737.04 | -491.37 | -220.20 | -1448.61 |
| वर्ष के दौरान खर्च | -131.44 | -87.62 | -39.33 | -258.39 |
| राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य कुल राशि | -868.48 | -578.99 | -259.53 | -1707.00 |

**4801 - विद्युत परियोजना- हाइडल उत्पादन बायां विद्युत संयंत्र (एलपीपी)**

**(लाख ` में)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष राशि | -31.84 | - 21.22 | - 9.52 | - 62.58 |
| वर्ष के दौरान खर्च | -- | -- | -- | -- |
| राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य कुल राशि | -31.84 | - 21.22 | - 9.52 | - 62.58 |

**4801 - विद्युत परियोजना -हाइडल उत्पादन दायां विद्युत संयंत्र (आरपीपी)**

**(लाख ` में)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष राशि | 66.29 | 44.24 | 14.68 | 125.21 |
| वर्ष के दौरान खर्च | -- | -- | -- | -- |
| राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य कुल राशि | 66.29 | 44.24 | 14.68 | 125.21 |
| **राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य राशि का कुल योग (एलपीपी+आरपीपी)** | **34.45** | **23.02** | **5.16** | **62.63** |

## ख. ब्यास परियोजना

ब्यास परियोजना का पूंजीगत खर्च, पहले भारत सरकार द्वारा भागीदार राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता से पूर्ण किया जाता था। परियोजना की अवशिष्ट देयताओं को कार्यरूप देने के लिए अब भागीदार राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजना लागत में से या अपने निजी संसाधनों से निधियों की व्यवस्था की जाती है। शेष खर्चों की राज्यवार स्थिति निम्नानुसार है:-

**4700 एवं 4801 - ब्यास परियोजना का पूंजीगत खर्च**

**(-) अग्रिम**

**(+) वसूली योग्य**

**(लाख ` में)**

| | **पंजाब** | **हरियाणा** | **राजस्थान** | **योग** |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष राशि | **338.83** | **263.85** | **441.32** | **1044.00** |
| वर्ष के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त राशि | -- | -- | -- | -- |
| वर्ष के दौरान खर्च | 1.53 | -6.00 | 0.09 | -4.38 |
| **राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य कुल राशि (सिंचाई और विद्युत)** | **340.36** | **257.85** | **441.41** | **1039.62** |

## 4.3 भागीदार राज्य सरकारों से बकाया राशि की स्थिति (31.03.2020 के अनुसार)

**(-) अग्रिम**

**(+) वसूली योग्य राशि** **(लाख ` में)**

| **विवरण** | **पंजाब** | **हरियाणा** | **राजस्थान** | **योग** |
|---|---|---|---|---|
| परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभार | -1538.80 | 92.87 | -1857.95 | -3303.88 |
| बीसीबी (अवशिष्ट कार्य) | 340.36 | 257.85 | 441.41 | 1039.62 |
| **योग** | **-1198.44** | **350.72** | **-1416.54** | **-2264.26** |

## 4.4 अंशदायी भविष्य निधि (31.3.2020 की स्थिति अनुसार)

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के तदर्थ/नियमित/वर्कचार्ज्ड कर्मचारी भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड अंशदायी एवं सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा संचालित बोर्ड की सामान्य भविष्य निधि/पेंशन योजना अथवा अंशदायी भविष्य निधि योजना में अभिदान के हकदार हैं। आधे न्यासी प्रबंधक वर्ग का और शेष आधे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न निर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड कर्मचारी अंशदायी एवं सामान्य भविष्य निधि के शेष की स्थिति निम्नलिखित है:-

**(लाख ` में)**

| **क्र. सं.** | **प्रतिभूतियों/इन्स्ट्रूमेन्ट्स का नाम** | **रूपये** |
|---|---|---|
| 1. | केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां | 9309.30 |
| 2. | भारत सरकार का विशेष जमा योजना खाता | 6678.99 |
| 3. | आधार आवास वित्त लिमिटेड | 450.00 |
| 4. | आदित्य बिरला फाइनेंस | 400.00 |
| 5. | आन्ध्र बैंक बॉन्ड | 400.00 |
| 6. | आन्ध्र प्रदेश राज्य विकास ऋण खाता | 2079.90 |
| 7. | बजाज वित्त लिमिटेड बॉन्ड | 300.00 |
| 8. | बिहार राज्य विकास ऋण खाता | 1,030.00 |
| 9. | कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड | 700.00 |
| 10. | छतीसगढ़ स्टेट पावर डीसी लिमिटेड | 1,000.00 |
| 11. | क्रैडिला वित्त सर्विस प्राइवेट लिमिटेड | 100.00 |
| 12. | दीवान हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड | 650.00 |
| 13. | निर्यात आयात बैंक बॉन्ड | 140.00 |
| 14. | एडलिवेस फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड | 600.00 |
| 15. | भारतीय खाद्य निगम बॉन्ड | 1000.00 |
| 16. | गुजरात राज्य विकास ऋण खाता | 308.00 |
| 17. | हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड बॉन्ड | 530.00 |
| 18. | हरियाणा राज्य विकास ऋण | 500.00 |
| 19. | हीरो वित्त निगम लिमिटेड | 600.00 |
| 20. | हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड बॉन्ड | 450.00 |
| 21. | आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड बॉन्ड | 820.00 |
| 22. | इण्डिया बुल्ज वित्तीय सेवाएं लिमिटेड | 310.00 |
| 23. | भारतीय रेलवे वित्त निगम बॉन्ड | 300.00 |
| 24. | औद्योगिक विकास वित्त निगम बॉन्ड | 900.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 25. | आईएल एंड एफ.एस.वित्तीय सेवाएं | 700.00 |
| 26. | आईएल एण्ड एफ.एस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड | 1,550.00 |
| 27. | जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण खाता | 900.00 |
| 28. | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) | 800.00 |
| 29. | कृष्णा भाग्य निगम लिमिटेड | 250.00 |
| 30. | कर्नाटका एसडीएल | 900.00 |
| 31. | एल एण्ड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कम्पनी लिमिटेड बॉन्ड | 980.00 |
| 32. | एल एण्ड टी आवास वित्त लिमिटेड | 200.00 |
| 33. | महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण खाता | 580.00 |
| 34. | महिन्द्रा एवं महिन्द्रा वित्त ऋण खाता | 300.00 |
| 35. | नार्थ ईस्टर्न इलैकट्रिक पावर कारपोरेशन(नीपको लिमिटेड) | 200.00 |
| 36. | पटेल केएनआर हैवी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 1,000.00 |
| 37. | पीएनबी आवास वित्त लिमिटेड बॉन्ड | 530.00 |
| 38. | पी.एन.बी. परपेचुअल बॉन्ड | 350.00 |
| 39. | विद्युत वित्त निगम लिमिटेड बॉन्ड | 2,500.00 |
| 40. | फैडरल बैंक लिमिटेड | 100.00 |
| 41. | पंजाब राज्य विकास ऋण लेखा | 1,800.00 |
| 42. | एचडीएफसी क्रेडिला वित्त सर्विस लिमिटेड | 300.00 |
| 43. | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 400.00 |
| 44. | तेलंगाना राज्य विकास खाता | 400.00 |
| 45. | आसाम राज्य विकास ऋण | 495.10 |
| 46. | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 700.00 |
| 47. | राजस्थान राज्य विकास ऋण खाता | 1700.00 |
| 48. | रिलायंस कैपिटल लिमिटेड बॉन्ड | 900.00 |
| 49. | ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड बॉन्ड | 1,840.06 |
| 50. | सिनटैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 600.00 |
| 51. | एसबीआई कार्ड एवं भुगतान | 1,000.00 |
| 52. | स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बॉन्ड | 8.40 |
| 53. | स्टील ऑथॉरटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड | 200.00 |
| 54. | तमिलनाडु उदय बॉड | 2,040.00 |
| 55. | टाटा क्लीनटैक कैपीटल लिमिटेड | 400.00 |
| 56. | तमिलनाडु विद्युत वित्त एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास लिमिटेड | 150.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 57. | तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण कॉरपोरेशन | 500.00 |
| 58. | टाटा कैपीटल वित्त लिमिटेड | 1200.00 |
| 59. | ट्रेजरी बिल (डीटीबी) 182 | 300.00 |
| 60. | टूरिज्म फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड | 132.00 |
| 61. | तमिलनाडू राज्य विकास ऋण | 200.00 |
| 62. | उत्तर प्रदेश राज्य विकास ऋण खाता | 3,600.00 |
| 63. | उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड | 800.00 |
| 64. | पश्चिम बंगाल राज्य विकास खाता | 1,175.00 |
| | **योग** | **62236.75** |
| | **म्यूच्यूअल फंड** | |
| 65. | BOIAXAMIDCAP equitiy's Debt Fund | 25.00 |
| 66. | भारत 22 ईटीएफ एमएफ | 150.00 |
| 67. | भारतीय स्टेट बैंक ब्लू चिप फंड ग्रोथ | 580.00 |
| 68. | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ग्रोथ | 345.00 |
| 69. | आईएल एण्ड एफएस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेबिट फंड़ सीरीज-3-ए | 200.00 |
| 70. | रिलांयंस रेगुलर सेविंग फंड्स | 140.00 |
| 71. | रिलांयंस टीओपी 200 | 25.00 |
| 72. | कोटेक ईटीएफ फंड | 50.89 |
| 73. | कोटेक सिलेक्ट गिल्ट इन्वेस्टमेट फंड | 200.00 |
| 74. | एक्सिस ब्लू चिप फंड | 100.00 |
| 75. | यूटी आई गिल्ट एडवाटेंज फंड | 200.00 |
| 76. | मोतीलाल ओसवाल 35 सीपीए मल्टीकैप फंड (एमएफ) | 100.00 |
| 77. | कोटेक स्टैंडर्ड मल्टीकैप फंड | 150.00 |
| 78. | रिलांयस लार्ज कैप फंड | 50.00 |
| 79. | सीपीएससी ईटीएफ (रिलांयस) म्यूच्यूअल फंड | 250.00 |
| 80. | एचडीएफसी टॉप-100 फंड | 50.00 |
| 81. | एसबीआई निफ्टी इन्डेक्स फंड | 75.00 |
| 82. | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इन्डेक्स फंड | 100.00 |
| 83. | रिलांयस इन्डेक्स फंड | 100.00 |
| 84. | एचएसबीसी म्यूच्यूअल फंड | 100.00 |
| 85. | एचडीएफसी लिक्विड फंड | 300.00 |
| 86. | एचडीएफसी इन्डेक्स फंड | 50.00 |
| **कुल म्यूट्अल फंड** | | **3,340.89** |

| | |
|---|---|
| **कुल निवेश 31.03.2020 तक** | **65,577.64** |
| **चालू बचतों का बैंकों में बकाया** | 2433.12 |
| **कुल योग** | **68,010.76** |

## 4.5 लेखा परीक्षा

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के विभिन्न मण्डलों/कार्यालयों की आन्तरिक लेखा परीक्षा बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी द्वारा की जाती है। वैधानिक लेखा परीक्षा महालेखाकार, लेखा परीक्षा, पंजाब द्वारा की जाती है । बोर्ड के 03/2020 तक के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, लेखा परीक्षा, पंजाब द्वारा कर दी गई है।

## 4.6 निजी बही खाता लेखा (पीएलए)

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79(5) के उपबन्धों के अन्तर्गत, बीबीएमबी को अपने कार्यों, जिनमें क्रमश: सिंचाई खण्ड (बांधों, नहरों और अन्य सिविल संरचनाओं) और विद्युत खण्ड (विद्युत संयन्त्र, पारेषण नेटवर्क, आदि) के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभार शामिल हैं, का निर्वहन करने के लिए अपेक्षित सभी खर्चों को पूरा करने हेतु भागीदार राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा आवश्यक निधियों की व्यवस्था कराना आवश्यक है। क्योंकि बीबीएमबी के पास परिचालन एंव अनुरक्षण प्रभारों को पूरा करने के लिए अपनी कोई कार्य पूंजी नहीं है इसलिए दिनांक 14.02.1967 को सचिव, सिंचाई एवं विद्युत, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आयोजित बैठक में सरकार की पुस्तिकाओं में खोले जाने वाले निजी बही खाता लेखा (पीएलए) में इन निधियों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें भागीदार राज्य अपने सम्बन्धित बजट में प्रावधान करने के उपरांत अपने हिस्से के अनुसार उचित राशि का अंशदान करेंगे। 31.03.2020 को निजी बही खाता लेखा में ` 18326.30 लाख शेष थे।

## 4.7 बीबीएमबी प्रणाली की परिचालन एवं अनुरक्षण लागत

वर्ष के दौरान बीबीएमबी की सैद्धान्तिक उत्पादन और पारेषण की लागत क्रमश: ` 537.08 करोड़ और ` 222.19 करोड़ बुक की गई। सैद्धान्तिक उत्पादन कार्यों के लिए ओ एण्ड एम लागत 44.69 पैसे/किलोवाट घंटे तथा पारेषण लागत 18.49 पैसे/किलोवाट घंटे निकलती है। सामान्य पूल उपभोक्ताओं से प्राप्तियों की गणना करने के उपरांत भागीदार राज्यों (पारेषण सहित) को वितरित ऊर्जा की लागत 40.66 पैसे/किलोवाट घंटे निकलती है।

## 5.1 विद्युत खण्ड

बीबीएमबी के विद्युत घरों से विद्युत उत्पादन करने और विभिन्न भागीदार राज्यों/लाभानुभोगियों को इसे पारेषित करने का कार्य बोर्ड के विद्युत खण्ड के अधीन है। प्रणाली के एकीकृत परिचालन के लिए विद्युत प्रणाली की रियल टाइम मॉनिटरिंग की आवश्यकता है ताकि प्रणाली में फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और लोडिंग पर प्रभावी नियन्त्रण रखा जा सके तथा उत्पादन संसाधनों का इष्टतम प्रयोग किया जा सके। ये कार्य चण्डीगढ़ में स्थापित किए गए स्टेट ऑफ दी आर्ट प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र के माध्यम से विद्युत विनियम निदेशालय द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।

### 5.1.1 ऊर्जा उत्पादन

वर्ष 2019-20 के दौरान बीबीएमबी के विद्युत उत्पादक केन्द्रों का कुल उत्पादन 12175.65 मिलियन यूनिट (जिसमें गंगूवाल एवं कोटला विद्युत घरों का अनुमानित 8.5534 मिलियन यूनिट का उत्पादन शामिल है) हुआ था, जो वर्ष 2019-20 के लिए सीईए द्वारा निर्धारित किए गए 9470 मिलियन यूनिट के वार्षिक उत्पादन लक्ष्य से 28.57% अधिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान बीबीएमबी के प्रत्येक विद्युत घर का वार्षिक ऊर्जा उत्पादन **चित्र 1** में दर्शाया गया है। वर्ष 2010-2011 से 2019-20 तक के वर्षों के दौरान वार्षिक लक्ष्य और वास्तविक ऊर्जा उत्पादन **चित्र 2** में प्रदर्शित किया गया है।

### 5.1.2 शीर्ष उत्पादन

बीबीएमबी भागीदार राज्यों की शीर्ष मांग को पूरा करने का पूर्ण प्रयास करता है। मानूसन, सर्दी, नरम सर्दी और गर्म मौसम की अवधियों में बीबीएमबी बिजली घरों का विशिष्ट उत्पादन वक्र **चित्र-3** में दर्शाया गया है।

### 5.1.3 विद्युत घरों की उपलब्धता

वर्ष 2019-20 के दौरान भाखड़ा बायां किनारा और भाखड़ा दायां किनारा विद्युत घरों का वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणक क्रमश: 99.99% और 99.85% था । पौंग विद्युत घर में उपलब्धता 98.81% थी। देहर विद्युत घर पर उपलब्धता 97.71% थी। गंगूवाल और कोटला विद्युत घरों का वार्षिक उपलब्धता गुणक क्रमश: 98.85% और 98.33% था । बीबीएमबी के विद्युत घरों का संयंत्र उपलब्धता गुणक **चित्र 4** में दर्शाया गया है। बीबीएमबी विद्युत घरों की कुल उपलब्धता 98.94% थी।

### 5.1.4 ऊर्जा पारेषण

बीबीएमबी बिजली घरों से (विभिन्न भागीदार/लाभग्राही राज्यों को) 12018.73 मिलियन यूनिट ऊर्जा पारेषित की गई और भागीदारों/लाभग्रहियों को 11883.96 मिलियन यूनिट ऊर्जा बुक की गई । जैसा कि चित्र 5 में दर्शाया गया है । चूंकि बीबीएमबी के उत्पादन केन्द्र जून, 2016 से एबीटी के तहत आ गए है, अतएव बाहर भेजी गई ऊर्जा तथा भागीदार राज्य / लाभ ग्रहियों को बुक की गई ऊर्जा की गणना विचलन निपटान तंत्र

(डीएसएम) के अन्तर्गत की गई है। बीबीएमबी विद्युत घरों में अतिरिक्त खपत 29.98 मिलियन यूनिट (0.2494%) हुई है और ट्रांसफॉर्मेशन हानियां 118.3866 मिलियन यूनिट (0.985%) रही है।

### 5.1.5 पारेषण की उपलब्धता

वर्ष 2019-20 के दौरान बीबीएमबी की पारेषण प्रणाली की उपलब्धता 99.82% रही।

### 5.1.6 नंगल हाइडल चैनल (एनएचसी) से आनन्दपुर साहिब हाइडल चैनल (एएसएचसी) तक पानी का प्रत्यावर्तन (डाइवर्शन)

बोर्ड की 23.12.2003 को आयोजित 184वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जब कभी गंगूवाल और/अथवा कोटला विद्युत घर(घरों) पर कोई मशीन बन्द होती है/हैं, तब पंजाब और हरियाणा की सिंचाई की मांग पूरा करने के बाद अतिरिक्त पानी नंगल हाइडल चैनल (एनएचसी) के माध्यम से आनन्दपुर साहिब हाइडल चैनल (एएसएचसी) को प्रत्यावर्तित किया जाएगा। आगे प्रत्यावर्तन के कारण गंगूवाल/कोटला विद्युत घरों में उत्पादन की जो हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा की जाएगी और उत्पादन की हानि की गणना करने के बाद आनन्दपुर साहिब हाइडल प्रोजेक्ट पर उत्पादन में हुई बाकी वृद्धि को बीबीएमबी और पीएसईबी के बीच बराबर बांट दिया जाएगा। जल के प्रत्यावर्तन के कारण गंगूवाल तथा कोटला विद्युत घरों में उत्पादन का कुल क्रेडिट गंगूवाल/कोटला विद्युत घरों के डीम्ड उत्पादन के रूप में समझा जाएगा । आगे भागीदार राज्यों में उत्पादन का समायोजन दिनांक 23.04.2019 को बीबीएमबी की 136वीं विद्युत उप समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार किया जाता है ।

उपरोक्त के अनुसरण में वर्ष 2019-20 के दौरान गंगूवाल और कोटला विद्युत घरों पर डीम्ड उत्पादन निम्नानुसार है:-

**(सभी आंकडे मिलियन यूनिट में)**

| **अवधि** | **गंगूवाल तथा कोटला में उत्पादन की हानि (एमयू)** | **एएसएचपी में अधिक उत्पादन (एमयू)** | **डीम्ड उत्पादन (एमयू)** | **बीबीएमबी को लाभ (एमयू)** |
|---|---|---|---|---|
| 04/19 से 03/20 | 4.547 | 12.56 | 8.5434 | 4.0064 |

### 5.1.7 प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी)

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) को बीबीएमबी की पारेषण और उत्पादन सम्पति की चौबीस घंटे निगरानी, परिचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है । बीबीएमबी एस एल डी सी, स्टेट ऑफ आर्ट सुपरवाइजरी कंट्रोल और डेटा एक्वीजीशन एंड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (एस सी ए डी ए ई एम एस) और एक समर्पित आप्टिकल फाइबर आधारित संचार प्रणाली से लैस है जो एस एल डी सी

अभियन्ताओं को बीबीएमबी ने पी एस टी सी एल के साथ बुनियादी ढांचे को साँझा करके अपने बैकअप एस एल डी सी की भी स्थापना की है, जिस से किसी भी आपदा की स्थिति मे सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये अनूठा और प्रभावी समाधान उपलब्ध हो सके । पी एस टी सी एल के साथ एस एल डी सी का बैकअप साँझा करके बीबीएमबी ने स्वयं के परियोजना लागत के लगभग रु 5 करोड़ की बचत की है साथ ही पीएसटीसीएल की भी। बीबीएमबी ने अपने 10 महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्रों को स्टेट आँफ आर्ट आरटीयूएस से सुसज्जित किया है।

इसके अलावा सभी बीबीएमबी विद्युत गृह और उपकेन्द्रों को समर्पित स्काडा रिमोट कंसोल प्रदान किए गए। यह दूरस्थ कंट्रोल एक समर्पित संचार लिंक के माध्यम से बीबीएमबी एसएलडीसी से जुडे हैं। इस रिमोट कंट्रोल की मदद से उप केन्द्र/विद्युत गृह के अधिकारी/कर्मचारी अपने स्वयं के उप-केंद्र के साथ-साथ बीबीएमबी के अन्य सब-स्टशनों के विभिन्न पावर सिस्टम उपकरणों की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्युत गृह और उप-केन्द्र से संबंधित रिपोर्ट उनके कंट्रोल रूम इंजीनियर/स्टाफ द्वारा तैयार की जा सकती है।

अपने समर्पित प्रयासों के द्वारा, बीबीएमबी एसएलडीसी के इंजीनियरों ने ऊर्जा प्रणाली की निगरानी, संचालन और नियंत्रण में विभिन्न नवीन तकनीकों को अपनाने का बीड़ा उठाया हैं और बीबीएमबी में स्मार्ट ग्रिड के कार्यान्वयन हेतु अपने लक्ष्य की ओर बढना जारी रखा है।

# बीबीएमबी के विद्युत-घरों में वार्षिक सकल उर्जा उत्पादन वर्ष 2019-20

चित्र-1
Figure - 1

ANNUAL GROSS ENERGY GENERATION AT BBMB POWER HOUSES
2019-20

**योग : 12175.651 मिलियन यूनिट**
**Total : 12175.651 MU**

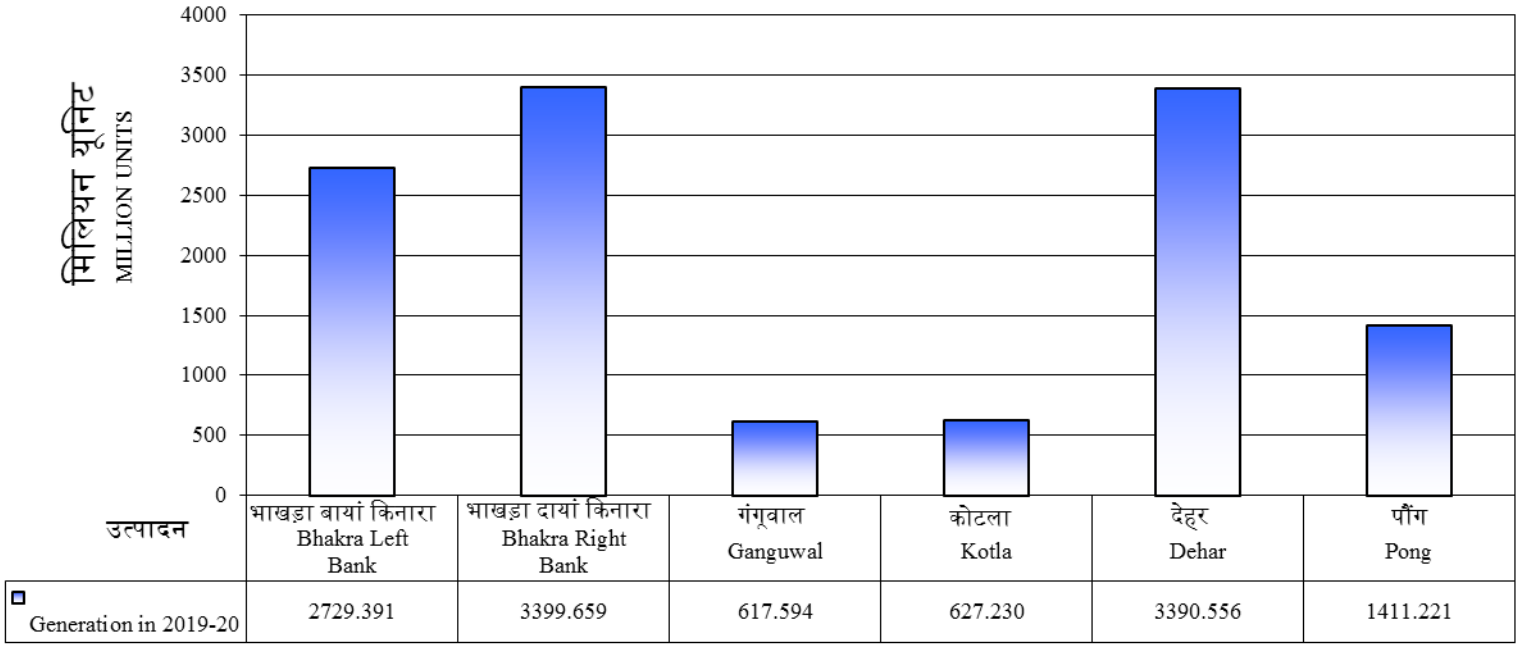


| उत्पादन | भाखड़ा बायां किनारा Bhakra Left Bank | भाखड़ा दायां किनारा Bhakra Right Bank | गंगूवाल Ganguwal | कोटला Kotla | देहर Dehar | पौंग Pong |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generation in 2019-20 | 2729.391 | 3399.659 | 617.594 | 627.230 | 3390.556 | 1411.221 |

**गंगुवाल एवं कोटला विद्युत घरों से कुल उत्पादन में डीम्ड उत्पादन के रूप में 1.365 मिलियन यूनिट शामिल हैं।**
**The Total Generation at Ganguwal & Kotla PHs includes 8.5534 MUs as Deemed Generation. (Gwl=2.763 MU & Ktl=5.7904 MU)**

वर्ष 2010-11 से 2019-20 के दौरान वार्षिक ऊर्जा उत्पादन के सम्बन्ध में लक्ष्य/उपलब्धियां

चित्र-2

**Figure - 2**

TARGET/ACHIEVEMENTS IN RESPECT OF ANNUAL ENERGY GENERATION DURING THE YEARS 2010-11 TO 2019-20

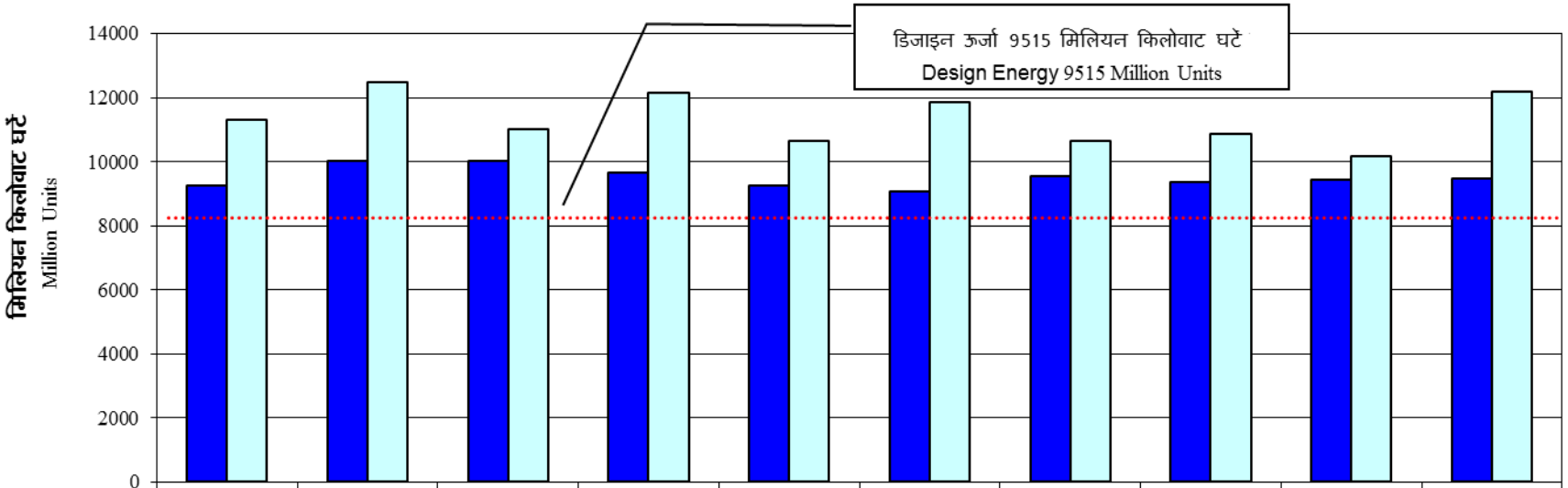


| | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series1 | 9275 | 10023 | 10023 | 9665 | 9275 | 9076 | 9536 | 9360 | 9425 | 9470 |
| Series2 | 11321 | 12491 | 11000 | 12154 | 10633 | 11853 | 10634 | 10881 | 10190.26 | 12176 |

वर्ष

**Year**

चित्र-3-ए
Fig. 3-A

वर्ष 2019-20 के दौरान बीबीएमबी के प्रतीकात्मक दैनिक उत्पादन वक्र
TYPICAL DAILY GENERATION CURVES OF BBMB DURING 2019-2020

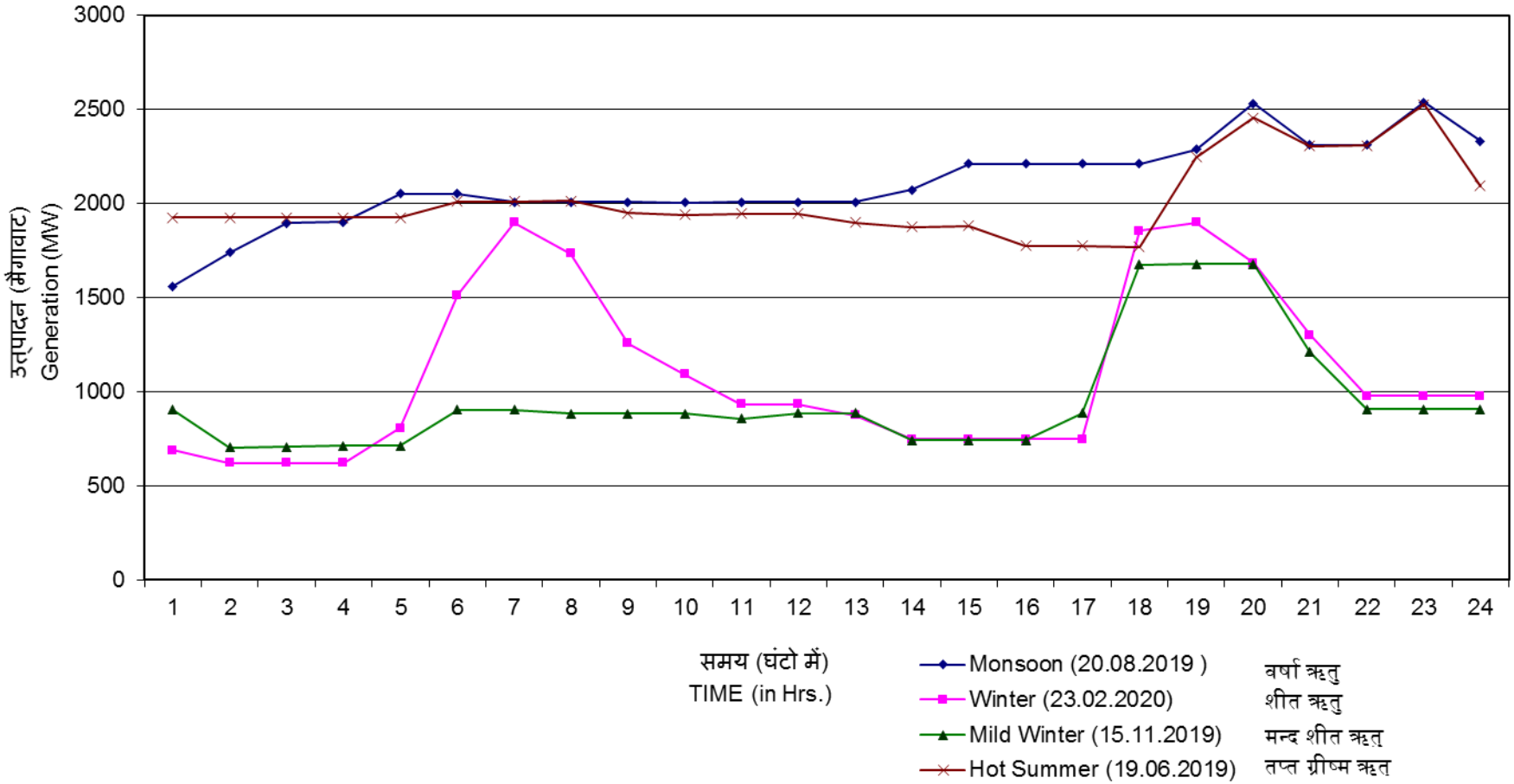

**Figure 4**

### वर्ष 2019-20 के दौरान बीबीएमबी के विद्युत-घरों का संयन्त्र उपलब्धता गुणक (आर,एम एण्ड यू अवधि रहित )

### PLANT AVAILABILITY FACTOR OF BBMB POWER HOUSES DURING THE YEAR 2019-20 (EXCLUDING R,M&U PERIOD)

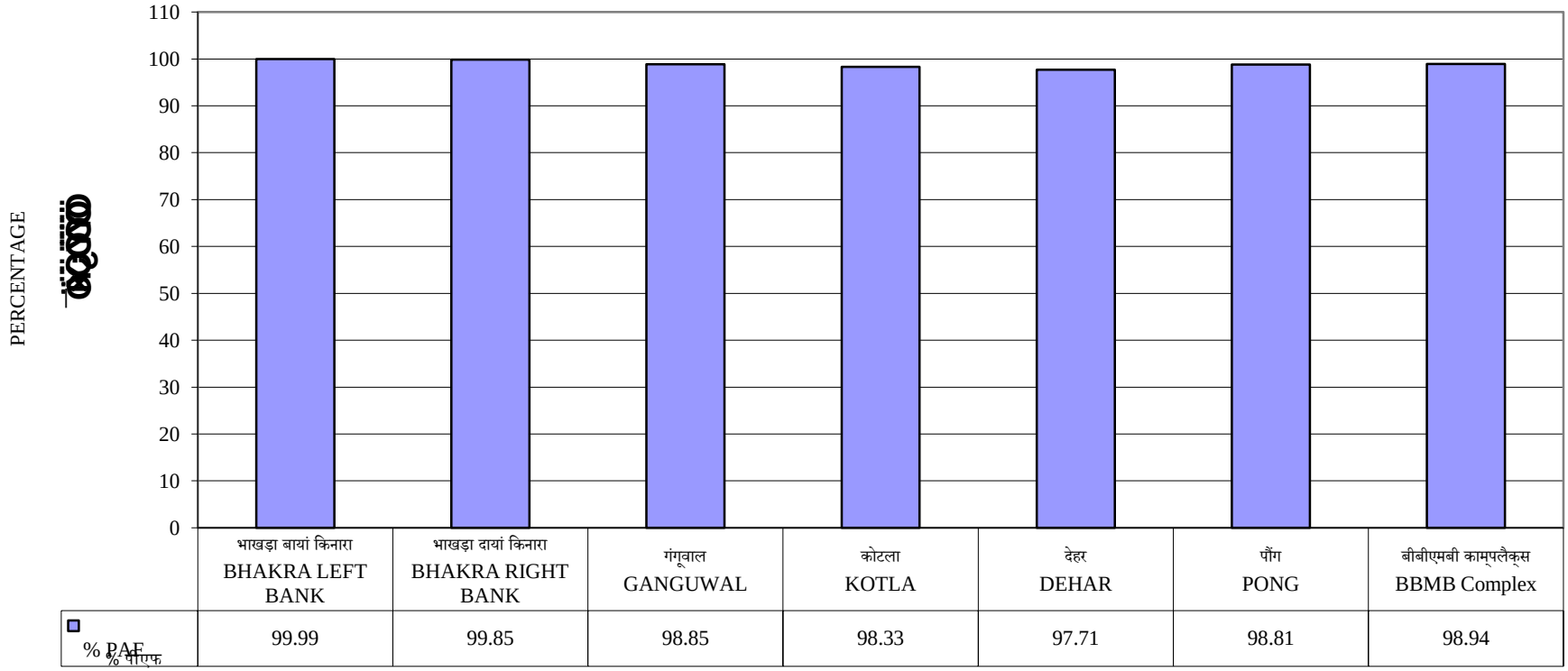




| | भाखड़ा बायां किनारा BHAKRA LEFT BANK | भाखड़ा दायां किनारा BHAKRA RIGHT BANK | गंगूवाल GANGUWAL | कोटला KOTLA | देहर DEHAR | पौंग PONG | बीबीएमबी काम्पलैक्स BBMB Complex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % PAF % पीएफ | 99.99 | 99.85 | 98.85 | 98.33 | 97.71 | 98.81 | 98.94 |

संयन्त्र उपलब्धता गुणक (पी.ए.एफ.)प्रतिशतता= $\frac{\text{वर्ष में कुल घंटे - (अनिवार्य बंदी के घटें+ आर ,एम एण्ड यू अवधि को छोड़ कर योजित बंदी के घंटे + आ र,एम एण्ड यू अवधि)}}{\text{वर्ष में कुल घटें - आर ,एम एण्ड यू अवधि के घटें}}$ X 100

Plant Availability Factor (PAF) %age = $\frac{\text{Total hrs in a year - (Forced outage hrs + Planned outage hrs excluding R,M\&U period +R,M\&U period)}}{\text{Total hrs in a year - R,M\&U period in hours}}$ X 100

चित्र-5
Figure - 5

## वर्ष 2019-20 के दौरान बीबीएमबी विद्युत-घरों से भागीदार/लाभानभोगियों को पारेषित ऊर्जा

## ENERGY TRANSMITTED TO PARTNERS/BENEFICIARIES FROM BBMB PHs DURING 2019-20

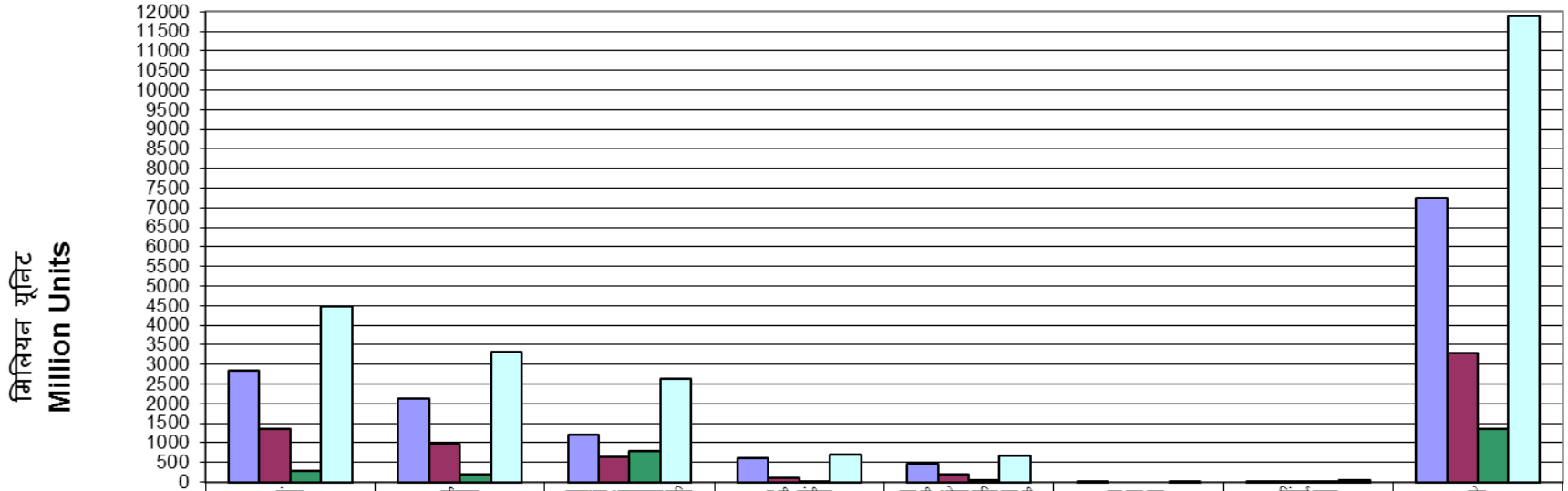


| | पंजाब PUNJAB | हरियाणा HARYANA | राजस्थान आरएफएफ सहित Raj. including RFF | यू.टी. चंडीगढ़ U.T., CHD | एच.पी. ओल्ड सहित एच.पी. HP including Old HP | एन.एफ.एल NFL | सिंचाई खण्ड Irrig wing | योग TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भाखड़ा काम्पलैक्स Bhakra Complex | 2843.73 | 2117.19 | 1196.29 | 600.18 | 449.76 | 20.42 | 20.12 | 7247.710 |
| देहर विद्युत घर Dehar Power House | 1354.21 | 980.69 | 653.58 | 91.50 | 167.90 | 0.00 | 12.29 | 3280.170 |
| पौंग विद्युत घर Pong Power House | 289.43 | 209.60 | 787.51 | 19.52 | 40.12 | 0.00 | 9.90 | 1356.080 |
| योग Total | 4487.37 | 3307.48 | 2637.38 | 711.20 | 677.80 | 20.42 | 42.31 | 11883.960 |

## 5.2 सिंचाई खण्ड

### 5.2.1 जलाशयों की स्थिति

जलाशयों का नियन्त्रण एवं परिचालन तथा विभिन्न भागीदार राज्यों/लाभानुभोगियों को पानी का नियमन और वितरण, बीबीएमबी के सिंचाई खण्ड के अधीन है ।

- **भाखड़ा जलाशय**

  क) भाखड़ा जलाशय की भराई दिनांक 25 जून, 2019 को आरम्भ की गई जब जलाशय का स्तर ईएल 1604.21 फीट (488.96 मीटर) था।

  ख) दिनांक 21.05.2019 से 20.05.2020 तक बीएसएल प्रणाली के माध्यम से प्रत्यावर्तन सहित कुल अन्तर्वाह 15.282 एमएएफ/18.693 बीसीएम था।

  ग) दिनांक 21.05.2019 से 20.05.2020 तक बीएसएल प्रणाली के माध्यम से प्रत्यावर्तन 3.560 एमएएफ/4.356 बीसीएम था।

  घ) 20 अगस्त, 2019 को अधिकतम जल स्तर ईएल 1680.82 फीट (512.31 मीटर) प्राप्त किया गया था।

- **पौंग जलाशय**

  क) पौंग जलाशय की भराई 06 जूलाई 2019 को आरम्भ की गई जब जलाशय का स्तर ईएल 1326.51 फीट (404.32 मीटर) था ।

  ख) दिनांक 21.05.2019 से 20.05.2020 तक कुल अंतर्वाह 7.067 एमएएफ/ 8.645 बीसीएम था ।

  ग) 11 सितम्बर, 2019 को अधिकतम जलस्तर ईएल 1388.47 फीट (423.21 मीटर) प्राप्त किया गया था ।

### 5.2.2 जल आपूर्तियों और जल लेखे का नियमन

जल लेखा तैयार करने के लिए वर्ष को दो अवधियों में बांट दिया जाता है अर्थात् भराई अवधि 21 मई से 20 सितम्बर तक और रिक्तिकरण अवधि 21 सितम्बर से अगले वर्ष की 20 मई तक। भराई और रिक्तिकरण अवधि के लिए जल लेखे अलग-अलग तैयार किए जाते हैं। एक अवधि की अधिकता/कमी को अगली अवधि में नहीं ले जाया जाता। 21.05.2019 से 20.05.2020 तक की अवधि के लिए रावी-ब्यास जल के साथ-साथ सतलुज के जल में से इन राज्यों द्वारा प्राप्त किए गए जल की अधिकता/कमी सहित भागीदार राज्यों को वितरण/हिस्से और सुपुर्दगी तथा दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया जल, **चित्र 6 से 13** में दर्शाया गया है। इन चार्टों में अंकित किए गए आंकडे भागीदार राज्यों को समय-समय पर परिपत्रित किए गए जल लेखों से लिए गए हैं ।

भाखड़ा और पौंग जलाशयों से जल छोड़ने का निर्णय तकनीकी समिति (जिसमें अध्यक्ष, बीबीएमबी की अध्यक्षता में बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य, भागीदार राज्य बिजली बोर्डों/राज्य पारेषण यूटिलिटी के तकनीकी सदस्य/निदेशक तथा सिंचाई विभागों के मुख्य अभियन्ता शामिल होते हैं) द्वारा, सिंचाई और विद्युत की आवश्यकताओं, जलाशय के स्तर और अंतर्वाह को

ध्यान में रखते हुए, मासिक बैठकों में लिया जाता है ।

विभिन्न भागीदार राज्यों का हिस्सा वितरण और विभिन्न अन्तर्राज्यीय सम्पर्क बिन्दुओं पर सतलुज और रावी-ब्यास जल से वितरित किए जाने वाले जल तथा जलाशयों से अनुमोदित जल निर्मोचन के सम्बन्ध में नहरी तार/बेतार सन्देश के द्वारा भागीदार राज्यों के सम्बन्धित अधिकारियों को 10 दिनों के अन्तर से सूचित किया जाता है ।

भराई/रिक्तिकरण अवधि के दौरान भागीदार राज्यों को की गई जल आपूर्ति निम्नानुसार है-:

1. सतलुज और रावी-ब्यास जल से पंजाब को की गई जल आपूर्ति - **चित्र 6 एवं चित्र 7**
2. सतलुज और रावी-ब्यास जल से हरियाणा को की गई जल आपूर्ति - **चित्र 8 एवं चित्र 9**
3. सतलुज और रावी-ब्यास जल से राजस्थान को की गई जल आपूर्ति - **चित्र 10 से चित्र 12**
4. दिल्ली जल बोर्ड को की गई जल आपूर्ति - **चित्र 13**

दिनांक 21.05.2019 से 20.05.2020 तक राज्यों को कुल जल आपूर्ति निम्नानुसार की गई है:- **(सभी आंकडे मिलियन एकड़ फीट में)**

| **राज्य** | **सतलुज** | **रावी-ब्यास** | **योग** |
|---|---|---|---|
| पंजाब | 5.323 | 5.942 | 11.264 |
| हरियाणा | 4.028 | 1.893 | 5.922 |
| राजस्थान | 1.232 | 9.058 | 10.290 |
| दिल्ली जल बोर्ड | - | 0.295 | 0.295 |
| **योग** | **10.582** | **17.188** | **27.770** |

**चित्र 6 Fig. 6**

दिनांक 21.5.2019 से 20.5.2020 तक की अवधि के लिए सतलुज जल से पंजाब को सप्लाई किए गए जल की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

*Statement showing position of water supplies to Punjab out of Satluj water for the period from 21.5.2019 to 20.05.2020*

Filling Period (21..05.2019 to 20.09.2019)

भराई अवधि (21.05.2019 से 20.09.2019)

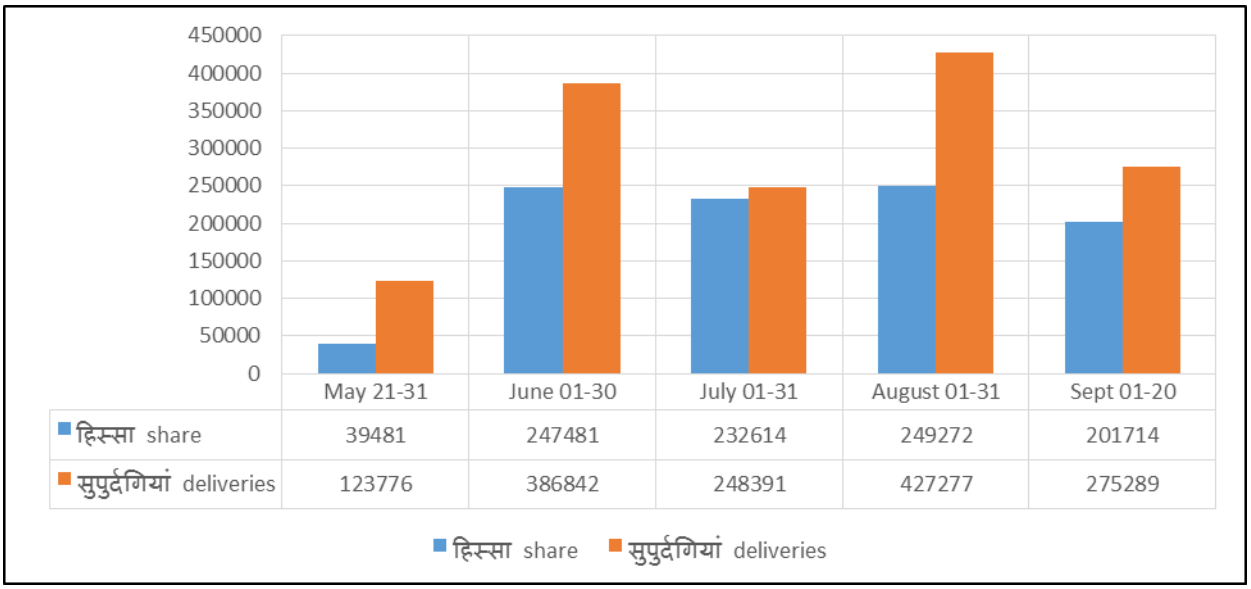


| | May 21-31 | June 01-30 | July 01-31 | August 01-31 | Sept 01-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| हिस्सा share | 39481 | 247481 | 232614 | 249272 | 201714 |
| सुपुर्दगियां deliveries | 123776 | 386842 | 248391 | 427277 | 275289 |

Depletion period (21.09.2019 to 20.05.2020)

रिक्तिकरण अवधि (21.09.2019 से 20.05.2020)

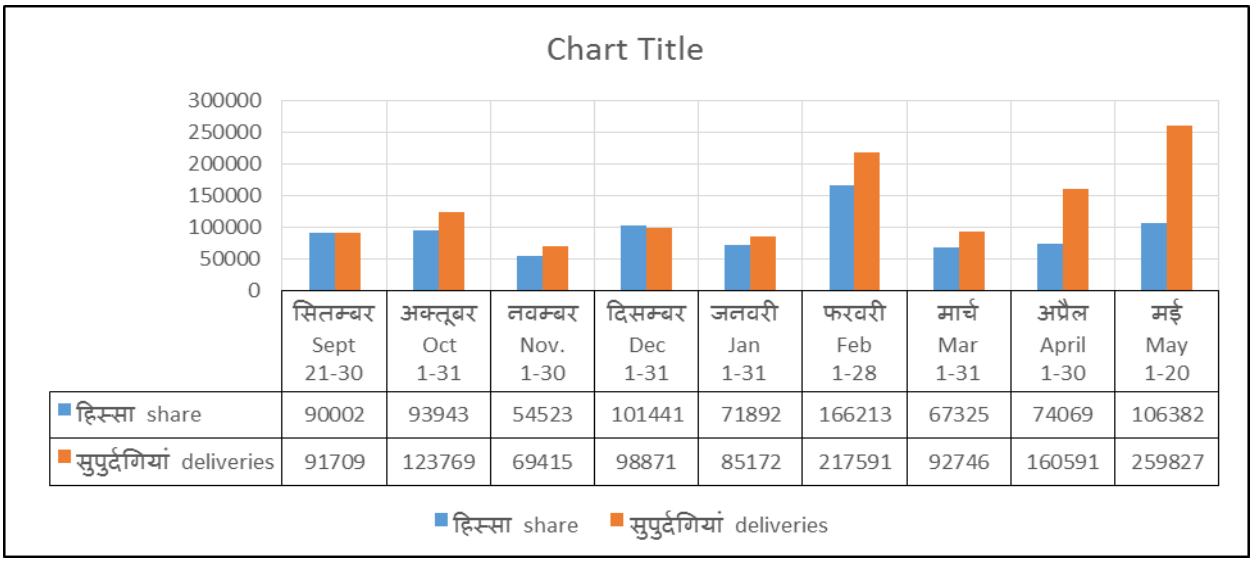


| | सितम्बर Sept 21-30 | अक्तूबर Oct 1-31 | नवम्बर Nov. 1-30 | दिसम्बर Dec 1-31 | जनवरी Jan 1-31 | फरवरी Feb 1-28 | मार्च Mar 1-31 | अप्रैल April 1-30 | मई May 1-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हिस्सा share | 90002 | 93943 | 54523 | 101441 | 71892 | 166213 | 67325 | 74069 | 106382 |
| सुपुर्दगियां deliveries | 91709 | 123769 | 69415 | 98871 | 85172 | 217591 | 92746 | 160591 | 259827 |

*Note (1) All figures are in cusec days.*

(2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.

नोट:- 1. सभी आंकडे क्यूसिक दिनों में।

2. सभी सुपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार।

चित्र 7 Fig. 7

*दिनांक 21.5.2019 से 20.05.2020 तक की अवधि के लिए रावी ब्यास से पंजाब को सप्लाई किए गए जल की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका*

*Statement showing position of water supplies to Punjab out of Ravi-Beas waters for the period from 21.5.2019 to 20.05.2020*

Filling Period (21.05.2019 to 20.09.2019)
भराई अवधि (21.05.2019 से 20.09.2019)

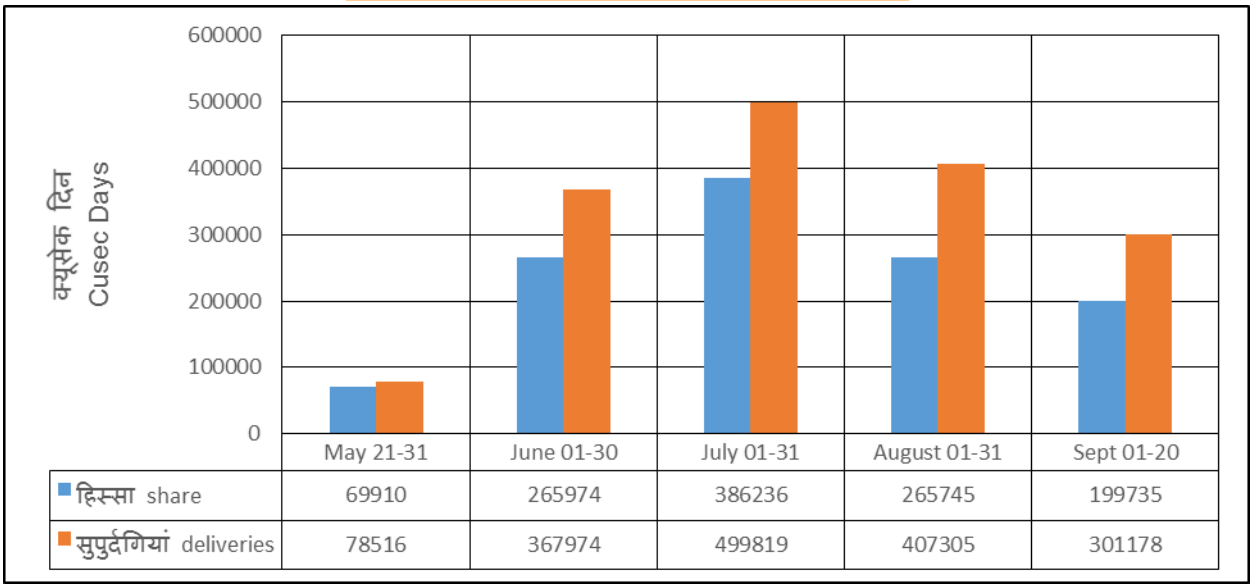


| | May 21-31 | June 01-30 | July 01-31 | August 01-31 | Sept 01-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| हिस्सा share | 69910 | 265974 | 386236 | 265745 | 199735 |
| सुपुर्दगियां deliveries | 78516 | 367974 | 499819 | 407305 | 301178 |

Depletion period (21.09.2019 to 20.05.2020)
रिक्तिकरण अवधि (21.09.2019 से 20.05.2020)

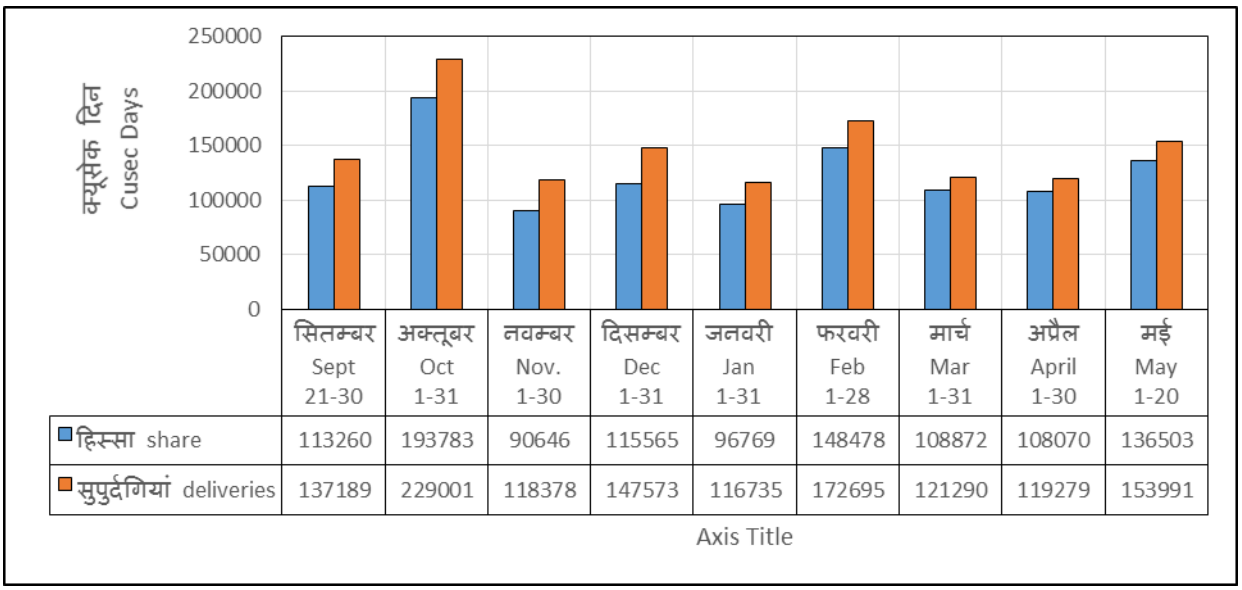


| | सितम्बर Sept 21-30 | अक्तूबर Oct 1-31 | नवम्बर Nov. 1-30 | दिसम्बर Dec 1-31 | जनवरी Jan 1-31 | फरवरी Feb 1-28 | मार्च Mar 1-31 | अप्रैल April 1-30 | मई May 1-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हिस्सा share | 113260 | 193783 | 90646 | 115565 | 96769 | 148478 | 108872 | 108070 | 136503 |
| सुपुर्दगियां deliveries | 137189 | 229001 | 118378 | 147573 | 116735 | 172695 | 121290 | 119279 | 153991 |

Note:- (1) All figures are in cusec days.
(2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting
(3) The deliveries to Punjab also include some supplies made d/s Ropar which have already been booked to Punjab at Ropar.

नोट:-
1. सभी आंकडे क्यूसिक दिनों में ।
2. सभी सुपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ।
3. पंजाब को की गई सुपुर्दगियों में रोपड़ के डाउनस्ट्रीम को की गई कुछ आपूर्तियां भी शामिल हैं जो पंजाब को रोपड़ पर पहले ही बुक की जा चुकी है।

**चित्र 8 Fig. 8**

दिनांक 21.5.2019 से 20.05.2020 तक की अवधि के लिए सतलुज जल से हरियाणा को सप्लाई किए गए जल की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Haryana out of Satluj waters for the period from 21.5.2019 to 20.05.2020

Filling Period (21.05.2019 to 20.09 2019 )

भराई अवधि (21.05.2019 से 20.09 20.09.2019

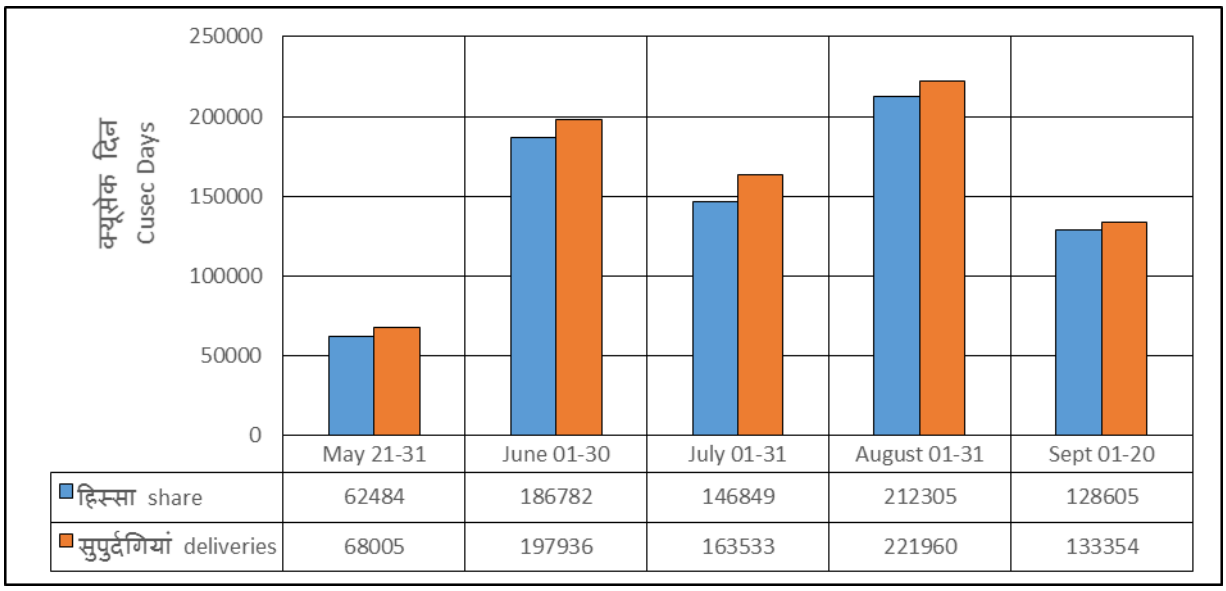


| | May 21-31 | June 01-30 | July 01-31 | August 01-31 | Sept 01-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| हिस्सा share | 62484 | 186782 | 146849 | 212305 | 128605 |
| सुपुर्दगियां deliveries | 68005 | 197936 | 163533 | 221960 | 133354 |

Depletion period (21.09.2019 to 20.05.2020)

रिक्तिकरण अवधि (21.09.2019 से 20.05.2020

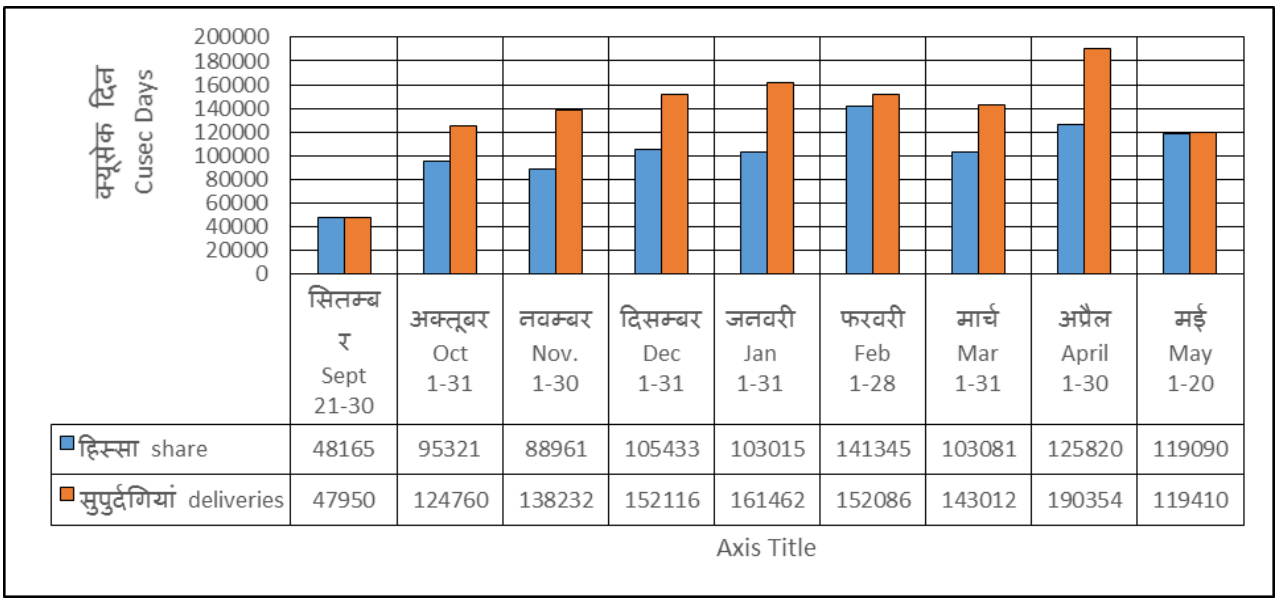


| | सितम्बर Sept 21-30 | अक्तूबर Oct 1-31 | नवम्बर Nov. 1-30 | दिसम्बर Dec 1-31 | जनवरी Jan 1-31 | फरवरी Feb 1-28 | मार्च Mar 1-31 | अप्रैल April 1-30 | मई May 1-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हिस्सा share | 48165 | 95321 | 88961 | 105433 | 103015 | 141345 | 103081 | 125820 | 119090 |
| सुपुर्दगियां deliveries | 47950 | 124760 | 138232 | 152116 | 161462 | 152086 | 143012 | 190354 | 119410 |

**Note(1) All figures are in cusec days.**

**(2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.**

नोट:-

1. सभी आंकडे क्यूसिक दिनों में ।
2. सभी सुपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ।

**चित्र 9 Fig. 9**

*दिनांक 21.5.2019 से 20.05.2020 तक की अवधि के लिए रावी-ब्यास जल से हरियाणा को सप्लाई किए गए जल की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका*

*Statement showing position of water supplies to Haryana out of Ravi-Beas water for the period from 21.5.2019 to 20.05.2020.*

Filling Period (21..05.2019to 20.09.2019 )

**भराई अवधि** (21.05.2019 से 20.09.2019)

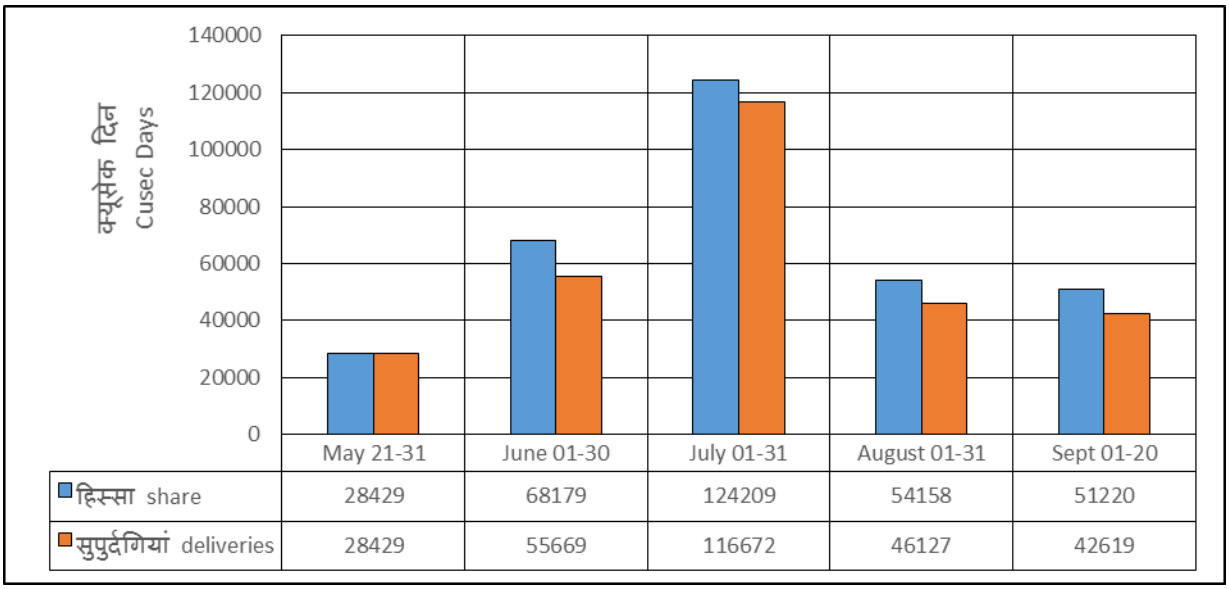


रिक्तिकरण †¾Ö×¬Ö (21.9.2019 ÃÖê 20.5.2020)

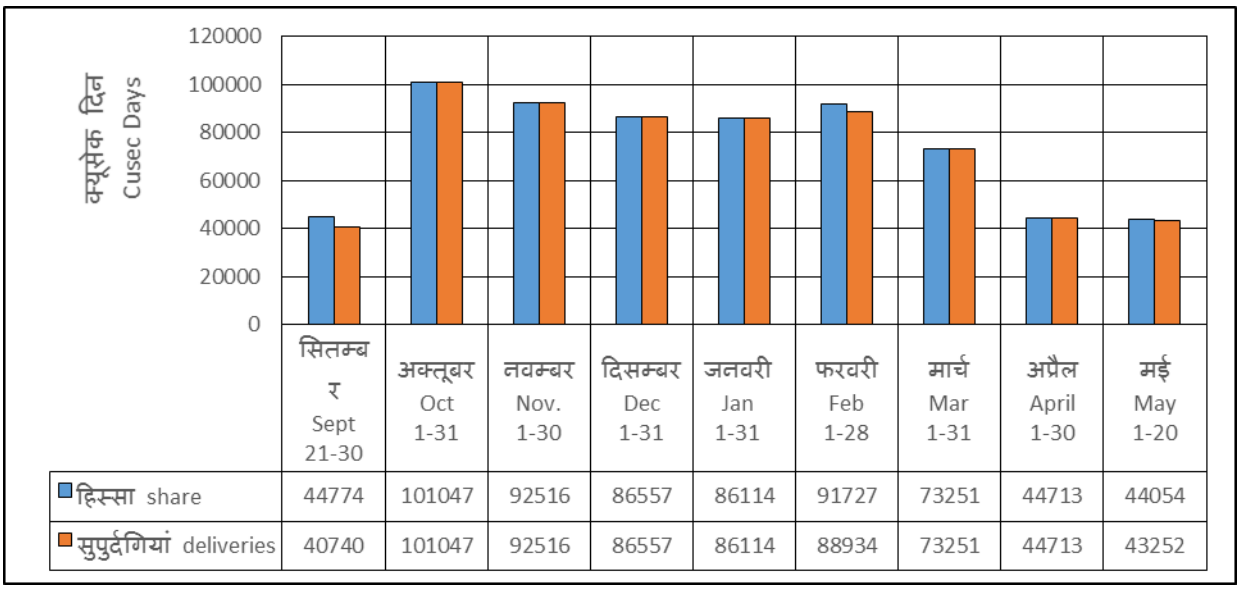


**Note (1) All figures are in cusec days.**

**(2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.**

नोट:-

1. सभी आंकडे क्यूसिक दिनों में ।
2. सभी सुपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ।

चित्र 10 Fig. 10

दिनांक 21.5.2019 से 20.05.2020 तक की अवधि के लिए सतलुज जल की हरियाणा के रास्ते राजस्थान को हुई सप्लाई की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Rajasthan via Haryana out of Satluj water for the period from 21.5.2019 to 20.05.2019

³Ö¸üÖ‡Ô †¾Ö×¬Ö (21.5.2019 ÃÖê 20.9.20.19.)

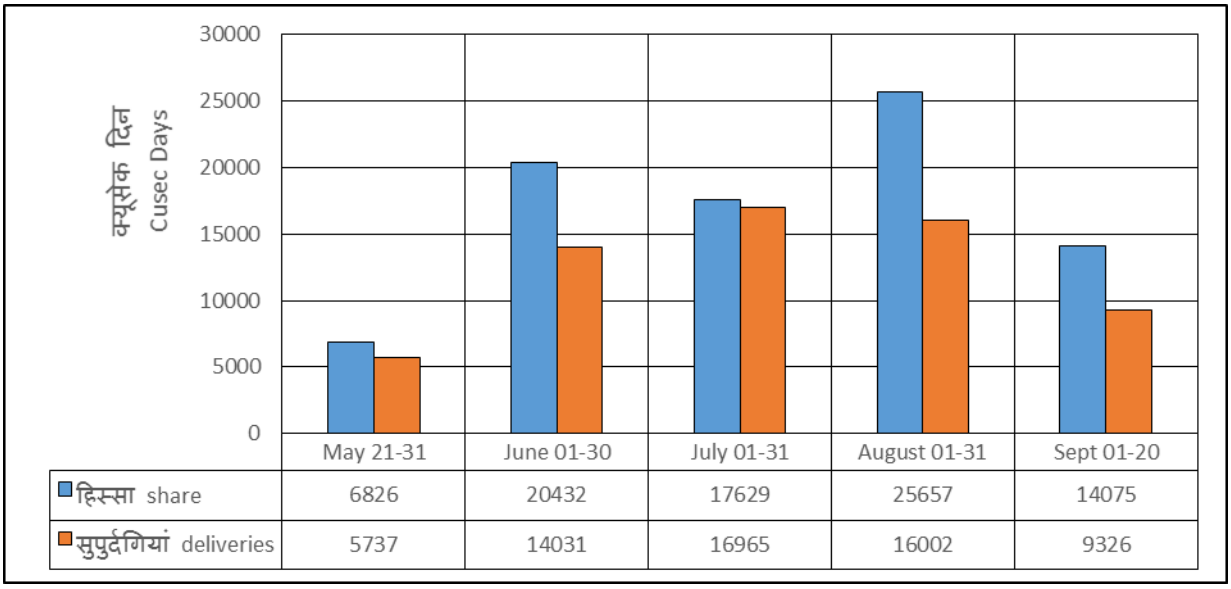


| | May 21-31 | June 01-30 | July 01-31 | August 01-31 | Sept 01-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| हिस्सा share | 6826 | 20432 | 17629 | 25657 | 14075 |
| सुपुर्दगियां deliveries | 5737 | 14031 | 16965 | 16002 | 9326 |

रिक्तिकरण †¾Ö×¬Ö (21.9.2019 ÃÖê 20.5.2020)

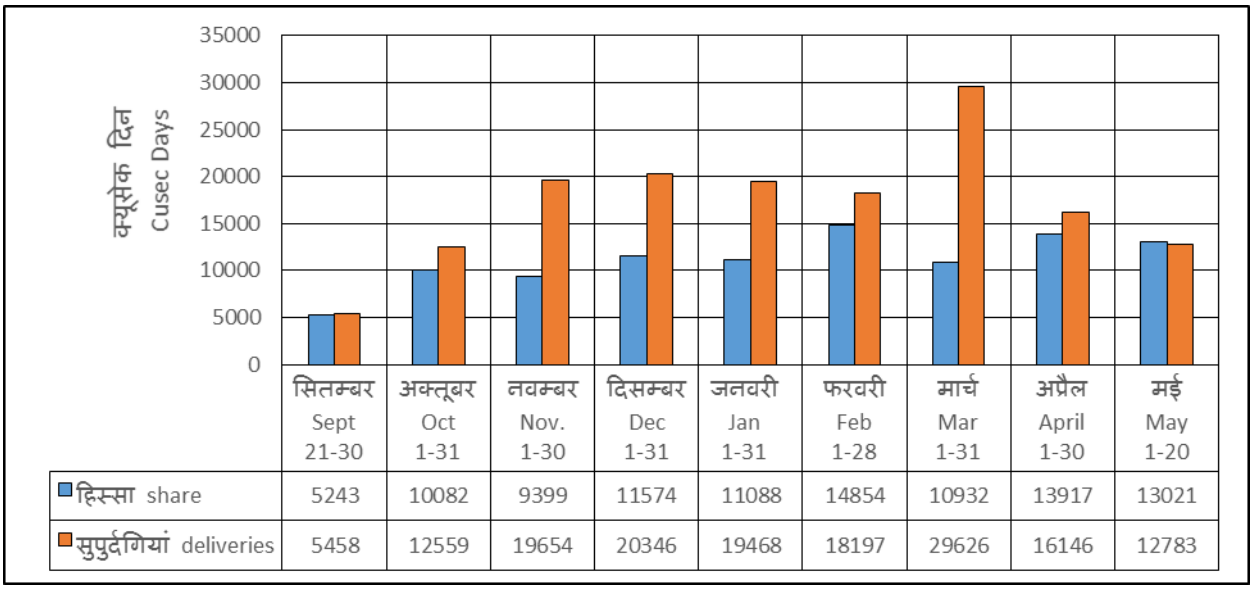


| | सितम्बर Sept 21-30 | अक्तूबर Oct 1-31 | नवम्बर Nov. 1-30 | दिसम्बर Dec 1-31 | जनवरी Jan 1-31 | फरवरी Feb 1-28 | मार्च Mar 1-31 | अप्रैल April 1-30 | मई May 1-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हिस्सा share | 5243 | 10082 | 9399 | 11574 | 11088 | 14854 | 10932 | 13917 | 13021 |
| सुपुर्दगियां deliveries | 5458 | 12559 | 19654 | 20346 | 19468 | 18197 | 29626 | 16146 | 12783 |

**Note(1) All figures are in cusec days.**

**(2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.**

नोट:-1. सभी आंकडे क्यूसिक दिनों में।

2. सभी सुपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार।

*चित्र 11 Fig. 11*

*दिनांक **21.5.2019** से **20.05.2020** तक की अवधि के लिए सतलुज जल की पंजाब के रास्ते राजस्थान को हुई सप्लाई की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका*

*Statement showing position of water supplies to Rajasthan via Punjab out of Satluj water for the period from 21.05.2019 to 20.05.2020*

³Ö¸üÖ‡Ô †¾Ö×¬Ö (21.05.2019 ÃÖê 20.09.19)

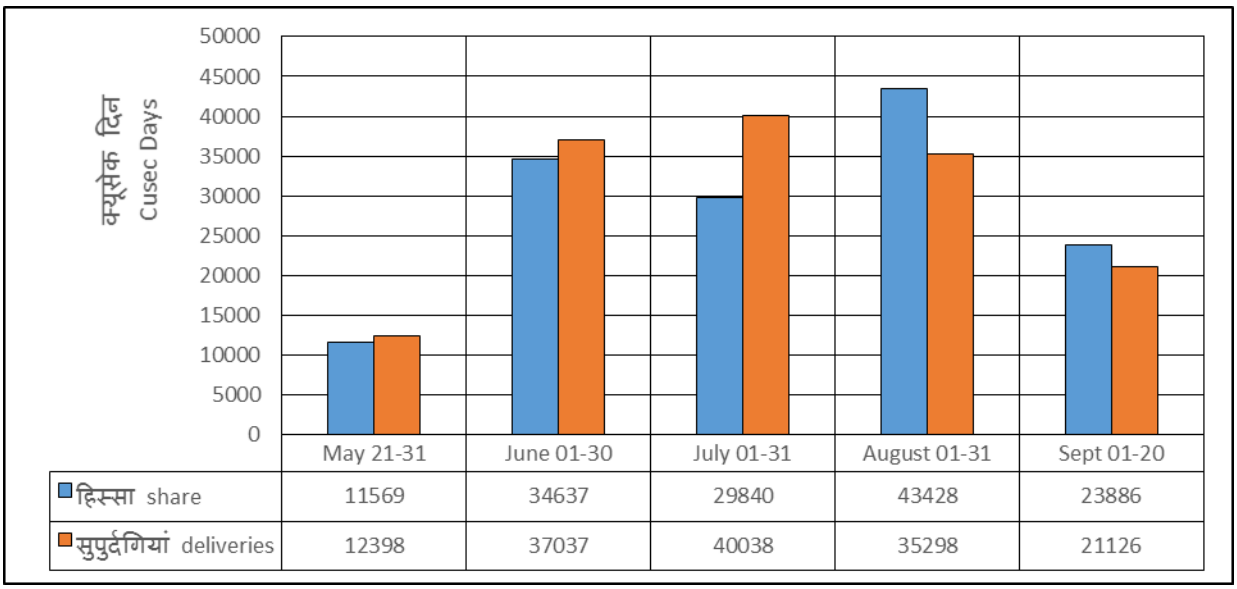


| | May 21-31 | June 01-30 | July 01-31 | August 01-31 | Sept 01-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| हिस्सा share | 11569 | 34637 | 29840 | 43428 | 23886 |
| सुपुर्दगियां deliveries | 12398 | 37037 | 40038 | 35298 | 21126 |

रिक्तिकरण †¾Ö×¬Ö (21.09.2019 ÃÖê 20.05.2020)

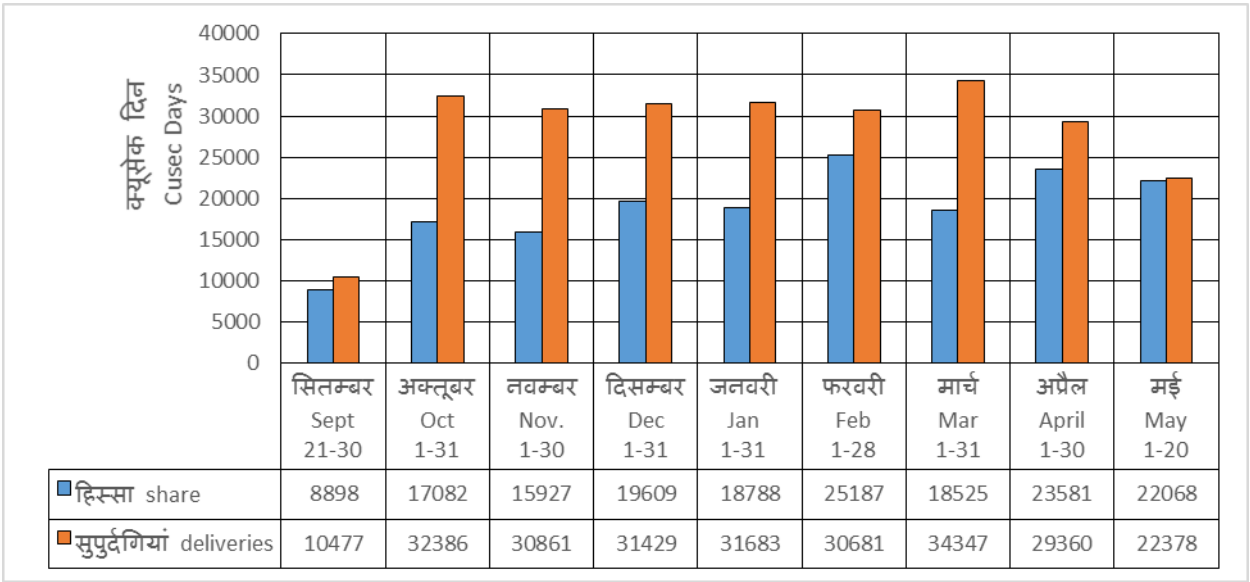


| | सितम्बर Sept 21-30 | अक्तूबर Oct 1-31 | नवम्बर Nov. 1-30 | दिसम्बर Dec 1-31 | जनवरी Jan 1-31 | फरवरी Feb 1-28 | मार्च Mar 1-31 | अप्रैल April 1-30 | मई May 1-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हिस्सा share | 8898 | 17082 | 15927 | 19609 | 18788 | 25187 | 18525 | 23581 | 22068 |
| सुपुर्दगियां deliveries | 10477 | 32386 | 30861 | 31429 | 31683 | 30681 | 34347 | 29360 | 22378 |

**Note** **(1) All figures are in cusec days.**
**(2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.**

नोट:- 1. सभी आंकडे क्यूसिक दिनों में ।

2. सभी सुपुर्दगियां आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार ।

*चित्र 12 Fig. 12*

*दिनांक 21.5.2019 से 20.05.2020 तक की अवधि के लिए रावी-ब्यास जल से राजस्थान को हुई जल आपूर्ति की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका*

*Statement showing position of water supplies to Rajasthan out of Ravi-Beas water for the period from 21.5.2019 to 20.05.2020*

³Ö¸üÖ‡Ô †¾Ö×¬Ö (21.05.2019 ÃÖê 20.09.2019)

Filling Period (21.05.2019 to 20.09.2019)

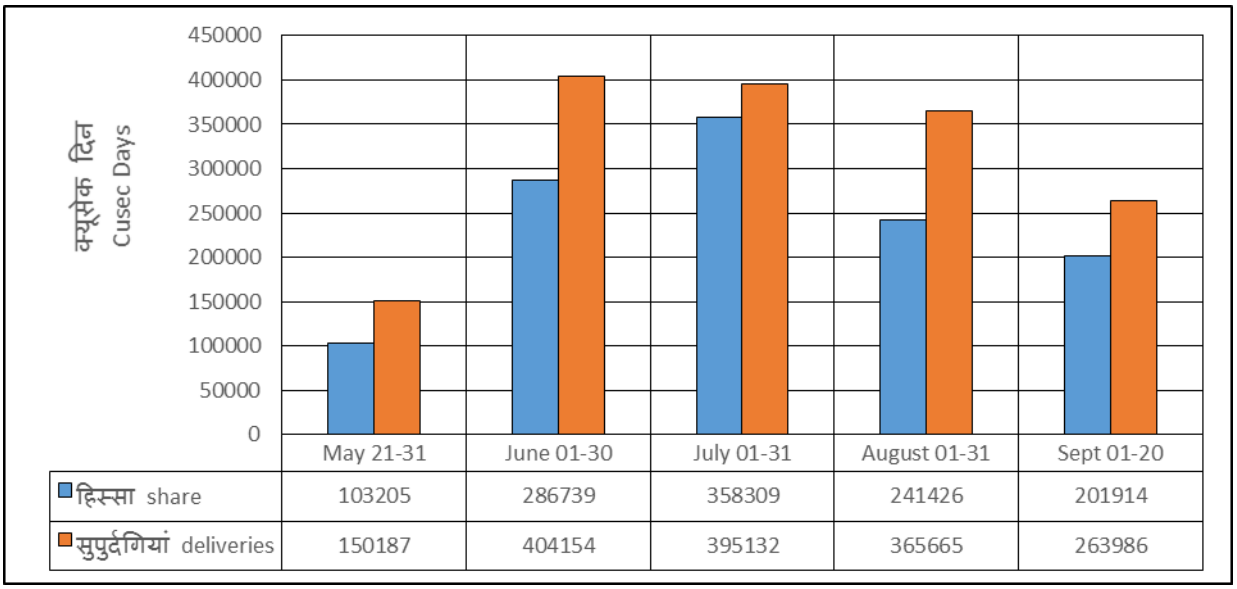


| | May 21-31 | June 01-30 | July 01-31 | August 01-31 | Sept 01-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| हिस्सा share | 103205 | 286739 | 358309 | 241426 | 201914 |
| सुपुर्दगियां deliveries | 150187 | 404154 | 395132 | 365665 | 263986 |

रिक्तिकरण †¾Ö×¬Ö (21.9.2019 ÃÖê 20.5.2020)

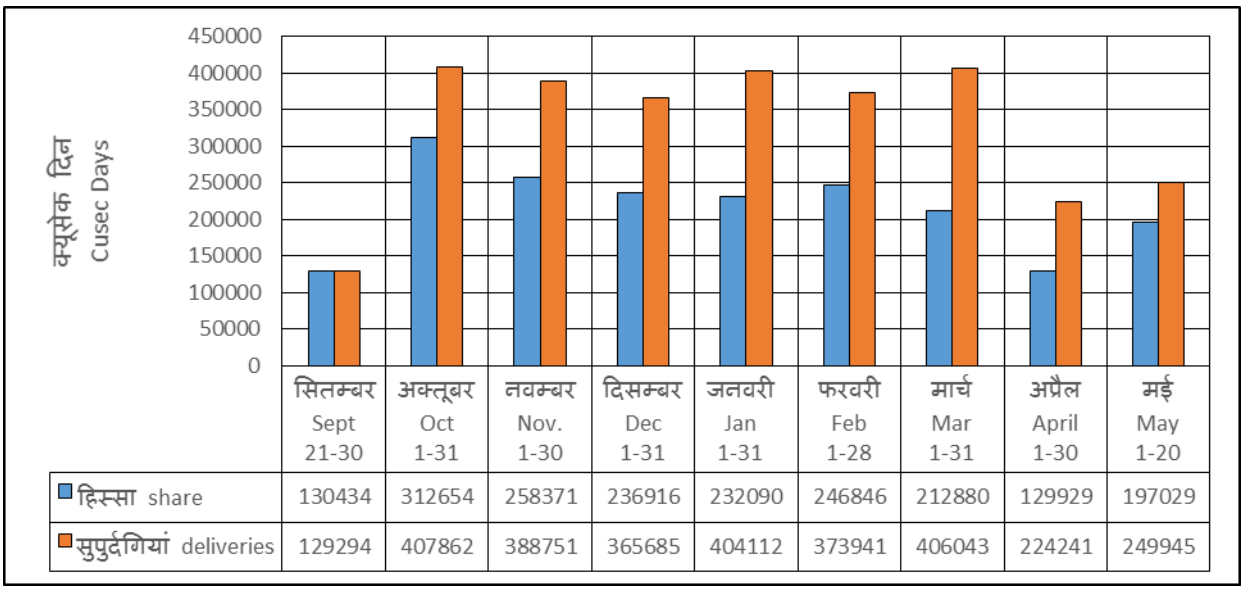


| | सितम्बर Sept 21-30 | अक्तूबर Oct 1-31 | नवम्बर Nov. 1-30 | दिसम्बर Dec 1-31 | जनवरी Jan 1-31 | फरवरी Feb 1-28 | मार्च Mar 1-31 | अप्रैल April 1-30 | मई May 1-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हिस्सा share | 130434 | 312654 | 258371 | 236916 | 232090 | 246846 | 212880 | 129929 | 197029 |
| सुपुर्दगियां deliveries | 129294 | 407862 | 388751 | 365685 | 404112 | 373941 | 406043 | 224241 | 249945 |

*Note(1) All figures are in cusec days.*

नोट:- सभी आंकडे क्यूसिक दिनों में ।

*चित्र 13 Fig. 13*

*दिनांक 21.5.2019 से 20.5.2020 तक की अवधि के लिए दिल्ली जल बोर्ड को की गई जल आपूर्ति की स्थिति दर्शाने वाली विवरणिका*

*Statement showing position of water supplies made to Delhi Jal Board for the period from 21.5.2019 to 20.05.2020*

³Ö¸üÖ‡Ô †¾Ö×¬Ö (21.5.2019 ÃÖê 20.09.2019)

Filling period (21.5.2019 to 20.09.2019 )

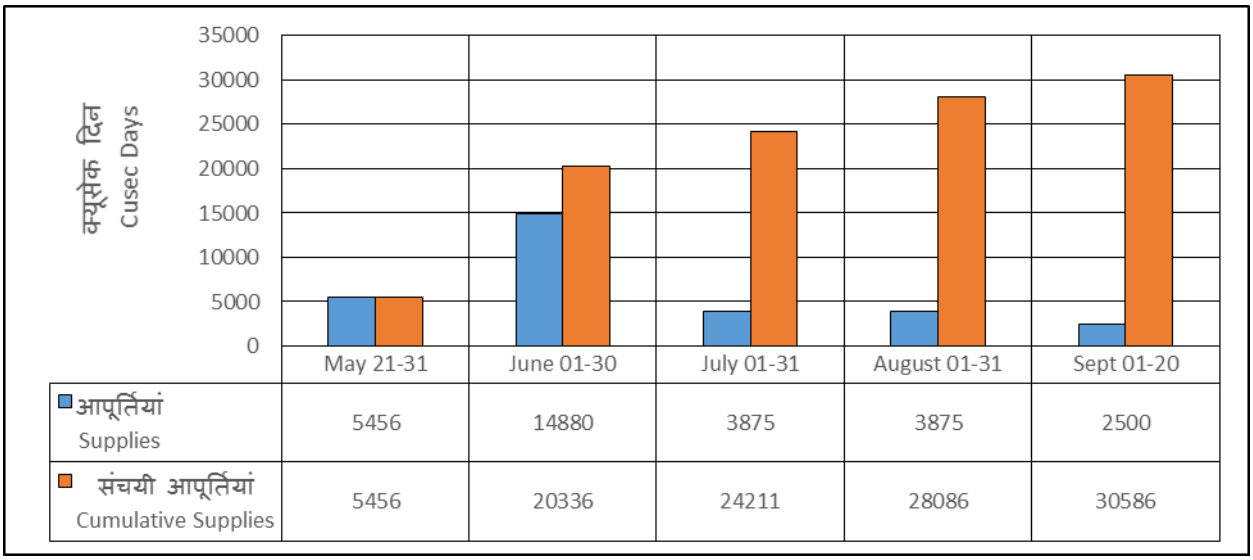


| | May 21-31 | June 01-30 | July 01-31 | August 01-31 | Sept 01-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| आपूर्तियां Supplies | 5456 | 14880 | 3875 | 3875 | 2500 |
| संचयी आपूर्तियां Cumulative Supplies | 5456 | 20336 | 24211 | 28086 | 30586 |

रिक्तिकरण †¾Ö×¬Ö (21.9.2019 ÃÖê 20.5.2020)

Depletion period (21.9.2019 to 20.5.2020 )

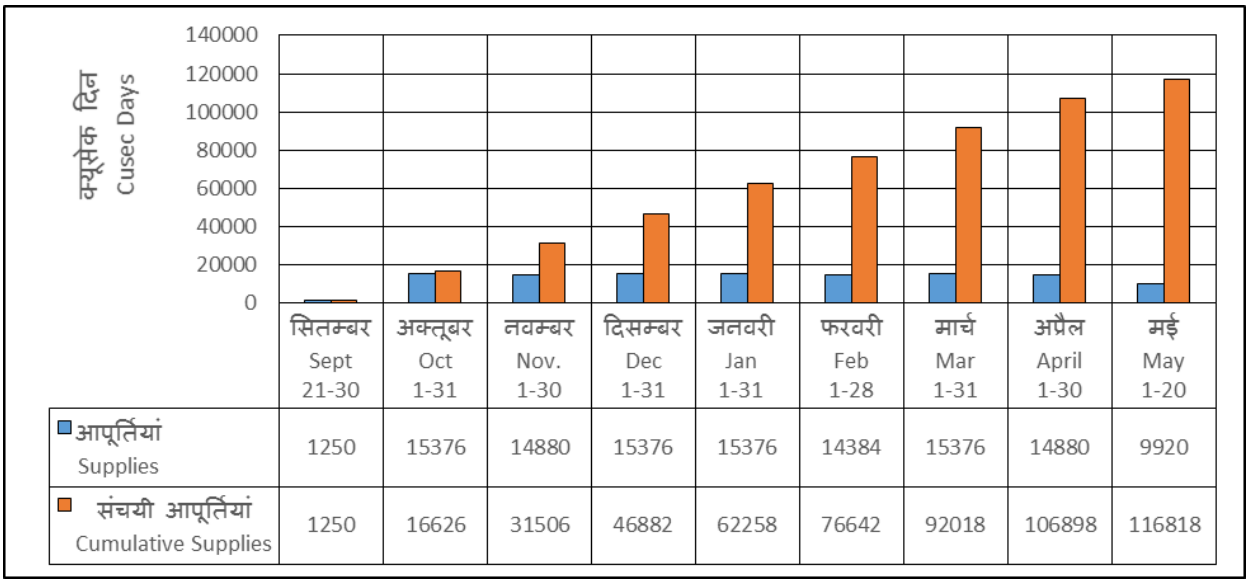


| | सितम्बर Sept 21-30 | अक्तूबर Oct 1-31 | नवम्बर Nov. 1-30 | दिसम्बर Dec 1-31 | जनवरी Jan 1-31 | फरवरी Feb 1-28 | मार्च Mar 1-31 | अप्रैल April 1-30 | मई May 1-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आपूर्तियां Supplies | 1250 | 15376 | 14880 | 15376 | 15376 | 14384 | 15376 | 14880 | 9920 |
| संचयी आपूर्तियां Cumulative Supplies | 1250 | 16626 | 31506 | 46882 | 62258 | 76642 | 92018 | 106898 | 116818 |

नोट(1)

सभी आंकडे क्यूसिक दिनों में ।

*Note(1) All figures are in cusec days.*

*चित्र 14 Fig. 14*

*दिनांक 21.5.2019 से 20.9.2020 तक की अवधि के लिए जे एंड के जल बोर्ड को की गई जल आपूर्ति की स्थिति दर्शाने वाली विवरणिका*

*Statement showing position of water supplies made to J&K Jal Board for the period from 21.5.2019 to 20.05.2020*

**भराई अवधि** (21.05.2019 से 20.09.2019)
Filling Period (21.05.2019 to 20.09.2019)

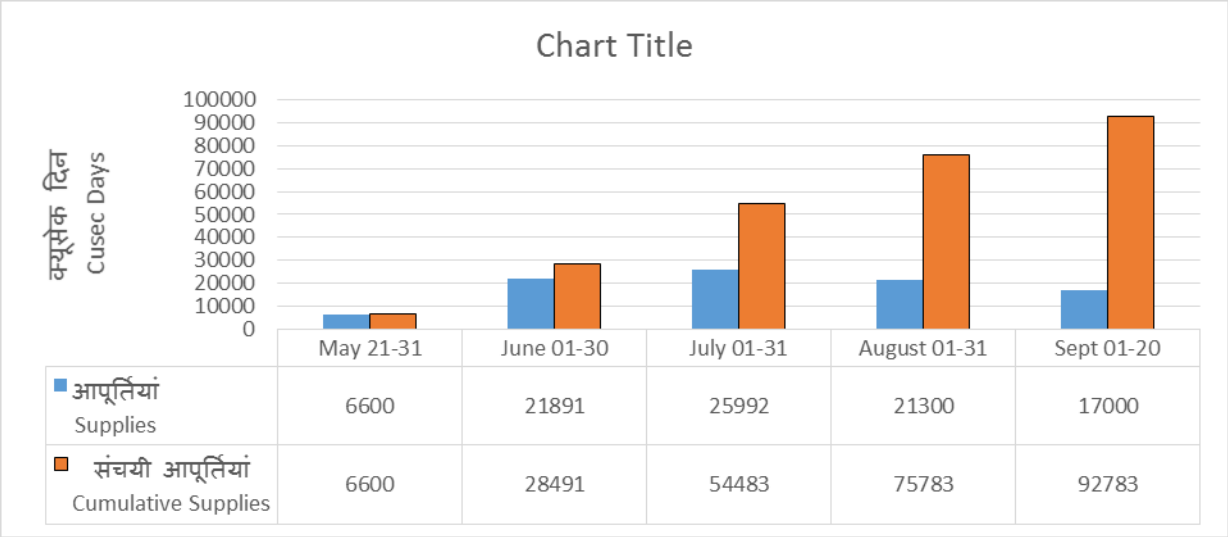


| | May 21-31 | June 01-30 | July 01-31 | August 01-31 | Sept 01-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| आपूर्तियां Supplies | 6600 | 21891 | 25992 | 21300 | 17000 |
| संचयी आपूर्तियां Cumulative Supplies | 6600 | 28491 | 54483 | 75783 | 92783 |

**रिक्तिकरण अवधि** (21.09.2019 से 20.05.2020
Depletion period (21.09.2020 to 20.05.2020)

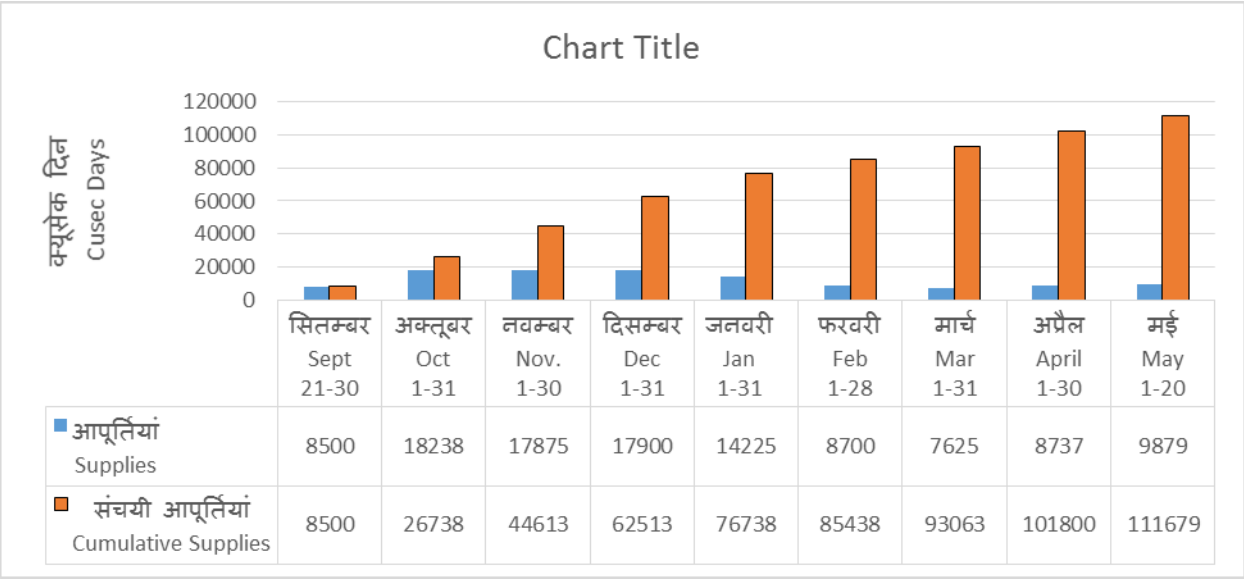


| | सितम्बर Sept 21-30 | अक्तूबर Oct 1-31 | नवम्बर Nov. 1-30 | दिसम्बर Dec 1-31 | जनवरी Jan 1-31 | फरवरी Feb 1-28 | मार्च Mar 1-31 | अप्रैल April 1-30 | मई May 1-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आपूर्तियां Supplies | 8500 | 18238 | 17875 | 17900 | 14225 | 8700 | 7625 | 8737 | 9879 |
| संचयी आपूर्तियां Cumulative Supplies | 8500 | 26738 | 44613 | 62513 | 76738 | 85438 | 93063 | 101800 | 111679 |

नोट(1) सभी आंकडे क्यूसिक दिनों में।
Note(1) All figures are in cusec days.

## 5.3 220 केवी बीबीएमबी उपकेन्द्रों का स्वचालन

बीबीएमबी ने अपने ट्रांसमिशन सिस्टम में उपकेन्द्रों के स्वचालन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बरनाला में पूरी तरह से स्वचालित 200 केवी सब स्टेशन संगरूर (बरनाला से 40 किमी) में 220 केवी सब स्टेशन से रिमोट ऑपरेशन के साथ हाल ही में 1.7 करोड़ रुपये की लागत से चालू किया गया है। सब स्टेशन अब मानवरहित है और नियंत्रण कक्ष में ताला लगा हुआ है और कोई भी कर्मचारी शिफ्ट ड्यूटी पर तैनात नहीं है। लाभों में ओ एंड एम की कम लागत, बढ़ी हुई सिस्टम विश्वसनीयता कम डाउनटाइम, संचालन की रिमोट मॉनिटरिंग इत्यादि शामिल हैं। हिसार, चरखी दादरी बल्लभगढ़ और समयपुर में स्थित अन्य सब स्टेशनों के लिए इसी तरह का काम प्रक्रियाधीन है।

## 5.4 सौर ऊर्जा संयंत्र

बीबीएमबी ने 44 गैर-आवासीय भवनों / उपकेन्द्रों पर 1710 kWp रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों को चालू किया है।

## 5.5 सुरक्षा/तकनीकी लेखा परीक्षा

बीबीएमबी विद्युत गृहों और पारेषण प्रणाली के सिस्टम सुदृढ़ीकरण और तकनीकी उन्नयन के लिए, बीबीएमबी अपने सबस्टेशनों/स्विचयार्ड की थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन ऑडिट और विद्युत घरों की तकनीकी ऑडिट करता है।

बीबीएमबी के सभी उपकेन्द्रों/उत्पादन केन्द्रों की सुरक्षा लेखा परीक्षा करने के लिए सीपीआरआई पर दिनांक 16.10.2019 के कार्य आदेश संख्या 43/पीएंडडी(टीएस)/एसएसएंडपी-358 प्रस्तुत कर दिया है । कार्यादेश के अनुसार 22 उपकेन्द्रों/उत्पादन केन्द्रों की लेखा परीक्षा की जानी है । 19 उपकेन्द्रों/उत्पादन केन्द्रों की लेखा परीक्षा पूर्ण हो गई है । 4 पारेषण लाईनों (कार्यादेश के अनुसार) का शुरू से अंत तक परीक्षण पूर्ण किया जा चुका है ।

## 6.1 विद्युत खण्ड

वर्ष 2019-20 के दौरान बीबीएमबी के विद्युत घरों का सामान्य नेमी अनुरक्षण करने के अतिरिक्त विभिन्न विद्युत घरों/पारेषण प्रणाली पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए:-

### 6.1.1 भाखड़ा विद्युत घर

क. यूनिटों का अनुरक्षण

| यूनिट नं | अनुरक्षण की अवधि | | अभिकथन |
|---|---|---|---|
| | से | तक | |
| 1. | 07.02.2020 | 26.02.2020 | वार्षिक अनुरक्षण |
| 2 | 09.03.2020 | 25.03.2020 | वार्षिक अनुरक्षण |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 01.04.2019 | 31.03.2020 | यूनिट नंबर 3 का आरएम एंड यू 108 मेगावाट से 126 मेगावाट तक प्रगति पर है। |
| 4. | 04.04.2019<br><br>06.12.2019 | 21.05.2019<br><br>26.12.2019 | रनर ब्लेड प्रोफाइल संशोधन<br><br>वार्षिक अनुरक्षण |
| 5. | 11.11.2019 | 03.12.2019 | पेनस्टॉक हैड गेट और उसके हॉइस्ट प्रणाली का प्रधान अनुरक्षण । |
| 6. | 30.09.2019<br><br>17.02.2020 | 10.12.2019<br><br>14.03.2020 | वार्षिक अनुरक्षण<br><br>वार्षिक अनुरक्षण |
| 7. | 17.03.2020 | 28.04.2020 | वार्षिक अनुरक्षण |
| 9. | 25.01.2020 | 15.02.2020 | वार्षिक अनुरक्षण |
| 10. | 24.12.2019 | 22.01.2020 | वार्षिक अनुरक्षण |

## (ख) मुख्य कार्य

### क) भाखड़ा बायां किनारा विद्युत घर का आर एम एंड यू

भाखड़ा बायां किनारा विद्युत घर का 5×108 मेगावाट से 5×126 मेगावाट तक के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन (आरएम एंड यू) का कार्य प्रगति पर है। जहां तक यूनिट नंबर 2, 4 और 5 का प्रश्न है उनके जोड़ने और निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये इकाइयां अपनी 126 मेगावाट की क्षमता के साथ सफलतापूर्वक चल रही हैं। तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, भाखड़ा बायां किनारा की यूनिट नंबर 3 का आर एम एंड यू कार्य दिनांक 01.04.2019 से प्रारम्भ किया गया है तथा यूनिट संख्या 3 के निम्नलिखित प्रमुख कार्य पूर्ण/प्रगति पर हैं।

**यूनिट नंबर - 3 (टरबाइन)**

- गाइड वेन ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को खोलना एवं डिस्मेंटल करना और गेट ऑपरेटिंग रिंग को ऊपर उठाना, सर्वोमोटर,गाइड बियरिंग रनर, हेड कवर, थ्रोट रिंग और बॉटम कवर लाइनर, बाँटम पाइप तथा अन्य भागों को पिट से निकालना ।
- मौजूदा शाफ्ट के साथ रनर,गाइड वेन्स हेड कवर, थ्रोट रिंग, गाइड बेयरिंग, वातन पाइप तथा पिट के अन्य हिस्से की असेम्बली ।
- सीलिंग बॉक्स, टरबाइन गाइड बेयरिंग की असेंबली ।
- दिनांक 30.09.2019 को टरबाइन शाफ्ट मुक्त किया ।
- गाइड वेन ऑपरेटिंग मैकेनिज्म और सर्वोमोटर को असैंबल किया ।
- जीओपी प्रणाली पंप तथा इसके पाइपिंग कार्य और विद्युत नियंत्रण कक्ष को स्थापित किया ।
- इंस्ट्रूमेंट पैनल और बूस्टर पंप और उसकी पाइपिंग को स्थापित किया ।

**यूनिट नंबर -3 (जेनरेटर)**

- जेनरेटर के पुर्जों और उसके सहायक उपकरणों को अलग करके तोड़ा गया ।
- सीपीआरआई द्वारा साइट पर यूनिट सं.3 की जनरेटर शाफ्ट का एनडीटी परीक्षण किया।
- साइट पर स्टेटर फ्रेम की असैंबली, कोर को बनाने, कोर इंडक्शन परीक्षण, टॉप और बॉटम बार्स को बैठाना, पोल से पोल जोड़ना, ब्रेजिंग कार्य, इंसुलेशन कैपिंग और टैंपिग कार्य इत्यादि सहित यूनिट संख्या 3 के लिए नया स्टेटर का कार्य पूर्ण किया और इसके बाद दिनांक 24.07.2019 को पूर्ण स्टेटर का विद्युत परीक्षण पूरा किया तथा इसके पश्चात स्टेटर को आगामी मशीन की असेंबली हेतु पिट में रखा गया।
- स्पाइडर की एनडीटी परीक्षण में 10 नं0 खराब रिम बोल्ट सहित स्पाइडर में 151 नं0 वेल्ड दरारें पाई गईं तथा इन दरारों की मरम्मत की गई और मैसर्स एंड्रिट्ज़ हाइड्रो को अतिरिक्त कार्य आदेश देकर खराब रिम बोल्ट को नए के साथ बदला गया।
- रोटर का नवीनीकरण, ब्रेक रिंग की स्थापना, रोटर पोल्स का प्रवेश, चुंबकीय केंद्र की जांच, पोल से पोल और डैपर संयोजन,, रोटर लीड और शाफ्ट लीड कनेक्शन स्थापना, एनडीई और डीई पंखों की स्थापना, स्पाइडर कवर असेंबली इत्यादि ।
- स्टेटर में इसे उतारने के लिए रोटर की तैयारी पूरी होने के करीब है।
- प्री-असेंबली कार्य पूरा होने पर, लोअर ब्रैकेट को पिट में उतारा गया और लोअर ब्रैकेट के प्री एलाइनमेंट की जांच की गई ।
- ठन्डे पानी की पाइप लाइनों की स्थापना का कार्य पूरा होने के करीब है।
- केबल ट्रे, केबल बिछाने का कार्य पूरा होने के करीब है ।
- संरचना और बस डक्ट का निर्माण पूरा होने के करीब है।

ख) इसके अतिरिक्त अक्तूबर/नवम्बर, 2019 के दौरान एस एल डी सी परिसर चड़ीगढ में भाखड़ा बायां किनारा विद्युत घर के रिमोर्ट कार्य स्टेशन की स्थापना और चालू करने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया और विद्युत घर की यूनिट 2,4 और 5 के रिमोट परिचालन का कार्य नवम्बर-2019 के दौरान एस एल डी सी परिसर चड़ीगढ से अध्यक्ष, बीबीएमबी की उपस्थिति में आरम्भ हुआ तथा अब इन इकाइयों को नियमित रूप से रिमोर्ट से परिचालित किया जा रहा है।

ग) यूनिट नं0 4 के रनर प्रोफाइल का आधुनिकीकरण अप्रैल/मई, 2019 के दौरान पूरा किया गया ।

घ) ट्रांसफार्मर पर उत्तेजना केबल कनेक्शन के थिम्बल्स में फ्लैश के कारण दिसंबर 2019 के दौरान यूनिट नंबर -2 का उत्तेजना ट्रांसफार्मर खराब हुआ । उत्तेजना ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त हिस्सों की स्थानीय रूप से विद्युत घर में मरम्मत की गई और उसे सफलतापूर्वक चालू किया गया।

ड) यूनिट नंबर-3 के आरएम एंड यू के अंतर्गत, सीपीआरआई, बेंगलुरु की रिपोर्ट के आधार पर मशीन की क्षमता को बनाए रखने के लिए सीजीएल मेक 10.5/220 केवी 120 एमवीए रेटिंग के मौजूदा पुराने यूनिट ट्रांसफार्मर को बरकरार रखा गया है ।

### 6.1.2 गंगूवाल और कोटला विद्युत घर

क. यूनिटों का अनुरक्षण

| यूनिट नं | अनुरक्षण की अवधि | | अभिकथन |
|---|---|---|---|
| | से | तक | |
| **गंगूवाल** | | | |
| 1 | 15.04.2019<br>17.10.2019 | 24.04.2019<br>22.10.2019 | वार्षिक अनुरक्षण<br>अर्धवार्षिक अनुरक्षण |
| 2 | 09.04.2019<br>07.01.2020 | 15.04.2019<br>14.01.2020 | तिमाही अनुरक्षण<br>अर्धवार्षिक अनुरक्षण |
| 3 | 18.11.2019 | 23.11.2019 | अर्धवार्षिक अनुरक्षण |
| कोटला | | | |
| 1 | 21.01.2020 | 25.01.2020 | अर्धवार्षिक अनुरक्षण |
| 2 | 13.04.2019<br>06.01.2020 | 26.04.2019<br>11.01.2020 | वार्षिक अनुरक्षण<br>अर्धवार्षिक अनुरक्षण |
| 3 | 09.04.2019<br>05.12.2019 | 13.04.2019<br>11.12.2019 | तिमाही अनुरक्षण<br>अर्धवार्षिक अनुरक्षण |

ख. **मुख्य कार्य**

**गंगूवाल एवं कोटला विद्युत घर**

1. दिनांक 01/05/2019 को गंगूवाल विद्युत घर के 132 केवी/33 केवी टी/एफ टी-2 का वार्षिक अनुरक्षण किया गया।
2. दिनांक 02/05/2019 को गंगूवाल-कोटला टाई सर्किट नं. 1 का वार्षिक अनुरक्षण किया गया।
3. दिनांक 16/05/2019 को गंगूवाल विद्युत घर के 132 केवी/33 केवी 12.5/16 एमवीए टी/एफ टी-1 और टी-3 का वार्षिक अनुरक्षण किया गया।
4. यूनिट नंबर 1 का आउटलेट वाल्व बदला गया।

5. गंगूवाल और कोटला विद्युत गृहों में सभी फ्लोर/स्थापनाओं के ई एल स्तरों को मापकर निशान लगाए गए ।
6. दिनांक 27/08/2019 को गंगूवाल और कोटला विद्युत घरों में एक-एक दो सेट का 110 सेल 220 वोल्ट 300 एएच बैटरी बैंक स्थापित तथा चालू किया गया।
7. दिनांक 03/09/2019 को गंगूवाल विद्युत घर पर एक नं0 100पीएसआई,ईआईजीआई कंप्रेसर की ओवरहालिंग और मरम्मत की गई ।
8. दिनांक 21/10/2019 गंगूवाल विद्युत घर के 132/220 केवी 90 एमवीए आई/एल टी/एफ टी-2 का अर्धवार्षिक अनुरक्षण किया गया।
9. दिनांक 31/10/2019 को गंगूवाल विद्युत घर के 132 केवी/33 केवी 12.5/16 एमवीए टी/एफ टी-1 एवं टी-3 का अर्धवार्षिक अनुरक्षण किया गया।
10. दिनांक 14/11/2019 को गंगूवाल पावर हाउस के 132 केवी/33 केवी 16 एमवीए टी/एफ टी-2 का अर्धवार्षिक अनुरक्षण किया गया।
11. दिनांक 26/11/2019 को गंगूवाल विद्युत घर में 132 केवी बस-कपलर का वार्षिक अनुरक्षण किया गया था।
12. दिनांक 06/12/2019 को गंगूवाल-कोटला टाई सर्किट नं.2 का वार्षिक अनुरक्षण किया गया।
13. दिनांक 18/12/2019 को गंगूवाल विद्युत घर पर 132/220 केवी 90 एमवीए आई/एल टी/एफ टी-1 का अर्धवार्षिक अनुरक्षण किया गया।
14. दिनांक 26/11/2019 को कोटला विद्युत घर पर 132 केवी कोटला-रोपड़ के.टी. के सर्किट नं02 के ब्रेकर का वार्षिक अनुरक्षण किया गया ।
15. दिनांक 19/12/2019 को कोटला विद्युत घर पर 132 केवी कोटला-रोपड़ के.टी. के सर्किट नं0 3 के ब्रेकर का वार्षिक अनुरक्षण किया गया ।
16. दिनांक 01/01/2020 को कोटला विद्युत घर पर 132 केवी कोटला-रोपड़ के.टी. के सर्किट नं0 1 के ब्रेकर का वार्षिक अनुरक्षण किया गया ।

### 6.1.3 पौंग विद्युत घर

#### क. यूनिटों का अनुरक्षण

| यूनिट नं | अनुरक्षण की अवधि | | कथन |
|---|---|---|---|
| | से | तक | |
| 1 | 27.10.2019 | 04.11.2019 | अर्ध वार्षिक अनुरक्षण |
| 3. | 09.04.2019<br>11.10.2019 | 13.05.2019<br>18.10.2019 | मौजूदा गवर्नर को नए डिजीटल गवर्नर के साथ बदलने सहित मशीन का वार्षिक अनुरक्षण । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 03.10.2019 | 10.10.2019 | अर्ध वार्षिक अनुरक्षण । |
| 5 | 13.05.2019<br><br><br><br><br>19.10.2019 | 17.06.2019<br><br><br><br><br>26.10.2019 | मौजूदा गवर्नर को नए डिजिटल गवर्नर के साथ बदलने सहित मशीन का वार्षिक अनुरक्षण ।<br><br>अर्ध वार्षिक अनुरक्षण । |
| 6 | 26.03..2019<br><br>05.11.2019<br><br>01.02..2020 | 11.04.2019<br><br>13.11.2019<br><br>06.04.2020 | वार्षिक अनुरक्षण<br><br>अर्ध वार्षिक अनुरक्षण ।<br><br>जेनरेटर और ट्रांसफार्मर प्रोटैक्शन पैनल बदलने सहित मशीन का वार्षिक अनुरक्षण । |

**ख. मुख्य कार्य**

1. पोंग विद्युत घर, तलवाड़ा में यूनिट संख्या 02 के मौजूदा मेन स्टेटर, कोर, वाइड़िग और फ्रेम का बदलाव
2. पोंग विद्युत घर की यूनिट संख्या 02 का प्रधान अनुरक्षण
3. पोंग के लिए नए संशोधित थ्रर्स्ट पैडस सहित एच. एस.ल्यूब्रिकेशन उपलब्ध करना।

**यूनिट संख्या-2 पौंग विद्युत घर, तलवाड़ा**

भेल द्वारा 21.02.2019 को पोंग विद्युत घर की यूनिट संख्या 02 का 66 मेगावाट के नए पूर्ण बाउंड स्टेटर असेंबली को नए स्टेटर एयर कूलर और जेनरेटर कूलिंग वॉटर पाइपिंग (थर्मल इंसुलेशन के साथ) वाल्व और फिटिंग स्टेटर एयर कूलर और ऑयल कूलर पिट के अन्दर और बाहर **यूनिट नंबर 2** के पुराने 60 मेगावाट स्टेटर के साथ बदलने का कार्य नई टॉप और बॉटम एयर गाइड और एयर बैफल प्लेट्स, फ्लो मीटर, टेम्परेचर स्कैनर इत्यादि, मशीन का प्रधान अनुरक्षण तथा नए संशोधित थ्रस्ट पैड सहित एच.एस. ल्यूब्रिकेशन उपलब्ध कराने का काम किया गया ।

दिनांक 08.04.2019 को यूनिट नंबर 2 को तोड़ने का कार्य पूरा किया गया । दिनांक 13.06.2019 को स्टेटर कोर का निर्माण कार्य पूरा हुआ । भेल द्वारा दिनांक 22.06.2019 को कोर का समेकन और कोर प्रवाह का परीक्षण किया गया। संबंधित स्टेटर स्लॉट बाँर लगाने के बाद दिनांक 04.09.2019 को निचली और ऊपरी बार का एचवी परीक्षण एक साथ किया गया । बीएचईएल द्वारा दिनांक 21.09.2019 को बॉटम और टॉप बाँर का

एचवी परीक्षण एक साथ किया गया । ऊपरी कोर की बाँर टू बार जोड़ो की ड्रेसिंग और ब्रेजिंग का कार्य दिनांक 09.10.2019 को पूरा किया गया । दिनांक 07.12.2019 को स्टेटर वाइंडिंग का टेन डेल्टा टेस्ट, कैपेसिटेंस परीक्षण, आंशिक निर्वहन परीक्षण तथा डीसी वाइंडिंग प्रतिरोध परीक्षण पूरा किया गया । दिनांक 09.12.2019 को जेनरेटर पिट में नए स्टेटर को उठाने और उतारने का कार्य पूरा किया गया । यूनिट नंबर 2 के रोटर को दिनांक 19.12.2019 को नीचे रखा गया।

यूनिट नंबर 2 की निर्माण गतिविधियों का कार्य दिनांक 18.03.2020 को पूरा किया गया। यांत्रिक स्पिनिंग हेतु यूनिट की तैयारी के दौरान, यूनिट नंबर 2 का पीआरवी दिनांक 19.03.2020 को अटक गया। गड़बड़ी को दूर करने के लिए, मैसर्स भेल ने अनुभवी व्यक्ति को साइट पर तैनात करने में असमर्थता जताई क्योंकि पंजाब राज्य कोविड-19 कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के लिए निवारक उपाय कर रहा था, इसके लिए बीबीएमबी ने अपने अनुरक्षण स्टाफ के 06 कर्मचारियों को सह-संविदाकर्ता मैसर्ज गो गोयल के साथ गड़बड़ी को दिनांक 28.03.2020 को सफलतापूर्वक ठीक कर लिया गया।

पीक आवर जनरेशन की मांग को पूरा करने हेतु और भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के विरूद्ध लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए, बीबीएमबी के उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया कि यूनिट नंबर 2 के लंबित कमीशनिंग कार्य को पूरा करने लिए पोंग विद्युत घर के अनुरक्षण कर्मचारियों को तैनात किया जाए ताकि यूनिट नंबर 2 उत्पादन के लिए शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध हो सके । इकाई का कमीशनिंग कार्य प्रगति पर है ।

- यूनिट नंबर 3, 5 और 2 के मौजूदा गवर्नरों को माइक्रोप्रोसेसर आधारित डिजिटल इलेक्ट्रो हाइड्रॉलिक गवर्नर के साथ बदलने का कार्य मैसर्ज एंड्रिट्ज़ हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा द्वारा एक- एक करके क्रमशः दिनांक 09.04.2019, 13.05.2019 और 13.05.2019 को किया गया ।
- यूनिट नंबर 3, 5 और 2 के नए गवर्नरों का निर्माण, परीक्षण तथा चालू करने का कार्य क्रमशः दिनांक 13.05.2019, 17.06.2019 तथा 23.04.2020 को पूरा किया गया।
- मेसर्ज शक्तिमान क्रेन्स नई दिल्ली द्वारा पोंग विद्युत घर पर स्थापित 01 नंबर 20 टन क्षमता वाली सेमी-गैन्ट्री क्रेन की सर्विस दिनांक 14.11.2019 से 22.11.2019 तक सफलतापूर्वक की गई।
- पोंग विद्युत घर तलवाड़ा के मुख्य द्वार पर 01 नंबर स्थापित विद्युत चालित रोलिंग शटर को नए के साथ बदला गया । दिनांक 23.05.2019 को मैसर्ज पंजाब रोलिंग शटर लुधियाना द्वारा नए रोलिंग शटर को सफलतापूर्वक स्थापित कर संचालित किया गया।

- पोंग पावर हाउस तलवाड़ा में स्थापित 16 व्यक्तियों की क्षमता वाली ओटीआईएस मेक लिफ्ट #52 एनई 02440 की दिनांक 15.04.2019 को मै॰ ओटीआईएस चंडीगढ़ द्वारा ओवरहालिंग/अपग्रेडेशन की गई। इरेक्शन और परीक्षण के उपरान्त, दिनांक 24.04.2019 को मै॰ ओटीआईएस द्वारा लिफ्ट को सफलतापूर्वक चालू किया गया।
- दिनांक 30.09.2019 से 09.10.2019 और 16.12.2019 से 21.01.2020 के दौरान भेल की सेवा को पुनः शुरू किए बिना, प्रभावी रूप से पोंग विद्युत घर तलवाड़ा की यूनिट नंबर 5 के जनरेटर अर्थ दोष के सुधार कार्य को सफलतापूर्वक किया गया और इस प्रकार उत्पादन नुकसान को बचाने के लिए मशीन की उपलब्धता में सुधार किया गया । यूनिट संख्या 5 के उपरोक्त 02 स्टेटर अर्थ फाल्ट के दौरान कुल 08 नए स्टेटर कॉइल्स बदले गए ।
- दिनांक 24.04.2019 से 23.05.2019, 26.08.2019 से 21.09.2019 और 30.12.2019 से 10.01.2020 के दौरान भेल की सेवा को पुनः शुरू किए बिना, प्रभावी रूप से पोंग विद्युत घर, तलवाड़ा की यूनिट नंबर 4 के जनरेटर अर्थ दोष के सुधार कार्य को सफलतापूर्वक किया गया और इस प्रकार उत्पादन नुकसान को बचाने के लिए मशीन की उपलब्धता में सुधार किया गया । यूनिट संख्या 4 के उपरोक्त 03 स्टेटर अर्थ फाल्ट के दौरान कुल 18 नए स्टेटर कॉइल्स तथा 02 नं0 रोलर फील्ड कॉइल्स बदले गए ।

### 6.1.4 देहर विद्युत गृह

**क. यूनिटों का अनुरक्षण**

| यूनिट नं | अनुरक्षण की अवधि | कथन |
|---|---|---|
| 1 | 28.01.2019 से 27.05.2019<br><br>07.01.2020 से 27.01.2020 | प्रधान अनुरक्षण<br><br>वार्षिक अनुरक्षण/ |
| रोटरी वाल्व एम/सी 1 एवं 2 | 28.01.2019 से 10.05.2019 | रोटरी वाल्व का प्रधान अनुरक्षण |
| 3 | 23.03.2020 से 11.04.2020 | वार्षिक अनुरक्षण |
| 4 | 17.02.2020से 09.03.2020 | वार्षिक अनुरक्षण |
| 5 | 05.11.2019 से 31.01.2020 | वार्षिक अनुरक्षण |
| 6 | 23.09.2019 से 16.02.2020 | प्रधान अनुरक्षण |

### 6.1.5 भाखड़ा बायां किनारा विद्युत घर का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन (आर,एम एण्ड यू)

पुराने विद्युत घरों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन न केवल मशीनों को नया जीवन देता है अपितु राष्ट्र की आवश्यकताओं को कम लागत पर क्लीन पीकिंग पावर उपलब्ध कराने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

बीबीएमबी ने अपनी हाइड्रो उत्पादक इकाईयों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन का महत्वाकांक्षी कार्य शूरू किया है। नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन द्वारा बीबीएमबी नें पहले ही 329 मैगावाट की वृद्धिशील क्षमता जोड़ ली है। वर्तमान मे बीबीएमबी ने भाखडा बायां किनारा विद्युत घर की 5 नं. मशीनों (प्रत्येक का 108 मेगावाट से 126 मेगावाट) के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन का कार्य शुरू किया है। तीन यूनिटों का पहले ही 108 से 126 मेगावाट उन्नयन किया जा चुका है और अन्य दो यूनिटों का अप्रैल 2020 तक उन्नयन कर दिया जाएगा, जिस से अतिरिक्त क्षमता 36 मेगावाट प्राप्त होगी (कुल 365 मेगावाट)। मैसर्ज़ सुमितोमो कारपोरेशन जापान के कंसोर्टियम के साथ अनुबंध कर लिया गया है। आर, एम एण्ड यू की कुल लागत लगभग 489.77 करोड़ रूपए होगी (जिसमें बीबीएमबी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरण जैसे कि जनरेटर, ट्रांसफार्मर, न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन स्कीम और आईडीसी बैंक/वित्त/कानूनी प्रभार इत्यादि को छोड़कर)।

दिनांक 18 जुलाई, 2013 को आरएमएण्डयू की सफलता उपरांत प्रथम इकाई (यूनिट-2) को चालू किया गया । उसी प्रकार दूसरी इकाई (यूनिट नं0 5) जिसका दिनांक 11.04.2011 से आरएमएण्डयू के अंतर्गत कार्य चल रहा था, दिनांक 02.10.2013 को चालू कर दिया गया । तीसरी इकाई (यूनिट नं0 4) को दिनांक 05.08.2015 को आरएमएण्डयू के उपरान्त चालू कर दिया गया ।

विद्युत गृह यूनिट नंबर 2 के रनर ब्लेड पर देखे गए लोकलाइज केविएशन के संबंध में दिनांक 13 जनवरी, 2016, 02 मार्च, 2016 को कंसोर्टियम के साथ प्रबंधन द्वारा आयोजित बैठक के अनुसार ठोस टुकड़े वेल्डिंग के माध्यम से रनर ब्लेड प्रोफ़ाइल का संशोधन 10 जून 2016 को साइट पर किया गया । यूनिट नंबर 2 के रनर पर किया गया संशोधन सफल रहा और दिनांक 19.11.2018 को बीबीएमबी बोर्ड द्वारा भी अनुमोदित किया गया।

सीपीआरआई, बैंगलोर की यूनिट 5 के शाफ्ट जेनरेटर की रिपोर्ट के आधार पर, नए जेनरेटर शाफ्ट (जोकि पहले मैसर्स एंड्रिट्ज़ हाइड्रो को आर्डर किया गया था) को नए स्पाइडर रिम और अन्य संबंधित भाग दिनांक 14.10.2016 को मैसर्ज एंड्रिटज हाइड्रो जीएमबीएच, ऑस्ट्रिया को दिया गया था, को भाखड़ा बायां किनारा विद्युत गृह की यूनिट संख्या-5 के मौजूदा पुर्जों से साथ बदला गया । दिनांक 21.10.2016 तो शाफ्ट, स्पाइडर, रिम और अन्य संबंधित भागों को अन्य गतिविधियों सहित बदलने का काम शुरू किया गया था और दिनांक

15.06.2018 को कमर्शियल रन पर डाल दिया गया यूनिट 126 मेगावाट के उत्पादन के साथ चल रही है

विद्युत गृह यूनिट नंबर 3 को 1 अप्रैल,2019 को आर एम एंड यू के लिए बंद कर दिया गया ।

अंतिम 5वीं यूनिट (विद्युत गृह यूनिट नंबर 1) का आर, एम एंड यू कार्य 4 यूनिट (विद्युत गृह यूनिट नंबर 3) के चालू होने पर आधारित है ।

### 6.1.6 पारेषण प्रणाली

बीबीएमबी उपकेन्द्रों और पारेषण लाइनों का सामान्य कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा। किए गए मुख्य कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

i) विद्युत ट्रांसफार्मर्स

- 220 केवी, उपकेंद्र, नरेला में पुराना 8/4 एमवीए 132/11 ट्रांसफार्मर को डिसमेंटल किया गया और 10/12.5 एमवीए 132/11 केवी ट्रांसफार्मर को कुरुक्षेत्र से परिवर्तित कर चालू किया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, कुरुक्षेत्र में पुराने 132/11 केवी, 16/20 एमवीए ट्रांसफार्मर को नए ईसीई मेक 132/11 केवी 16/20 एमवीए ट्रांसफार्मर से बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, हिसार में क्षतिग्रस्त बीएचईएल मेक 220/132 केवी 100 एमवीए टी/एफ को ट्रांसफार्मर 220/132 केवी 100 एमवीए ट्रांसफार्मर (एमको मेक)( परीक्षण और चालू करना) से बदला गया ।

**ii) सर्किट ब्रेकर्ज**

- 400 केवी उपकेंद्र, पानीपत में 220/132 केवी ट्रांसफार्मर टी-2 के 220 केवी सीजीएल मेक सर्किट ब्रेकर के ब्लू फेज के क्षतिग्रस्त लिम्ब को नई लिम्ब से बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में विभिन्न सर्किट के पुराने 17 नं. 220 केवी एसएफ-6 सर्किट ब्रेकर को नए एसएफ-6 सर्किट ब्रेकर्ज (सीजीएल मेक) से बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, संगरूर के 220/66 केवी, 60 एमवीए ट्रांसफार्मर-3 का पुराना 245 केवी एसएफ-6 सर्किट ब्रेकर (सीजीएल मेक) को नए एसएफ-6 सर्किट ब्रेकर(सीजीएल मेक) से बदला गया ।
- 400 केवी उपकेंद्र, भिवानी में 220 केवी, भिवानी-दादरी सर्किट-1 के एसएफ-6 सर्किट ब्रेकर को अधिष्ठापित और चालू किया गया ।
- 400 केवी उपकेंद्र, भिवानी में 220 केवी भिवानी-दादरी सर्किट-2 के 1 नं. एसएफ-6 सर्किट ब्रेकर को अधिष्ठापित और चालू किया गया ।
- 400 केवी उपकेंद्र, भिवानी में 220 केवी भिवानी-हिसार सर्किट-1 के 1 नं. एसएफ-6 सर्किट ब्रेकर को अधिष्ठापित और चालू किया गया ।

- 400 केवी उपकेंद्र, भिवानी में 220 केवी भिवानी-हिसार सर्किट-2 के 1 नं0 एसएफ-6 सर्किट ब्रेकर को अधिष्ठापित और चालू किया गया ।
- 400 केवी उपकेंद्र, भिवानी में 220 केवी बस कप्लर की 1 नं0 एसएफ-6 सर्किट ब्रेकर को अधिष्ठापित और चालू किया गया ।
- 400 केवी उपकेंद्र, भिवानी में 220 केवी आई.सी.टी. (ए-6) के 1 नं0 एसएफ-6 सर्किट ब्रेकर को अधिष्ठापित और चालू किया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, चरखी दादरी में भिवानी-दादरी सर्किट-2 के 1 नं0 एसएफ-6 सर्किट ब्रेकर को अधिष्ठापित और चालू किया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, चरखी दादरी में दादरी-बल्लभगढ़ सिंगल सर्किट के 1 नं0 एसएफ-6 सर्किट ब्रेकर को अधिष्ठापित और चालू किया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, समयपुर में 220 केवी समयपुर-एफजीपीपी सर्किट-1 के 1 नं0 245 केवी सर्किट ब्रेकर को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में 220/66 केवी 100 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-3 का 66 केवी 1 नं0 सर्किट ब्रेकर को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, एम आई एस एस गंगुवाल पर 220/66 केवी इंटर लिंकिंग सर्किट के ब्रेकर का परीक्षण और चालू किया गया ।
- 400 केवी उपकेंद्र, पानीपत पर 400 केवी एक्स-3 सीजीएल मेक सर्किट ब्रेकर की ओवरहॉलिंग के बाद चालू करना ।
- 400 केवी उपकेंद्र, पानीपत में 220 केवी थर्मल सर्किट-3 का ओवरहॉलिंग के बाद चालू करना ।
- 220 केवी उपकेंद्र, एमआईएसएस गंगूवाल में 220 केवी गंगूवाल-इंटर लिंकिंग सर्किट-2 के सर्किट ब्रेकर का परीक्षण और चालू करना ।
- 400 केवी उपकेंद्र, भिवानी पर 400 केवी भिवानी-राजपुरा सर्किट को नए एसएफ-6 सर्किट ब्रेकर के साथ बदल कर परीक्षण एवं चालू किया ।

iii) करंट ट्रांसफार्मर्ज (सीटीज)

- 400 केवी उपकेंद्र, पानीपत में 2 न 400 केवी, सीटी (एक्स-3 एंड एक्स-5) को नए के साथ बदले गए ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में 220/66 केवी, 100 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-3 के क्षतिग्रस्त 66 केवी सीटी (केपको मेक) को नए सीटी (मेहरु मेक) के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, धूलकोट में 66 केवी, धूलकोट- अंबाला सिटी-2 के क्षतिग्रस्त सीटी को नए (इलैक्ट्रिकल फील्ड मेक) सीटीज के साथ बदला गया ।

- 220 केवी उपकेंद्र, जालंधर में 220/132 केवी, 100 एमवीए ट्रांसफार्मर- 1 के खराब (एससीटी मेक) 245 केवी सीटी को नए सीटीज (बीएचईएल मेक) के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जालन्धर में 220/132 केवी, 100 एमवीए ट्रांसफार्मर-1 के क्षतिग्रस्त (बीएचईएल मेक) 245 केवी सीटीज को नए (हेप्टाकेयर मेक) सीटीज के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर पर 220 केवी भाखड़ा - जमालपुर सर्कट-2 के 220 के.वी. सीटीज को (हेप्टाकेयर मेक) (तेल के रिसाव के कारण) नए सीटीज के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, समयपुर में बस कप्लर-2 के 3 न. 245 केवी सीटीज बदले गए।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में 220 के.वी. बल्लभगढ़-समयपुर सर्किट-2 का 1 न. 245 केवी सीटी बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, समयपुर में बस सेक्शनालाइज़र पर 3 न. 245 केवी सीटी स्थापित किए गए ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में ग्लोब स्टील का 1 न. 66 केवी सीटी बदला गया।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में 66 के.वी. बल्लभगढ़-फरीदाबाद सर्किट-1 पर 3 न. 72.5 केवी सीटीज बदले गए।
- 220 केवी उपकेंद्र, भाखड़ा में 220 केवी गंगूवाल-भाखड़ा-III के 220 केवी सीटी का परीक्षण कर चालू किया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, हिसार में 220-132 केवी 100 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-1 के 132 केवी (मेहरु मेक) सीटी का परीक्षण कर चालू किया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, समयपुर में 220 केवी समयपुर-पलवल-I के रेड फेज के सीटी का परीक्षण कर चालू किया गया।
- 220 केवी उपकेंद्र, समयपुर में 220 केवी समयपुर-पलवल-II के रेड फेज के सीटी का परीक्षण कर चालू किया गया।

iv) सीवीटी/पीटीज़

- 400 केवी उपकेंद्र, पानीपत में 6 न. 400 केवी सीवीटीज़ नए सीवीटीज़ के साथ बदले गए ।
- 400 केवी उपकेंद्र, पानीपत में 3 न. 220 केवी पीटीज़ नए पीटीज़ के साथ बदले गए ।
- 400 केवी उपकेंद्र, पानीपत में 7 न. 132 केवी सीवीटीज़ नए पीटीज़ के साथ बदले गए ।

- 220 केवी उपकेंद्र, कुरुक्षेत्र में 2 न. क्षतिग्रस्त 132 केवी सीवीटीज़ नए पीटीज़ के साथ बदले गए ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में 220 केवी भाखड़ा - जमालपुर सर्किट-1 व 2 को नियंत्रण करने हेतु 6 नं0 नए 220 केवी पीटीज उपलब्ध करवाए गए ।
- 220 केवी उपकेंद्र, संगरूर में 8 नं0 245 केवी सीवीटी (डब्ल्यूएसआई मेक) को नए पीटीज (सीजीएल मेक) के साथ बदला गया और विभिन्न फीडरों पर 4 नं0 कप्लिंग कपैस्टर स्थापित किए गए ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जालंधर में 9 नं0 245 केवी सीवीटी को नए पीटीज (सीजीएल मेक) तथा 3 नं0 कप्लिंग कपैस्टर के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, चरखी दादरी में चरखी दादरी-पानीपत सिंगल सर्किट पर 245 केवी सीवीटी येलो फ़ेज (रेड कोनकार मेक) को 245 केवी नए पीटी (सीजीएल मेक) के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में बल्लभगढ़-बीटीपीएस सर्किट-II के रेड फ़ेज पर 245 केवी सीवीटी को 245 केवी पीटीज+कप्लिंग कपैस्टर के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में बस-I के ब्लू फ़ेज पर 245 केवी सीवीटी को 245 केवी पीटी के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, हिसार के बस-I के रेड, ब्लू व येलो फ़ेज के 3 न. सीवीटीज को नए पीटीज़ के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, हिसार के बस-II के रेड फ़ेज पर 1 नं0 सीवीटी को नए पीटी के साथ बदला गया।
- 220 केवी उपकेंद्र, हिसार के 132 केवी हिसार-सिरसा सर्किट के रेड फ़ेज पर 1 नं0 132 केवी सीवीटी को नए पीटी के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, मिस गंगूवाल लेफ्ट साइड पर गंगूवाल-एमजीजी सर्किट के ब्लू फेज पीटी का परीक्षण कर चालू किया गया।
- 400 केवी उपकेंद्र, पानीपत में 220 केवी बस बार के बाएँ तरफ के येलो फेज पीटी का परीक्षण कर चालू किया गया ।
- 400 केवी उपकेंद्र, पानीपत में 220 केवी बस बार के रेड व ब्लू फेज़ के पीटी का परीक्षण कर चालू किया गया ।

v) लाइटनिंग एरेस्टोर्ज़ (एलएज़)

- 400 केवी उपकेंद्र, पानीपत में 1 न. 120 केवी एलए को नए एलए से बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, दिल्ली में 2 न. 198 केवी एलएज़ को नए एलएज़ से बदला गया।

- 220 केवी उपकेंद्र, संगरूर में 220 केवी संगरूर-बरनाला सिंगल सर्कट के क्षतिग्रस्त 198 केवी एलए (सीजीएल मेक) को नए एलए (लेमको मेक) के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में 220 केवी जमालपुर- संगरूर सर्कट-1 के क्षतिग्रस्त 198 केवी एलए (ओबलम मेक) को नए एलए (लेमको मेक) के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में 220 केवी जमालपुर - ढंढारी सर्कट -1 के क्षतिग्रस्त 198 केवी एलए (ओबलम मेक) को नए एलए (लेमको मेक) के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में 132 केवी जमालपुर-स्वादी कलां (मोगा-2) के क्षतिग्रस्त 120 केवी एलए (सीजीएल मेक) को 132 केवी जमालपुर-गोराया फीडर से पुराने (सीजीएल मेक) एलए को हटाकर क्षतिग्रस्त एलए के स्थान पर लगाया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में 132 केवी जमालपुर-गोराया फीडर को 120 केवी का नया एलए (सीजीएल मेक) उपलब्ध कराया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में 220 केवी जमालपुर-संगरूर सर्किट-2 के क्षतिग्रस्त 198 केवी एलए (सीजीएल मेक) को नए एलए (लेमको मेक) के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में 220/132 केवी, 100 एमवीए ट्रांसफार्मर-3 (132 केवी की तरफ) के क्षतिग्रस्त 120 केवी एलए को नए एलए (सीजीएल मेक) के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर पर 220 केवी भाखड़ा-जमालपुर सर्किट-2 के क्षतिग्रस्त 198 केवी एलए को नए एलए (सीजीएल मेक) के साथ बदला गया ।
- 66 केवी उपकेंद्र, चंडीगढ़ में 66/33 केवी, 20 एमवीए ट्रांसफार्मर-3 (33 केवी की तरफ) के क्षतिग्रस्त 30 केवी (ऐलपरो मेक) एलए को नए एलए (बिरला मेक) के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में 132 केवी, जमालपुर-फिल्लौर सिंगल सर्कट के क्षतिग्रस्त 120 केवी एलए को नए एलए (इलैक्ट्रो लाइटस मेक) के साथ बदला गया।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में 220 केवी जमालपुर-ढंढारी सर्कट-2 के क्षतिग्रस्त 198 केवी एलए (सीजीएल मेक) को नए एलए (लैमको मेक) के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में 220 केवी भाखड़ा-जमालपुर सर्किट-1 के क्षतिग्रस्त 198 केवी एलए (सीजीएल मेक) को नए एलए (इलैक्ट्रो लाइटस मेक) के साथ बदला गया।
- 220 केवी उपकेंद्र समयपुर में समयपुर-एफजीपीपी सर्किट-1 के 1 नं0 198 केवी एलए को बदला गया।
- 220 केवी उपकेंद्र बल्लभगढ़ में 66 केवी बल्लभगढ़-हैदराबाद सर्किट के 1 नं0 एलए को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र हिसार में 220/132 केवी 100 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-1 का 220 केवी की तरफ के येलो फ़ेज़ का 1 नं0 एलए को बदला गया ।

- 220 केवी उपकेंद्र हिसार में 132 केवी हिसार-सिरसा सर्किट के रेड फ़ेज के 1 नं0 एलए को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र हिसार में 132 केवी हिसार-राजगढ़ सर्किट के रेड फ़ेज के 1 नं0 एलए को बदला गया।

VI) आइसोलेटर्ज

- 400 केवी उपकेंद्र, पानीपत में 4 न. 132 केवी आइसोलेटर्ज़ को नए आइसोलेटर्ज़ से बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में 220/66 केवी 100 एमवीए ट्रांसफार्मर टी -2 के 2 नं0 245 केवी आइसोलेटर्ज (बस-1 एवं बस-2) बदले गए ।
- 220 केवी उपकेंद्र, समयपुर में आई सी टी-IV (बस-II-ए) पर 01 नं0 आइसोलेटर बदला गया।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में बल्लभगढ़-पल्ला सर्किट-II में 01 नं0 72.5 केवी बस आइसोलेटर को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में 66/33 केवी 20 एमवीए ट्रांसफार्मर के 1 नं0 72.5 के वी बस आइसोलेटर (बस-II) को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में 66/33 केवी 16 एमवीए ट्रांसफार्मर का बस आइसोलेटर (बस-II) को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में 66 केवी 16 एमवीए बल्लभगढ़-पल्ला सर्किट-II का 01 नं0 72.5 केवी बस आइसोलेटर बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में 66/33 केवी 20 एमवीए ट्रांसफार्मर का 1 नं0 72.5 केवी बस आइसोलेटर (बस-I) बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में 66 केवी बल्लभगढ़-पल्ला सर्किट-II का 1 नं0 72.5 केवी बस आइसोलेटर (बस-I) बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में 66/33 केवी 20 एमवीएआर कपैस्टर बैंक-I पर 1 नं0 72.5 केवी बस आइसोलेटर (बस-I) बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में 66/33 केवी 16 एमवीएआर कपैस्टर बैंक –I पर 1 नं0 72.5 केवी बस आइसोलेटर (बस-I) बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में 66 केवी बल्लभगढ़-सोहना सर्किट पर 1 नं0 72.5 केवी बस आइसोलेटर (बस-2) बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में 66 केवी बल्लभगढ़-पलवल सर्किट-I पर 1 नं0 72.5 केवी लाइन आइसोलेटर बदला गया ।

vii) संरक्षण

- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में बस सेक्शनालाइजर को नियंत्रण करने वाली खराब न्यूमेरीकल डिस्टेन्स प्रोटेक्शन स्कीम माइकोम पी-742 (एलस्टोम मेक) को नई माइकोम पी-742 के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में 220 केवी जमालपुर- संगरूर सर्किट-1 को नियंत्रण करने वाली खराब न्यूमेरीकल डिस्टेन्स प्रोटेक्शन स्कीम माइकोम पी-742 (एलस्टोम मेक) को नई (शनाइडर मेक) माइकोम पी-742 के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में जमालपुर-ढंढारी सर्कट-2 को नियंत्रण करने वाली पुरानी रजोया डिस्टेन्स प्रोटेक्शन स्कीम को नई सिपरोटैक (7एसडी5) के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, चरखी दादरी के 220 केवी चरखी दादरी-मोहिन्द्रगढ़-सर्किट-II पर मौजूदा एसएचपीएस-101 (मेन -2) स्टैटिक संरक्षण स्कीम को माइकोम पी-442 डी पी रिले के साथ बदला गया ।

viii) ब्रेकर्ज़ की मुरम्मत

- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में 220/66 केवी, 100 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-1 व टी-2, 66 केवी मिल्लरगंज सर्किट-2 तथा बस कपलर के 4 नं. 66 केवी एसएफ-6 ब्रेकर्ज (एबीबी मेक) की मुरम्मत की गई ।

ix) डिपॉजिट कार्य

- मौजूदा रेलवे लाइन के विद्युतीकरण और दोहरीकरण के संबंध में 220 केवी पानीपत-चरखी दादरी लाइन के नए टावरों संख्या 327-ए तथा 328 के निर्माण का काम पूरा हो गया है (रेलवे का डिपॉज़िट कार्य) ।
- पंचकुला-जगाधरी राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करने के संबंध में 400 केवी देहर-पंचकुला लाइन की टावर संख्या 331,332 एवं 333 को शिफ्ट करने का कार्य (एनएचएआई का डिपॉज़िट कार्य) ।
- नागरिक उड्डयन विभाग, पिंजौर हवाई अड्डे के पास हरियाण सरकार के डिपॉजिट कार्य के रूप में 19 न० टावरों की एंटी-टकराव रोशनी, स्पैन मार्कर एवं पेंटिंग उपलब्ध कराना ।
- 400 केवी देहर-राजपुरा लाइन के टावर नं० 8 और 9 को शिफ्ट करना (एसीसी लि० बरमाना का डिपॉज़िट कार्य)। इसमें 02 टावरों को तोड़ना और 03 टावरों का निर्माण करना शामिल है । नए टावर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में है (कार्य प्रगति पर है)।
- ओएण्डएम डिविजन, जालंधर के अंतर्गत 220 केवी जालंधर- जमालपुर डी/सी के टावर नं. 69-70 के बीच एक नए टावर के निर्माण के साथ रोपड़-नवांशहर-फगवाड़ा रोड

(एनएच-344ए) से पर्याप्त स्वीकृति उपलब्ध करवाना (एनएचएआई का स्वयं निष्पादित कार्य)

- एनपीआर-एक्सप्रेस-वे एनएचएआई द्वारा राइट ऑफ वे पर 220 केवी बल्लभगढ़-समयपुर-चरखी दादरी लाइन के टावर संख्या 541-542 का परिवर्तन कार्य ।
- मेसर्ज सन इन्फ्रास्टेट प्रा. लि. द्वारा 220 केवी बल्लभगढ़-समयपुर-चरखी दादरी सर्किट पर टावर संख्या 560-561 के बीच निकासी के लिए परिवर्तन कार्य (सेल्फ डिपाजिट कार्य) ।

x) सिविल कार्य

- 400 केवी उपकेंद्र, पानीपत के 132 केवी यार्ड में पी सी सी पर दोबारा कंकरीट डालने का सिविल कार्य किया गया ।
- 400 केवी उपकेंद्र, पानीपत में आवासीय भवनों की मुख्य मुरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया।
- 220 केवी उपकेन्द्र, कुरुक्षेत्र में पुराने और क्षतिग्रस्त बच्चों के खेलने वाले झूलों को बदला गया ।
- जगाधरी की चारदीवारी की कंटीले तारों को बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बरनाला के अधीनस्थ विश्राम गृह के वर्तमान दरवाजे और खिड़कियों को एलमिनियम के दरवाजे व खिड़कियों से बदला गया ।

xi) विविध कार्य

- 400 केवी उपकेंद्र, पानीपत में 220 केवी यार्ड के पारंपरिक/एंटी फॉग डिस्क इंसुलेटर की 19 न. स्ट्रिंग को पॉलिमर इंसुलेटरस के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, दिल्ली में 220 केवी यार्ड में 69 न. कन्वेन्शनल डिस्क इंसुलेटर को पॉलिमर इंसुलेटरस के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, दिल्ली के पुराने डीसीडीबी को नए डीसीडीबी के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, दिल्ली में नई पनशिया एलॉय प्रा. लि. निर्मित 220 वॉल्ट डीसी 300 एएच बैटरी बैंक-2 का अधिष्ठापन, परीक्षण और चालू किया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, नरेला में नई पनशिया अल्लोय प्रा. लि. निर्मित 220 वॉल्ट डीसी 300 एएच बैटरी बैंक-2 का अधिष्ठापन, परीक्षण और चालू किया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, कुरुक्षेत्र में छाबी इलैक्ट्रिकल प्रा. लि. मेक फ्लोट एवं फ्लोट-कम-बूस्ट बैटरी चार्जर का अधिष्ठापन, परीक्षण और चालू किया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, कुरुक्षेत्र में नई पनशिया अल्लोय प्रा. लि. निर्मित 220 वॉल्ट, डीसी 300 एएच बैटरी बैंक-2 का अधिष्ठापन, परीक्षण और चालू किया गया ।
- 220 केवी सबस्टेशन, कुरुक्षेत्र में मौजूदा अग्निशमन उपकरणों को नए अग्निशमन उपकरणों के साथ बदला गया ।

- 220 केवी डी के टी पी एन पी डबल सर्किट लाइन की पुरानी खतरे की प्लेट, फ़ेज प्लेट और सर्किट प्लेट्स को बदला गया ।
- एसएलडीसी परिसर के 66 केवी उप केन्द्र, चंडीगढ़ में वातानुकूलित प्रणाली स्थापित की गई ।
- 220 केवी उपकेंद्र, संगरूर में अतिरिक्त 220 वोल्ट्स, 300 एएच, डीसी बैटरी तथा 220 वोल्ट्स, 30-45 ए बैटरी चार्जर उपलब्ध कराया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में अतिरिक्त 220 वोल्ट्स, 450 एएच, डीसी बैटरी तथा 220 वोल्ट्स, 30-60 ए बैटरी उपलब्ध कराई गई ।
- 220 केवी उपकेंद्र, धूलकोट में अतिरिक्त 220 वोल्ट्स, 300 एएच, डीसी बैटरी तथा 220 वोल्ट्स, 30-45 ए बैटरी चार्जर उपलब्ध कराया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जालन्धर में अतिरिक्त 220 वोल्ट्स, 450 एएच, डीसी बैटरी बैंक उपलब्ध कराया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बरनाला में वर्तमान 220 वोल्ट्स, 300 एएच, डीसी बैटरी (पनशिया अल्लोय प्रा. लि. मेक) को नए से बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जगाधरी में अतिरिक्त 220 वोल्ट्स, 300 एएच, डीसी बैटरी तथा 220 वोल्ट्स, 30-45 ए बैटरी चार्जर उपलब्ध कराया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में पुराने डीसीडीबी पैनल (हैनसेन मेक) के स्थान पर नया (टेलमोस मेक) डीसीडीबी पैनल लगाया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बरनाला में अतिरिक्त 220 वोल्ट्स, 300 एएच, डीसी बैटरी बैंक तथा 220 वोल्ट्स, 30-45 ए बैटरी चार्जर उपलब्ध कराया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जगाधरी में पुराने डीसी डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड (हिन्द रेक्टीफायर लि. मेक) को नए (हिन्द रेक्टीफायर लिमिटेड मेक) डीसी डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड से बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, चरखी दादरी में 1 न. पेनासॉनिक मेक 220वा डीसी-II दूसरा बैटरी सेट चालू किया गया।
- 220 केवी उपकेंद्र, चरखी दादरी में 1 न. छाबी मेक फ्लोट-कम-बूस्ट बैटरी चार्जर स्थापित किया गया।
- 220 केवी उपकेंद्र, चरखी दादरी में वर्तमान ईएक्सपीसीएफवाईएम निर्मित पुराने और उपयोग किए गए फ्लोट और फ्लोट-कम-बूस्ट बैटरी चार्जर से बदला गया।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में 1 न. बैटरी चार्जर बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में 1 न. बैटरी बैंक को 300 एएच से बदला गया।
- 220 केवी उपकेंद्र, समयपुर में 1 न. बैटरी बैंक को 350 एएच बैटरी बैंक से बदला गया।

**xii) संरक्षण और परीक्षण**

- 220 केवी उपकेंद्र, हिसार में 220 केवी हिसार-1-ए सर्किट-I एवं II के इंटर ट्रिप का परीक्षण किया गया ।

- 220 केवी उपकेंद्र, चरखी दादरी में 220 केवी दादरी-खेतरी सर्किट-।। की माइकोम-442 डिस्टेन्स प्रोटेक्शन रिले का परीक्षण किया गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, बल्लभगढ़ में क्षतिग्रस्त सीमेन्स निर्मित 220/66 केवी 100 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-1 की रिले का परीक्षण व चालू किया गया ।

## 6.2 सिंचाई खण्ड

### 6.2.1 भाखड़ा नंगल परियोजना

#### क. भाखड़ा बांध

- भाखड़ा बांध के अंदर और बाहर स्थापित विभिन्न यन्त्रों/उपकरणों से डेटा का अवलोकन और उसे प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए डिजाइन निदेशालय, बीबीएमबी, नंगल टाउनशिप के कार्यालय में भेजा गया।
- बांध के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ तय किए गए बिंदुओं के साथ कार्य अवलोकन, ट्रैवर्स ऑब्जर्वेशन और संबद्ध सटीक डबल लेवलिंग के लिए वर्ष के दौरान भाखड़ा बांध का भूगर्भीय सर्वेक्षण कार्य किया गया था।
- बागवानी उपखण्ड के अंतर्गत वर्ष के दौरान भाखड़ा बांध के किनारे बांयी ओर और दाहिनी ओर दोनों तरफ लॉन प्रसार, वृक्षारोपण का रखरखाव प्रगति पर हैं।
- बढ़ईगीरी दुकान, टिम्बर रोपवे, युक्लिड दुकान और भाखड़ा में ग्वालथाई बैरियर पर श्रमिकों के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण पूरा किया गया ।
- ओलिंडा में दमकल केंद्रों में स्टॉफ रूम का निर्माण पूरा कर लिया गया है।
- पुलिस बैरकों के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण और कॉलोनी भाखड़ा बांध में सीआईडी इंस्पेक्टर के आवास का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- भाखड़ा बांध क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों के लिए चैक पोस्ट से सटे पक्के मोर्चा का निर्माण पूरा कर लिया गया है।
- वर्ष के दौरान 02 नं. फायर स्टेशन, एक ओलिंडा (भाखड़ा) में और दूसरा नंगल में परियोजनाओं और संबद्ध कार्यों की अग्नि सुरक्षा के लिए क्रियाशील रहे ।

#### ख नंगल बांध

नंगल बांध, एनएचसी और इसके सम्बद्ध कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण किया गया और अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 के दौरान निम्नलिखित मुरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य किए गए:-

- नंगल बांध के यू/एस और डी/एस के पक्के फ्लोर का आंकलन करने के लिए, निदेशक/अभिकल्प, बीबीएमबी, नंगल की क्षेत्र की साउंडिंग अवलोकन के लिए प्रस्तुत की गई । तदापि पिछले वर्ष के परिणाम बताते है कि बैड की स्थिति संतोषजनक है।

- नंगल बांध पुल पर 50 से 75 मि.मी मौटाई बिटुमिनस मैकडैम का पैच कार्य पूरा किया गया ।
- नंगल में विभिन्न स्थानों पर रिफलेक्ड शीट आँफ हाई इनटैंसिटी माइक्रो प्रिज्मीय ग्रेड के साथ 2 नं0 पुराने साइन बोर्ड को बदलने का कार्य पूरा किया गया ।
- नंगल बांध एनएचसी और डाउनस्ट्रीम के विभिन्न स्थानों पर साइन बोर्ड, रेट्रो रिफ्लेक्टिव, हाई इनटैंसिटी माइक्रो प्रिज्मेटिक शीटिंग उपलब्ध कराने और लगाने का काम पूरा किया गया ।
- आरडी-53920 गांव बिलापुर के निकट सुपर पैसेज पर क्षतिग्रस्त स्लैब को बदलकर आरसीसी स्लैब लगाने का काम पूरा किया गया ।
- गंगूवाल विश्राम गृह की दीवारों पर एक्रेलिक स्मूथ एक्सटीरियर पेंट का काम पूरा किया गया ।
- नंगल बांध में निरीक्षण गैलरी और अन्य विविध संरचना पर स्नोसम उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण किया गया ।
- एनएचसी के दोनों ओर आरडी-1550 से लेकर आरडी-10000 तक पॉलीथिन बैगों/बेकार समान को साफ/निकाला गया ।
- गंगूवाल के बाईं ओर खिसकते और पहाड़ी ढलान बनाए रखने के लिए दीवार का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया ।
- कोटला उपमंडल की ओर, कोटला कार्यालय और एम एंड एम टाइप क्वार्टर पर क्षतिग्रस्त मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ उपलब्ध कराने का कार्य पूरा किया गया ।
- कोटला उप मण्डल, नंगल बांध, उप मण्डल में एनएचसी के साथ सीमेंट की बोरी के रेत से भरने, सिलाई और स्टैकिंग और कोटला में विद्युत गृह स्पिलवे के चारों ओर कंटीले तार, एंगल-आयरन, रेलिंग के कंक्रीट पोस्ट पर मुरम्मत और एल्यूमीनियम पेंटिंग का काम पूरा किया गया ।
- पॉलीथेन फोम और हाइड्रो स्ट्रक्चर रिसाइन इंजक्शन तकनीक का उपयोग कर पीयर्स पर सिरसा नहर पर विस्तार जोड़ों के 14 नं0 रिसाव को रोका गया ।
- रोपड़ सैक्शन में एनएचसी के बाएं किनारे के आरडी-194200 से आरडी-200337 तक के नाली (ड्रेनेज सिस्टम) की बहाली का कार्य पूरा किया गया ।
- एनएचसी बैंकों के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा दीवार/बैरियर उपलब्ध कराने, नंगल हाइडल चैनल पर पुल, क्रॉस ड्रेनेज का काम पूरा कर लिया गया है।
- नंगल हाइडल चैनल के दाहिनी ओर आरडी-147000 से आरडी-149500 के बीच ड्रेनेज सिस्टम के बाहर पहाड़ी ढलान की ढलान को रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल का निर्माण पूरा किया गया।
- आंशिक रूप से बंद होने के दौरान ड्रेनेज संरचना के आर पार के लाइनिंग पैन्लस और पुलों का मुरम्मत कार्य पूरा किया गया ।

- एनएचसी गंगूवाल सैक्शन में आरडी-150250 से आरडी-158200 दायां किनारा एनएचसी के जल निकासी व्यवस्था की बहाली का काम 2020 के महीने के दौरान आरंभ हुआ लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण इसे रोका गया ।
- एनएचसी के दाहिनी ओर साइन बोर्ड पर अक्षरों और आंकड़ों की पुनः पेंटिग का कार्य और साइन बोर्ड की पेंटिंग का कार्य पूरा किया गया ।

## ग. भाखड़ा स्पिलवे (निरीक्षण/न्यूमेटिक केसन विधि से मुरम्मत)

न्युमेटिक केसन विधि की सहायता से वर्ष 1983 से भाखड़ा स्पिलवे की मुरम्मत का कार्य प्रगति पर है । मानसून के बाद अक्तूबर, 2019 के मध्य में सिकिंग सेट और केसून यूनिटस के संयोजन से तथा अन्य तैरने वाले उपकरणों को भाखड़ा स्पिलवे की मुरम्मत के प्रयोग के अन्तगर्त न्यूमेटिक द्वारा शुरु किया गया । 16-11-2019 को सिकिंग सेट और फलोंटिग उपकरणों का संयोजन शुरू किया गया था । मानव शक्ति के कारण संयोजन का कार्य निर्धारित समय अनुसार नहीं किया जा सका । केवल पैटूंन को स्पिलवे में उतारा गया । आगे संयोजन का कार्य मानव शक्ति की कमी के कारण ही रूका रहा, संयोजन का कार्य 09-03-2020 को अन्य मंडलो से जाँब आर्डर पर मानव शक्ति का प्रबंध करने पर आरम्भ हुआ । आगे 24-03-2020 को भारत मे लाँकडाउन के कारण कार्य प्रभावित रहा ।

स्पिलवे

| क्रम सं- | विवरण | सिथति |
|---|---|---|
| 1. | बीम और डेक के तल में | ठीक है |
| 2. | स्पिलवे डी/एस बालकनी | ठीक है |
| 3. | स्पिलवे ब्रिज पियर्स | ठीक है |
| 4. | स्पिलवे ट्रेनिंग दीवारें जलस्तर से ऊपर | ठीक है |
| 5. | स्पिलवे आउटलेट आई ब्रो | ठीक है |

## घ) नंगल कार्यशाला

नंगल कार्यशाला कई छोटी कार्यशालाओं की एक इकाई है और मुख्य रूप से विशाल भाखड़ा बाँध के निर्माण के लिए संरचना को वर्ष 1947 में स्थापित किया, तदपश्चात इसने भाखड़ा बांध और बीएसएल परियोजना तथा अब इसकी क्षमता का उपयोग बीबीएमबी की सभी परियोजनाओं के अनुरक्षण गतिविधियों के लिए किया जा रहा है । हांलांकि इसकी कुछ क्षमता का उपयोग विभिन्न विद्युत बोर्ड और सरकारी संगठनों की विभिन्न संरचना के कार्य के लिए किया जा रहा है ।

नंगल कार्यशाला में किए गए कुछ विविध कार्य निम्न प्रकार है-

- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, भाखड़ा भवन निर्माण एवं टाउनशिप मंडल, नंगल के लिए एम.एस. चौखाटों, एस.एम. गेटस, ट्री गार्डस, एम.आई. रेलिंग, वाशबेसिन के ब्रेकेट्स,

लकड़ी की कुर्सियां, एम. एस. ऐंगल ब्रास स्पेंडल्ज तथा कूड़ेदानों इत्यादि का निर्माण करना ।

- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, नंगल बांध मंडल, नंगल टाउनशिप के लिए एम.एस. ऐंगल, रोलर पिन, लोकिंग प्लेट, बोल्ट, ट्री गार्ड, लकड़ी की कुर्सीयां, स्टील अलमारी, रबर सील बुश, नट प्लम्बर ब्लाक टेबल ब्रेकेट्स इत्यादि का निर्माण ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, भाखड़ा यांत्रिक मंडल, के लिए एम.एस फ्लेंग शैड्स, नट एवं बोलट, एम एस पाइप रिलिंग ब्रेक ब्लॉक, रबर सील, ट्रेजर्ड एंकरिग प्लेटस फिश प्लटेस पाईप्स रेलिंग साफ्ट स्लीव्स स्टड ब्रेकट्स, एस एस, फ्रेम, लकड़ी की कुर्सीयां इत्यादि का निर्माण करना ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, भाखड़ा बांध मंडल, नंगल के लिए ट्री गार्ड, लकड़ी की कुर्सी, बैरीगेट्स, स्टील अलमारी, एम.एस फ्रेम इत्यादि का निर्माण करना ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, भाखड़ा विद्युत मंडल, नंगल टाउनशिप के लिए लकड़ी की कुर्सी, एम.एस कलैम्पस, ब्रास नट्स, एम एस नट्स पिन, एस एस रोड आदि का निर्माण करना ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, भाखड़ा विद्युत मंडल, नंगल टाउनशिप के लिए एम एस कलैम्पस, वाशर फ्रेम, हुक्स, ब्रास नट्स, लकड़ी की कुर्सी, स्टील अलमारी इत्यादि का निर्माण करना ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञान मंडल, नंगल के लिए लकड़ी की कुर्सी, स्टील अलमारी, टिलटिंग कूड़ेदान इत्यादि का निर्माण करना ।
- प्रधान चिकित्सा अधिकारी, बीबीएमबी अस्पताल, नंगल टाउनशिप के लिए लकड़ी की कुर्सी , स्टील अलमारी आदि का निर्माण।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, आर एम एंड एस आर मण्डल, नंगल टाउनशिप के लिए स्टील अलमारी बुश ,रबर सील आदि का निर्माण।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, प्राप्ति केंद्रीय भंडार और निपटान मण्डल , नंगल के लिए लकड़ी की कुर्सी, स्टील अलमारी, वेट ब्रिज आदि का निर्माण।
- वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, नंगल के लिए लकड़ी की कुर्सी इंकम्बेंसी बोर्ड आदि का निर्माण।
- उप मुख्य अभियंता , भाखड़ा बांध, अधीक्षण अभियंता/ मुख्यालय नंगल टाउनशिप के लिए लकड़ी की कुर्सी, स्टील अलमारी आदि का निर्माण।
- उप मुख्य अभियंता , नंगल यांत्रिक परिमंडल, नंगल के लिए लकड़ी की कुर्सी, टेबल, स्टील अलमारी आदि का निर्माण।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, सिविल अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी चंडीगढ़ के लिए लकड़ी की कुर्सी, स्टील अलमारी आदि का निर्माण।

- आवासीय अभियंता , भाखड़ा विद्युत गृह के लिए कूड़ेदान ,स्टील अलमारी एम.एस.गेट टिटलिंग कूड़ेदान आदि का निर्माण ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, एस टी पी एंड डी मण्डल , बीबीएमबी, विद्युत खंड नंगल के लिए नट्स व वोल्टस, स्टील प्लेटस , सॉफ्ट शियर पिन, एम एस प्लेट्स, गन मेटल सीट, एम. एस. एंगल , ग्लेंड प्लेट्स, टावर विट चेनल आदि का निर्माण।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता,परिचालन एवं अनुरक्षण मण्ड,ल विद्युत खंड गंगूवाल के लिए व्हील , शाफ्ट , ब्रास ,नट, बोल्ट , रबर शीट , ब्रुश, शाँफ़्ट असेंबली , लकड़ी की कुर्सी, आदि का निर्माण।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, सिविल अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, विद्युत खंड के लिए एम एस कूड़ेदान आदि का निर्माण।
- आवासीय अभियंता, गंगूवाल कोटला , विद्युत गृह के लिए लकड़ी की कुर्सी, आदि का निर्माण।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल बीबीएमबी, विद्युत खंड पानीपत के लिए एम एस लेडर आदि का निर्माण।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता,परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल कुरुक्षेत्र के लिए विद्युत खंड गंगूवाल के लिए एम एस लेडर आदि का निर्माण।
- आवासीय अभियंता , देहर विद्युत गृह, सलापड़ के लिए गाइड वेन्स, ग्रीस एडाप्टर , ड्रिलिंग प्लेट , ब्रास सील , रिपेयर गाइड वेन्स , गाइड वेन्स के बुश हाउसिंग आदि का निर्माण ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, टाउनशिप मण्डल, तलवाड़ा के लिए कूड़ेदान, इंपेलर , शाफ्ट स्टील चौखट, एम एस ग्रिल कपलिंग आदि का निर्माण।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, आर एम एंड आर मण्डल, बीबीएमबी तलवाड़ा के लिए मोबाइल बेरिकेड्स साइन बोर्ड्स का निर्माण ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, यांत्रिक मंडल बीबीएमबी तलवाड़ा के लिए रबर सील जी.एम. राँड आदि का निर्माण ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, विद्युत मण्डल, बीबीएमबी तलवाड़ा के लिए मीटर बॉक्स का निर्माण ।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, विद्युत और कार्यशाला मण्डल , बीबीएमबी सुंदरनगर के लिए पैन्टून, कूड़ेदान, पूलीम, रबर सील , रबर एंपेलर आदि का निर्माण।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता बी. आर. एस. सी. और पी. ओ . मण्डल बीबीएमबी सुंदरनगर के लिए एम. एस. क्लैंम्प्स रबर सील आदि का निर्माण।
- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, विद्युत और कार्यशाला मण्डल, बीबीएमबी पंडोह के लिए एम. एस. क्लैंम्प्स, बोल्ट ,नट्स, कपलिंग, सॉफ्ट बुश राँड आदि का निर्माण ।

- अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, विद्युत और यांत्रिक मण्डल बीबीएमबी पंडोह के लिए एम. एस. क्लैंम्प्स, नट्स और बोल्ट आदि का निर्माण।

**ड. भाखड़ा यांत्रिक मंडल, नंगल**

भाखड़ा यांत्रिक मंडल, नंगल मुख्य रूप से रेडियल गेट्स, रिवर आउटलेट गेट्स, ट्रैश रैक, स्पिलवे रेडियल गेट्स इत्यादि सहित स्थायी प्रतिष्ठानों के संचालन, अनुरक्षण/मरम्मत, भारी अर्थमूविंग मशीनरी सहित सभी यांत्रिक उपकरणों का अनुरक्षण तथा मरम्मत, भाखड़ा नंगल परियोजना में यातायात वाहनों और रेलवे नेटवर्क जो लोगो एवं मशीनरी को नंगल से भाखड़ा बांध के लिए ले जाने हेतु उपलब्ध है तथा ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी है ।

### 6.2.2 ब्यास परियोजना

#### 6.2.2.1 ब्यास परियोजना यूनिट-I(बीएसएल)

क विभिन्न उपकरणों/यंत्रों से प्राप्त आंकड़ों की सहायता से पंडोह बांध, बीएसएल परियोजना के विभिन्न अन्य घटकों तथा देहर विद्युत संयंत्र के बिहेवियर की मॉनीटरिंग की गई और इन कार्यों का संरचनात्मक बिहेवियर सन्तोषजनक पाया गया।

ख पंडोह बांध में गैलरीज़/सुरंगों के रिसाव जल में सल्फेट की अत्यधिक मात्रा की समस्या।

रिसाव जल में सल्फेट की मात्रा की समस्या की नियमित निगरानी की जा रही है । पंडोह बांध की डी तथा जी गैलरी के प्रमाणित रिसाव छेद में उच्च सल्फेट सामग्री का बहाव स्थिर स्थिति में है । अगस्त 2016 में सीएस एण्ड एम आर एस, नई दिल्ली द्वारा किए गए अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी परीक्षण से यह पता लगा कि निगरानी की अवधि के समय कंक्रीट की गुणवता में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं हुई है । कंक्रीट की सामग्री की गुणवता कुल मिलाकर अच्छी है ।

ग पण्डोह स्पिलवे की मुरम्मत

2018 के बाढ़ के मौसम के पश्चात् पण्डोह स्पिलवे की मरम्मत का कार्य किया गया और प्रचलित प्रथा के अनुसार 1480.37 वर्ग मीटर क्षेत्र की मुरम्मत की गई ।

घ पीबीटी इंटेक पॉकिट और जलाशय की फल्शिंग

गलत वस्तुओं के प्रवेश और पीबीटी में गाद के प्रवेश में कमी लाने के लिए पीबीटी इंटेक पाकेट का दिनांक 18.08.2019 से 19.08.2019 तक फल्शिंग ऑपरेशन किया गया जिससे पंडोह जलाशय से 702.18 हेक्ट. मीटर गाद हटाई गई।

**ड संतोलक जलाशय में गाद का प्रेक्षण**

जुलाई, 2019 से सितम्बर, 2019 तक की अवधि के दौरान संतोलक जलाशय से 3 ड्रैजरों द्वारा 99.87 हेक्ट. मीटर गाद हटाई गई । नवीनतम गाद सर्वेक्षण के अनुसार अवधि के अंत में जमा शेष गाद 96.64 हैक्ट. मीटर के आसपास था ।

**च बग्गी नियन्त्रण वर्क्स के आपातकालीन द्वार**

बग्गी कंट्रोल वर्कस स्टिलिंग बेसिन के दाएं और बाएं किनारे बेज़ के वार्षिक अनुरक्षण के दौरान सभी आपातकालीन द्वारों का रिसाव सामान्य था। यांत्रिक कार्यों, स्टॉप लाग्ज़ इत्यादि का अनुरक्षण सामान्य प्रक्रिया एवं कार्यक्रमानुसार किया गया ।

**छ पैनस्टाक हैडर्स व ब्रांच**

पैनस्टॉक हैडर्स, ब्रांच और ड्रेसर कप्लिंग का नियमित अनुरक्षण किया गया। कुछ भी असामान्य नही देखा गया ।

### 6.2.2.2 ब्यास परियोजना यूनिट-II (पौंग बांध)

क पौंग बांध की मॉनिटरिंग के लिए पौंग बांध एवं विद्युत घर भवन के निकाय के अन्दर तथा बाहर स्थापित विभिन्न उपकरणों/संयंत्रों से प्रेक्षित आंकड़े जांचे गए और यह पाया गया कि इनके कार्यो का संरचनात्मक व्यवहार संतोषजनक है।

**ख पौंग जलाशय की परिधि में क्रस्टल डिफार्मेशन**

जलाशय के बायीं और दायीं ओर की परिधि के साथ-साथ 15 कि.मी तक निर्धारित किए गए बैंच मार्कस का अक्तूबर/नवम्बर, 2018 के दौरान जलाशय के अधिकतम जल स्तर पर मई/जून, 2019 के दौरान न्यूनतम आरडब्लयूएल पर फील्ड स्टाफ द्वारा प्रेक्षण किया गया। औसत अधिकतम जलाशय जल 524.937 मीटर (1722.21 फीट) और औसत न्यूनतम जलाशय जल स्तर 524.929 मी (1722.19 फीट) में बैंच मार्क्स नं.60 पर जलाशय के बायीं ओर 8.0 एमएम अधिकतम वर्टिकल डिफार्मेशन पाई गई।

**ग पौंग जलाशय का अवसादन**

वर्ष 2017-18 के दौरान कराए गए पौंग जलाशय के सर्वेक्षण से प्रतीत होता है कि वर्ष 1974 से 2018 तक (44 वर्ष) की अवधि के दौरान गाद जमा होने की औसत दर के अभिकल्पित आंकड़ें 25.29 मिलियन एम$^3$ (20500 एकड़ फीट) की तुलना में 24.29 मिलियन एम$^3$ (19695 एकड़ फीट) प्राप्त हुए है। आवाह क्षेत्र (1974- 2018) की प्रति वर्ग मील औसत गाद प्राप्ति 5007.93 एम$^3$ (4.06 एकड़ फीट) मिलियन घन मीटर निकाली गई है। 1975-76 से 2017-18 के दौरान ट्रैप दक्षता लगभग 97.41% है। जलाशय में जमा कुल गाद की प्रतिश्तता निष्क्रिय भण्डारण में 26.42 और सक्रिय भण्डारण में 73.58 है।

### 6.2.3 बांध सुरक्षा गतिविधियां

**ब्यास बांध तथा भाखड़ा बांध**

बाँधो की सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको कि राष्ट्रीय निवेश की सुरक्षा और इन परियोजनाओं से राष्ट्र को प्राप्त लाभों के लिए निरन्तर आधार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए । तीन मुख्य परियोजनाओं नामत: भाखड़ा नंगल परियोजना, ब्यास बांध और ब्यास

सतलुज लिंक परियोजना के सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, बीबीएमबी ने व्यापक बांध सुरक्षा निरीक्षण कार्यक्रम से इन परियोजनाओं के आवधिक सुरक्षा मूल्यांकन और सर्वोत्तम प्रबंधन व्यवहार में लाने के लिए बांध सुरक्षा निदेशालय की स्थापना की है, जिससे कि वर्तमान सर्वोत्तम तकनीक का प्रयोग करते हुए मौजूदा बाधों का सुरक्षित अनुरक्षण किया जा सके ।

बांध सुरक्षा निदेशालय के पिछले तीन वर्षो की उपलिब्धयाँ निम्न प्रकार है:-

1. बांध सुरक्षा समिति निरीक्षण - बीबीएमबी परिसर के अधीन विभिन्न अधिष्ठापनों और सभी बाँधों की सुरक्षा , विद्युत घरों , नहरों और अन्य संबंधित संरचनाओं के परिचालन और अनुरक्षण की एक स्वतंत्र जाँच करने के लिए अध्यक्ष, बीबीएमबी नें 5 वी बाँध सुरक्षा समिति ( डी एस सी) का गठन किया हैं । डी एस सी ने बीबीएमबी के अधीन सभी परियोजनाओं का निरीक्षण किया दिनांक 27-10-2017 के कार्यालय आदेश द्वारा और बोर्ड के अनुमोदनोपरांत उपरान्त बाँध सुरक्षा निरीक्षण रिपोर्ट निम्न सारणी अनुसार प्रकाशित की जाये ।

| क्रं सं. | बांधों का डी एस सी निरीक्षण | निरीक्षण अवधि | निरीक्षण रिपोर्टो का प्रकाशन |
|---|---|---|---|
| 1. | भाखड़ा बांध, भाखड़ा पावर हाउस और संबंधित कार्य | **01.11.2017 से 04.11.2017** | **जुलाई, 2018 में डीएसओ 18 ।** |
| 2. | नंगल बांध, नंगल हाइडल चैनल, नहर बिजली घर और संबंधित कार्य | **19.12.2017 से 22.12.2017** | **सितम्बर, 2018 में डीएसओ 19 ।** |
| 3. | ब्यास बांध, पोंग पावर प्लांट और संबंधित कार्य | **21.02.2018 से 24.02.2018** | **सितम्बर, 2018 में डीएसओ 20 ।** |
| 4. | बीएसएल परियोजना और संबंधित कार्य<br>चरण 1<br><br>चरण II | **28.05.2018 से 01.06.2018**<br><br>**14.11.2018 से 17.11.2018** | **जून, 2019 में डीएसओ 21 ।** |

### 6.2.4 **बीबीएमबी चिकित्सालय**

बीबीएमबी के अस्पतालों में बीबीएमबी कर्मचारियों के साथ-साथ क्षेत्र के आम लोगों को भी अंतरंग और बहिरंग दोनों चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। पर्याप्त निदानसूचक साधनों जैसे एक्स-रे, पैथोलॉजीकल इन्वेस्टीगेशन, ई.सी.जी. फिज़ियोथेरेपी, अल्ट्रासाऊंड और अन्य रक्त-आधान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रिवाइज्ड नैशनल टी.बी. नियन्त्रण

प्रोग्राम (आरएनटीसीपी), इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आदि भी चलाए जा रहे हैं। नेत्र विभाग में आई.ओ.एल. ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अस्पतालों में जन स्वास्थ्य देख-भाल और परिवार कल्याण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

### 6.2.5 पर्यटक

वर्ष 2019-20 के दौरान 6073 व्यक्तियों ने पौंग बांध तथा 4,90,582 लाख व्यक्तियों नें भाखड़ा बॉध का भ्रमण किया।

## 6.3 राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड ने भाखड़ा तथा पौंग जलाशयों और नहर नैटवर्क के अधिकतम उपयोग के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान (अर्थात अल्पावधि 3 दिन और मध्यावधि 7 से 10 दिन) बाद पूर्वानुमान हेतु चण्डीगढ़ में अर्थ रिसीविंग स्टेशन (ईआरएस) स्थापित किया है, बीबीएमबी विश्व बैंक वित्त पोषित हाइड्रोलॉजी चरण-II परियोजना के अन्तर्गत देश का 'प्रथम प्रवर्तक' है।

इस परियोजना के अंतर्गत, सतलुज तथा ब्यास नदियों के आवाह क्षेत्र में स्टेट ऑफ दि आर्ट प्रौद्योगिकी से भागीदार राज्यों के संपर्क बिन्दुओं पर आईएमडी के साथ 6 सह-संचालक केन्द्रों तथा 10 स्वचालित स्टेज रिकार्डरों सहित, स्वचालित रेन गेज स्टेशनों, स्वचालित फुल क्लाइमेट स्टेशनों, स्नो वाटर इक्वैलेंट, जल-स्तर रिकार्डरों, केबलवे इत्यादि को सम्मिलित करते हुए 93 रियल टाइम एक्विजीशन स्टेशन लगाए गए हैं। रियल टाइम डिसीजन स्पोर्ट सिस्टम की योजनाबद्ध व्यवस्था में इनसेट-3 डी के माध्यम से 1 घंटे के अन्तराल पर हाइड्रो मैट्रोलॉजिकल डेटा का अर्थ रिसीविंग स्टेशन, चण्डीगढ़ को रियल टाइम पारेषण शामिल है।

रियल टाइम डेटा को एमआईकेई साँफ्टवेयर के रेनफॉल रनऑफ माँडल, हाइड्रो डायनामिक मॉडल, फ्लड मॉडल तथा वाटर एलोकेशन मॉडल का प्रयोग करते हुए प्रौसेस किया जाता है। इसके परिणाम/उत्पन्न परिदृश्य को एनएचपी डैश बोर्ड पर शेयर किया जाता है ।

भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय ने विश्व बैंक के सहयोग से नैशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट (एनएचपी) की शुरूआत भारत के लिए की ताकि एनएचपी के अधीन राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना के अंतर्गत हाइड्रो प्रोजैक्ट फेज़-II के कार्य तथा लक्ष्यों को आगे बढाया जा सके। इसके लिए बीबीएमबी को रू 30.00 करोड़ आबंटित किए गए जिससे कि डेटा एक्युजीसन सिस्टम (डीएएस) को सुदृढ और विस्तार करना, अलटरनेट मॉडल का विकास और तकनीक की वृद्धि साथ में इस संगठन में क्षमता बढोतरी जिससे की अच्छे परिणाम आयें ।

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एनएचपी के अन्तर्गत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है ।

6.4 **<u>सूचना प्रोद्योगिकी</u>**

मामलों पर निम्नानुसार कार्यवाई की गयी:-

1. **<u>बीबीएमबी में ई-ऑफिस का अनुपालन</u>**

ई-ऑफिस, भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम (एनईजीपी) के अंतर्गत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसका बोर्ड कार्यालयों व मुख्य अभियंता कार्यालयों में अनुपालन किया जा रहा है।

सभी उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के साथ साथ सिस्टम पर भी इसके प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया है। अब इसको बीबीएमबी के सभी मंडलों/ कार्यालयों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

2. **<u>विधिक मामलों के लिए एम आई एस</u>**

बीबीएमबी के सभी मंडलों के सभी विधिक मामले (भारत के किसी न्यायालय में संस्थापित) को संचालन करने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और इसका अनुपालन किया जा रहा है। सिस्टम में विभिन्न मंडलीय उपयोगकर्ताओं द्वारा डाटा का अद्यतन किया जाता हैं और रिपोर्ट तैयार हो जाती है।

3. **<u>बीबीएमबी की वेबसाइट को एसटीक्यूसी, निदेशालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एसटीक्यूसी प्रमाण पत्र प्रदान किया</u>**

बीबीएमबी की वैबसाइट को भारत सरकार वैबसाइट (जी आई जी डब्ल्यू) के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया। ये दिशानिर्देश परस्पर, यह सुनिश्चित करते हैं कि वेबसाइट की पहुँच नागिरकों/दिव्यांग व्यक्तियों तक बीबीएमबी की वेबसाइट यू आर एल https : bbmb.gov.in पर उपलब्ध है, इसे एस टी क्यु सी निदेशालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मानक परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन नवंबर/ दिसंबर, 2019 के दौरान प्रदान किया गया है ।

4. **<u>आगंतुक पास प्रबंधन प्रणाली</u>**

बीबीएमबी के बांधो के आगंतुको का पास बनाने और उनका रिकॉर्ड रखने के लिये एक वेब आधारित मॉडयल तैयार किया गया है। इस सॉफटवेयर का भाखडा बांध, नंगल, ब्यास बांध, तलवाड़ा और बी एस एल, सुंदरनगर में सफलतापूर्वक अनुपालन किया जा रहा है ।

5. **<u>जैम से खरीद का अनुपालन</u>**

सभी मंडलो द्वारा जैम से खरीद गतिविधियोँ का अनुपालन किया जा रहा है । बीबीएमबी में चार स्थानों पर इसका प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया है।

6. **साइबर सुरक्षा आडिट (बी ए पी टी - वेनेरेबिलिटी एसेसमैंट एंड पैनीट्रेसन टेस्टिंग )**

बीबीएमबी के डाटा सेंटर व एलएएन/डब्ल्यू ए एन प्रणाली और बीबीएमबी की मौजूद आई एस एस एस नीतियाँ व प्रक्रिया, मैनुअल, दस्तावेज आदि का संशोधन / बढ़ोतरी आदि की साईबर सुरक्षा ऑडिट (वी ए पी टी- वेनेरेबिलिटी एसेसमैंट एंड पेनीट्रेशन टेस्टिंग ) सी ई आर टी . इंमपेनल्ड आँडिटर द्वारा पूरा किया गया ।

7. **साइबर सुरक्षा जागरूकता/ प्रशिक्षण कार्यक्रम**

चंडीगढ़, नंगल, सुंदरनगर, तलवाड़ा, पानीपत्त व जमालपुर के विभिन्न कार्यालयों में बीबीएमबी प्रयोगकर्ता को बीबीएमबी की आई टी सुरक्षा व आई टी सुरक्षा नीति व प्रणाली पर सामान्य जागरूकता के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

8. **ई-रिवर्स आक्शन का अनुपालन**

सभी निविदा जिनका आरंभिक मूल्य एक करोड़ है, जिसे बाद में रु 30 लाख कर दिया गया है, के लिए ई-रिवर्स आक्शन (ई-आर-रु) का अनुपालन किया जा रहा है।

9. **ई-निविदा /ई-खरीद, रु 2 लाख से ऊपर के सभी मामलों** पर

बीबीएमबी के विभिन्न कार्यालयों द्वारा सभी निविदा जिनका आरंभिक मूल्य रु 2.00 लाख है, पिछले मूल्य रु 10 लाख की तुलना में ई-प्राप्ति/ई-निविदा प्रणाली के द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे।

## दिनांक 1.4.2019 से 31.3.2020 तक की अवधि के लिए भाखड़ा जलाशय के परिचालन हेतु वास्तविक जल विद्युत आंकड़े

| माह | अवधि | अंतर्वाह (क्यूसक दिन में) | | | | | नंगल तथा रोपड़ के बीच लाभ अथवा हानि (क्यूसेक दिन) | दिल्ली जल बोर्ड (क्यूसक दिन) | डब्ल्यू. जे. सी. अंशदान (क्यूसेक दिन) | भाखड़ा जलाशय से रिलीजेज (क्यूसेक दिन) | अंतिम जलाशय स्तर (फीट) | भाखड़ा विद्युत घरों का औसत विद्युत | | गंगुवाल एवं कोटला विद्युत घरों का औसत विद्युत | | भाखड़ा कॉम्प्लेक्स से उपलब्ध कुल विद्युत | | देहर विद्युत से कुल उत्पादन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सतलुज | देहर विद्युत संयंत्र | वाई पास शूट | योग कालम (4+5) | योग कालम (3+6) | | | | | | एम डब्ल्यू | एलयू | एम डब्ल्यू | एलयू | एम डब्ल्यू | एलयू | लाख यूनिट में |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 31.03.2019 को आरंभिक जलाशय : 1550.10 फीट | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अप्रैल 2019 | 01-10 | 7986 | 7072 | - | 7072 | 15058 | -300 | 496 | 0 | 13406 | 1617 | 103 | 25 | 34 | 8 | 138 | 33 | 133 |
| | 11-20 | 9196 | 7059 | - | 7059 | 16255 | -300 | 496 | 0 | 8115 | 1623 | 61 | 15 | 23 | 5 | 84 | 20 | 133 |
| | 21-30 | 11806 | 7689 | - | 7689 | 19495 | -300 | 248 | 0 | 17368 | 1624 | 130 | 31 | 28 | 7 | 158 | 38 | 142 |
| मई | 01-10 | 10987 | 7133 | - | 7133 | 18120 | -600 | 496 | 0 | 22068 | 1621 | 168 | 40 | 34 | 8 | 203 | 49 | 130 |
| | 11-20 | 12460 | 7055 | - | 7055 | 19515 | -600 | 496 | 0 | 26830 | 1616 | 204 | 49 | 35 | 8 | 239 | 57 | 125 |
| | 21-31 | 14129 | 7018 | - | 7018 | 21147 | -600 | 496 | 0 | 25325 | 1613 | 192 | 46 | 35 | 8 | 227 | 55 | 127 |
| जून | 01-10 | 21236 | 8481 | - | 8481 | 29717 | -600 | 496 | 0 | 33518 | 1610 | 251 | 60 | 35 | 9 | 287 | 69 | 150 |
| | 11-20 | 20842 | 8510 | - | 8510 | 29352 | -600 | 496 | 0 | 34992 | 1606 | 261 | 63 | 35 | 8 | 296 | 71 | 149 |
| | 21-30 | 22036 | 8115 | - | 8115 | 30151 | -600 | 496 | 0 | 32462 | 1605 | 242 | 58 | 35 | 8 | 277 | 67 | 143 |
| जुलाई | 01-10 | 38415 | 8460 | - | 8460 | 46875 | 1000 | 125 | 103 | 34216 | 1614 | 256 | 61 | 35 | 8 | 291 | 70 | 147 |
| | 11-20 | 40946 | 8451 | - | 8451 | 49397 | 1000 | 125 | 0 | 26338 | 1629 | 204 | 49 | 35 | 8 | 239 | 57 | 144 |
| | 21-31 | 39405 | 8429 | - | 8429 | 47834 | 1000 | 125 | 1373 | 19683 | 1648 | 161 | 39 | 35 | 9 | 196 | 47 | 143 |
| अगस्त | 01-10 | 53621 | 8466 | - | 8466 | 62087 | 1000 | 125 | 0 | 28448 | 1666 | 233 | 56 | 35 | 8 | 268 | 64 | 142 |
| | 11-20 | 64151 | 6863 | - | 6863 | 71014 | 1000 | 125 | 0 | 42104 | 1681 | 283 | 68 | 35 | 8 | 319 | 76 | 115 |
| | 21-31 | 35700 | 8359 | - | 8359 | 44060 | 1000 | 125 | 0 | 52913 | 1676 | 302 | 72 | 35 | 9 | 337 | 81 | 141 |
| सितम्बर | 01-10 | 31850 | 8473 | - | 8473 | 40323 | 0 | 125 | 0 | 41684 | 1675 | 300 | 72 | 36 | 9 | 335 | 80 | 143 |
| | 11-20 | 21721 | 8402 | - | 8402 | 30123 | 0 | 125 | 0 | 29423 | 1676 | 251 | 60 | 35 | 9 | 286 | 69 | 140 |
| | 21-30 | 14881 | 7740 | - | 7740 | 22621 | 0 | 125 | 58 | 25946 | 1674 | 225 | 54 | 35 | 9 | 260 | 63 | 132 |
| अक्तूबर | 01-10 | 10881 | 5115 | - | 5115 | 15996 | 0 | 496 | 0 | 19885 | 1672 | 177 | 42 | 35 | 9 | 212 | 51 | 95 |
| | 11-20 | 7980 | 3478 | - | 3478 | 11458 | 0 | 496 | 0 | 16670 | 1669 | 145 | 35 | 32 | 8 | 177 | 43 | 67 |
| | 21-31 | 6850 | 2924 | - | 2924 | 9774 | 0 | 496 | 0 | 16987 | 1665 | 146 | 35 | 32 | 8 | 178 | 43 | 56 |
| नवम्बर | 01-10 | 6118 | 2678 | - | 2678 | 8796 | 0 | 496 | 0 | 18052 | 1660 | 154 | 37 | 35 | 9 | 189 | 45 | 50 |
| | 11-20 | 6095 | 2477 | - | 2477 | 8572 | 0 | 496 | 0 | 12633 | 1658 | 103 | 25 | 35 | 8 | 138 | 33 | 46 |
| | 21-30 | 5767 | 2294 | 6 | 2294 | 8061 | 0 | 496 | 0 | 11608 | 1656 | 93 | 22 | 31 | 7 | 124 | 30 | 43 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिसम्बर | 01-10<br>11-20<br>21-31 | 5246<br>5645<br>4849 | 2056<br>2146<br>1810 | -<br>-<br>- | 2056<br>2146<br>1810 | 7302<br>7791<br>6659 | 100<br>100<br>100 | 496<br>496<br>496 | 0<br>0<br>0 | 12918<br>13977<br>14682 | 1653<br>1649<br>1644 | 105<br>111<br>116 | 25<br>27<br>28 | 31<br>35<br>36 | 7<br>8<br>9 | 136<br>146<br>151 | 33<br>35<br>36 | 39<br>41<br>34 |
| जनवरी 2020 | 01-10<br>11-20<br>21-31 | 4838<br>5265<br>5185 | 1864<br>2235<br>1913 | -<br>-<br>- | 1864<br>2235<br>1913 | 6702<br>7500<br>7098 | 200<br>200<br>200 | 496<br>496<br>496 | 0<br>0<br>0 | 13208<br>11961<br>15665 | 1641<br>1638<br>1632 | 102<br>94<br>125 | 25<br>23<br>30 | 32<br>30<br>32 | 8<br>7<br>8 | 134<br>124<br>157 | 32<br>30<br>38 | 36<br>43<br>37 |
| फरवरी | 01-10<br>11-20<br>21-28 | 4664<br>5093<br>5022 | 1774<br>2076<br>1980 | -<br>-<br>- | 1774<br>2076<br>1980 | 6438<br>7169<br>7002 | 400<br>400<br>400 | 496<br>496<br>496 | 0<br>0<br>0 | 18234<br>19911<br>18298 | 1625<br>1616<br>1609 | 143<br>154<br>140 | 34<br>37<br>34 | 36<br>35<br>36 | 9<br>8<br>9 | 180<br>189<br>176 | 43<br>45<br>42 | 33<br>38<br>43 |
| मार्च | 01-10<br>11-20<br>21-31 | 4699<br>7687<br>6529 | 2152<br>2815<br>3523 | -<br>-<br>- | 2152<br>2815<br>3523 | 6851<br>10502<br>10052 | 200<br>200<br>200 | 496<br>496<br>496 | 0<br>0<br>0 | 13591<br>11143<br>15080 | 1604<br>1604<br>1600 | 102<br>81<br>112 | 24<br>20<br>27 | 34<br>28<br>35 | 8<br>7<br>9 | 136<br>110<br>147 | 33<br>26<br>35 | 41<br>55<br>69 |

दिनांक 1.4.2019 से 31.3.2020 तक की अवधि के लिए पौंग जलाशय के परिचालन हेतु वास्तविक जल विद्युत आंकड़े

| माह | अवधि | पौंग में अंतर्वाह (क्यूसेकú) | पौंग एवं मंडी प्लेन के बीच लाभ अथवा हानि (क्यूसेक) | रावी से ब्यास को शुद्ध प्रत्यावर्तन (क्यूसेक) | पौंग जलाशय से रिलीजेज (क्यूसेक) | अंतिम जलाशय स्तर (फीट) | पौग से उत्पादन एम डब्ल्यू | एलयू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 |
| | 31.03.2019 को आरंभिक जलाशय = 1339.70 फीट | | | | | | | |
| अप्रैल 2019 | 01-10<br>11-20<br>21-30 | 4551<br>4376<br>3926 | -<br>-<br>- | 4369<br>2847<br>4877 | 1101<br>918<br>5867 | 1341<br>1343<br>1342 | 21<br>17<br>108 | 5<br>4<br>26 |
| मई | 01-10<br>11-20<br>21-31 | 3900<br>3067<br>4269 | -500<br>-500<br>-500 | 10045<br>9456<br>10256 | 7915<br>6128<br>10023 | 1340<br>1339<br>1336 | 144<br>112<br>179 | 35<br>27<br>43 |
| जून | 01-10<br>11-20<br>21-30 | 3563<br>3941<br>5184 | -500<br>-500<br>-500 | 10158<br>7936<br>5145 | 8216<br>8007<br>12110 | 1333<br>1332<br>1328 | 146<br>142<br>210 | 35<br>34<br>50 |
| जुलाई | 01-10<br>11-20<br>21-31 | 11324<br>15570<br>27104 | 1125<br>1125<br>1125 | 4029<br>3815<br>4858 | 11816<br>7481<br>9780 | 1328<br>1332<br>1341 | 203<br>130<br>173 | 49<br>31<br>42 |
| अगस्त | 01-10<br>11-20<br>21-31 | 36595<br>67904<br>30095 | 1125<br>1125<br>1125 | 4829<br>4056<br>296 | 7864<br>8080<br>10006 | 1354<br>1377<br>1385 | 147<br>157<br>211 | 35<br>38<br>51 |
| सितम्बर | 01-10<br>11-20<br>21-30 | 22638<br>10522<br>8667 | 1125<br>1125<br>1125 | 2340<br>3173<br>3283 | 11650<br>16164<br>11089 | 1388<br>1387<br>1386 | 249<br>259<br>234 | 60<br>62<br>56 |
| अक्तूबर | 01-10<br>11-20<br>21-31 | 8156<br>4595<br>2893 | 750<br>750<br>750 | 2237<br>2057<br>2714 | 10489<br>9025<br>7297 | 1385<br>1383<br>1382 | 222<br>191<br>154 | 53<br>46<br>37 |
| नवम्बर | 01-10<br>11-20<br>21-30 | 2473<br>2661<br>2720 | 375<br>375<br>375 | 3368<br>3570<br>3226 | 6992<br>9995<br>9565 | 1380<br>1378<br>1375 | 147<br>208<br>198 | 35<br>50<br>47 |
| दिसम्बर | 01-10<br>11-20<br>21-31 | 2536<br>4596<br>2431 | 375<br>375<br>375 | 3340<br>4516<br>4130 | 10065<br>6375<br>8074 | 1372<br>1372<br>1369 | 206<br>130<br>163 | 49<br>31<br>39 |
| जनवरी | 01-10<br>11-20 | 3114<br>4385 | 375<br>375 | 6723<br>5633 | 7287<br>6614 | 1368<br>1367 | 146<br>133 | 35<br>32 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21-31 | 3110 | 375 | 6403 | 5324 | 1366 | 107 | 26 |
| फरवरी | 01-10 | 2894 | 375 | 6868 | 4553 | 1365 | 91 | 22 |
| | 11-20 | 2760 | 375 | 6550 | 7996 | 1363 | 158 | 38 |
| | 21-28 | 3147 | 375 | 7890 | 9482 | 1361 | 186 | 45 |
| मार्च | 01-10 | 3599 | 375 | 0 | 9564 | 1359 | 186 | 45 |
| | 11-20 | 10125 | 375 | 0 | 8866 | 1359 | 172 | 41 |
| | 21-31 | 7178 | 375 | 0 | 7416 | 1359 | 144 | 34 |

## 8.1 वर्ष 2019-20 के दौरान 31.03.2020 तक बीबीएमबी द्वारा जीते गए पुरस्कार:

1. **<u>हिन्दी पुरस्कार</u>**

बीबीएमबी को राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार हिन्दी दिवस के अवसर पर दिनांक 14, सितम्बर, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में श्री अमित शाह, माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया।

2. **<u>व्यवसायिक पुरस्कार</u>**

भारतीय स्वतंत्रता विद्युत उत्पादन संघ ने 7 दिसम्बर, 2019 को गोवा में 8वे विद्युत पुरस्कार समारोह के दौरान भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड को 25 मेगावाट से अधिक क्षमता के सयंत्रों की श्रेणी में श्रेष्ठ हाइड्रो पावर प्लांट का पुरस्कार प्रदान किया।

भाखड़ा विद्युत गृह के उत्कृष्ट अनुरक्षण और परिचालन तथा राष्ट्र के प्रति इसकी सेवा को देखते हुए केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी) ने उच्च स्तरीय ज्यूरी की सिफ़ारिशों के आधार पर भाखड़ा विद्युत गृह को "सर्वोत्तम अनुरक्षित पन- बिजली विद्युत गृह (50 से अधिक वर्षों से क्रियाशील) का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया।

3. **<u>ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार</u>**

बीबीएमबी को वर्ष 2019 के लिए ऊर्जा संरक्षण पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के पंजाब राज्य के स्कूली बच्चों की अधिकतम भागीदारी प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ राज्य नोडल संगठन का पुरस्कार प्रदान किया गया, यह पुरस्कार श्री आर.के. सिंह, माननीय राज्य मंत्री (आई सी विद्युत) तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा राज्य मंत्री (कौशल विकास एवं उद्यमिता) द्वारा 14 दिसम्बर, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रदान किया गया।

4. **<u>खेल पुरस्कार</u>**

25 से 27 सितंबर, 2019 तक बैंगलोर में आयोजित अंतर सीपीएसयू शतरंज प्रतियोगिता में बीबीएमबी की पुरुष शतरंज टीम को प्रथम और महिला शतरंज टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बीबीएमबी की खिलाड़ी स्वाति अग्निहोत्री ने एकल प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

4 से 6 दिसम्बर, 2019 तक नंगल में आयोजित 24वीं अंतर सीपीएसयू वॉलीबॉल टूर्नामेंट में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए बीबीएमबी ने लगातार 23वी बार प्रतियोगिता के विजेता की ट्रॉफी जीती।

14 से 18 दिसम्बर, 2019 तक दिल्ली में आयोजित सीपीएसयू बैडमिंटन प्रतियोगिता में बीबीएमबी ने रजत पदक प्राप्त किया।

18 से 23 जनवरी 2020 तक जयपुर में पावर फ़ाइनेंस कार्पोरेशन द्वारा आयोजित अंतर सीपीएसयू क्रिकेट प्रतियोगिता में बीबीएमबी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

25 से 28 जनवरी, 2020 तक ऋषिकेश में आयोजित अंतर सीपीएसयू टेबल टैनिस प्रतियोगिता में बीबीएमबी ने द्वितीय स्थान किया।

**5. <u>स्कूल पुरस्कार</u>**

बीबीएमबी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सलापड़ ने 07.12.2019 को चैल पब्लिक स्कूल, ज़िला मंडी में आयोजित सीबीएसई की 'हब ऑफ लर्निंग' प्रतियोगिता में 7 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य पदक जीता, इस प्रतियोगिता के लिए बीबीएमबी विद्यालय को ओवरआल चैम्पियन घोषित किया गया।

इसके अलावा बीबीएमबी के इस विद्यालय को "प्रमुख सहयोगी विद्यालय" की भूमिका भी सौंपी गई, जो कि अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित कार्य है।

## 9. 1 पर्यावरण प्रबन्धन

नदी घाटी परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रशासनिक आवश्यकता के रूप में 1979 में आरम्भ किया गया था,परन्तु बाद में प्रभाव आकलन की अधिसूचना द्वारा इसे जनवरी, 1994 से अनिवार्य कर दिया गया। जल-विद्युत शक्ति, मुख्य सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सहित उनके सम्मिश्रण के लिए नई नदी घाटी परियोजनाओं के लिए ग़ज़ट अधिसूचना संख्या एस.ओ. 60(ई) दिनांक 27 जनवरी, 1994 (तदनन्तर संशोधित) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें सुरक्षा तथा न्यूनीकरण दोनों उपाय कवर किए गए हैं। नदी घाटी परियोजनाओं के लिए वर्तमान पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)/पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) में निम्नलिखित कार्रवाई योजनाएं आती हैं:-

- आवाह-क्षेत्र निरूपण योजना (सीएटी)
- वृक्षारोपण योजना
- पेड़-पौधे तथा जीव-जन्तु के सर्वेक्षण और पुनः स्थापन के लिए कार्रवाई योजना
- पुनर्वास तथा पुनः स्थापन योजना (आर एण्ड आर), यदि कोई है;
- नियंत्रण क्षेत्र विकास योजना (सीएडी)

भाखड़ा तथा ब्यास परियोजनाओं के सम्बन्ध में आर एण्ड आर योजनाओं का प्रावधान था किन्तु सीएटी, सीएडी, वनीकरण योजनाओं,आदि जैसी अन्य योजनाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि इन परियोजनाओं का निर्माण 1979 से पहले हुआ था। तथापि बीबीएमबी ने अपने आप निर्माण के बाद की पर्यावरणीय घटकों की स्थिति तथा इनके प्रभाव का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना भी आरम्भ किया है ताकि सभी परियोजनाओं केन्द्रों पर अल्पावधि एवं दीर्घावधि न्यूनीकरण उपाय किए जा सकें।

## 9.2 बीबीएमबी परियोजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

योजना स्तर पर विचार किए गए प्रभावों की तुलना में भाखड़ा एवं ब्यास परियोजनाओं के लाभकारी प्रभाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। भाखड़ा तथा ब्यास परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं होने के कारण इनमें दो बड़े भण्डारण जलाशय हैं, जिनके नाम 'गोबिंदसागर' तथा 'महाराणा प्रताप सागर' हैं। ये जलाशय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान,दिल्ली तथा चण्डीगढ़ को सिंचाई एवं पीने का पानी उपलब्ध कराते हैं। ये जलाशय तथा इनसे जुड़ी नहर प्रणाली उत्तरी क्षेत्र में 'हरित क्रांति' ही नहीं अपितु 'श्वेत तथा औद्योगिक क्रांति' भी लाई है।

बीबीएमबी की परियोजनाओं से रोजगार के अवसरों में वृद्धि, अच्छी ऊर्जा और सिंचाई सुविधाएँ, उन्नत औद्योगीकरण, बाढ़ों की रोकथाम के कारण बाधों के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में परिस्थितिकीय सुधार द्वारा क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक उन्नति हुई है।

इसके अतिरिक्त, ये जलाशय न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, बल्कि मत्सय पालन को भी बढ़ावा देते हैं।

पौंग बांध झील (अर्थात महाराणा प्रताप सागर) को वेटलैंड पर 1971 के रामसर सम्मेलन के अंतर्गत अगस्त 2002 में "अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड" की सूची में शामिल किया गया है। प्रवासी पक्षियों की 220 प्रजातियां एक लाख से अधिक संख्या में प्रत्येक वर्ष महाराणा प्रताप सागर का भ्रमण करती हैं। नंगल झील को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2008 में राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

बीबीएमबी ने माह, अगस्त 2005 को नई दिल्ली में, "**भाखड़ा नंगल परियोजना के प्रभाव**" विषय पर केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड के सहयोग से एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कराया । बीबीएमबी ने इस कार्यशाला के माध्यम से भाखड़ा-नंगल परियोजना के सकारात्मक प्रभावों से संबंधित तथ्यों को राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया।

## 9.3 बीबीएमबी के लिए पर्यावरण प्रबन्ध कार्यक्रम

बीबीएमबी के लिए पर्यावरण प्रबन्ध योजना के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए:-

- 1999 में नीरी, नागपुर से बीबीएमबी की बीएसएल लिंक परियोजना सुन्दरनगर के संतोलक जलाशय की गाद के सही प्रबन्धन के लिए ईआईए अध्ययन करवाया गया। इनकी सिफारिशों के अनुसार पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचने के लिए गाद केवल मॉनसून के दौरान ही निकाली जा रही है ।
- विशेषज्ञ समिति की अन्तिम रिपोर्ट माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की गई है जिसमें यह निष्कर्ष दिया गया है कि बीएसएल परियोजना पर, गाद के प्रबन्ध हेतु केवल मॉनसून के दौरान ड्रेजिंग की जाएगी। माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के निर्णय के पश्चात् मामला 211वीं बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा गया था और बोर्ड की स्वीकृति के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 14.12.2012 के अंतरिम आदेश में हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कोई कठोर कदम न उठाने का निर्देश दिया है। तत्पश्चात् मामले पर 21.01.2013 को सुनवाई हुई। माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में राहत देते हुए निर्देश दिया

है कि दिनांक 14.12.2012 के आदेश के अन्तर्गत जारी अंतरिम राहत आदेश लागू रहेंगे।

- संतोलक जलाशय से अधिकतम गाद को बाहर निकालने हेतु मॉनसून मौसम के दौरान लचीली और विश्वसनीय ड्रेजिंग क्षमता सुनिश्चित करने हेतु 3 नं. ड्रेज़र लगाए गए।
- मॉनसून के दौरान सुकेती खड्ड एवं कांसा खड्ड और ब्यास नदी के विभिन्न स्थलों पर निकलने वाले फ्लो डिस्चार्ज और कुल सस्पेन्डिड सॉलिड के मापन का प्रेक्षण किया जा रहा है । प्रत्येक वर्ष गाद के अध्ययन हेतु, यदि कोई है तो, मॉनसून के पहले और बाद में सुकेती खड्ड के साथ-साथ एल-सैक्शन और क्रॉस-सैक्शन पर भी निगरानी की जा रही हैं।
- बीएसएल परियोजना के लिए पन्डोह बांध के अप-स्ट्रीम से लारज़ी बांध तक ब्यास नदी एवं इसकी सहयोगी उप नदियों हेतु हिमालयन वन शोध संस्थान से कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान (सीएटी) तैयार कराई गई है ।
- भाखड़ा और ब्यास कैचमेंट में बहुत सी नई जल विद्युत परियोजनाएं आ रही हैं और सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा अपनी सीएटी योजनाएं तैयार की जानी हैं।
- अन्य न्यूनीकरण उपाय, जैसे व्यवस्थित ढंग से मत्सय उत्पादन को बढ़ावा, गाद प्रभावित कृषि भूमि पर एक मुश्त खेती प्रबन्ध, गांव की सड़कों की टैरिंग इत्यादि।
- इसके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से निपटान हेतु परियोजना क्षेत्रों के चारो तरफ सॉलिड मैनेजमेंट प्लान तैयार करना।
- बीबीएमबी, अपनी हाइड्रो परियोजनाओं और विद्युत उत्पादन यूनिटों की पर्यावरण प्रबन्ध प्रणाली हेतु आईएसओ 14001:2004 प्रमाणित संगठन है ।
- भाखड़ा और पौंग बांधों के आर एंड आर पहलुओं को पूरा किया जा रहा है ।

## 9.4 पंडोह बांध से 15% न्यूनतम बहाव जारी करना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 16.07.2005 तथा 09.09.2005 की अधिसूचनाओं द्वारा हिमाचल प्रदेश में विद्यमान एवं आने वाली जल विद्युत परियोजनाओं की डाइवर्ज़न संरचनाओं के डाउनस्ट्रीम में 15% तक न्यूनतम बहाव तुरन्त छोड़ने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए हैं। बीबीएमबी का पण्डोह बांध डाइवर्ज़न बांध होने के कारण इस अधिसूचना की परिधि के अन्तर्गत आता है। सितम्बर, 2005 से बीबीएमबी पण्डोह बांध से 15% का न्यूनतम बहाव छोड़ता रहा है। तथापि, बीबीएमबी ने पुरानी परियोजनाएं होने के कारण बीबीएमबी परियोजनाओं पर इसके लागू होने के संबंध में छूट देने का मामला विद्युत मंत्रालय के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) के साथ भी उठाया है।

## 9.5 वृक्षारोपण

बीबीएमबी अपनी खाली पड़ी भूमि पर प्रत्येक वर्ष नियमित वृक्षारोपण कार्यक्रम द्वारा उद्यानों, टीलों, जलाशयों के सीमावर्ती क्षेत्रों, परियोजना कॉलोनियों, कार्यालयों आदि के रख-रखाव और पारिस्थितिक सुधार द्वारा पर्यावरण में सुधार करता रहा है। बीबीएमबी ने वर्ष 2019-20 के दौरान जलाशय की परिधि तथा आसपास के क्षेत्र में 06 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है ।

## 9.6 तलवाड़ा में रॉक गार्डन

तलवाड़ा टाउनशिप में लगभग 20 एकड़ खाली पड़ी जमीन पर बीबीएमबी ने "चण्डीगढ़ रॉक गार्डन" के संस्थापक पद्मश्री नेक चन्द के प्रबन्ध अधीन एक आधुनिक रॉक गार्डन विकसित किया है जो इस प्रकार का पहला उद्यान है। तलवाड़ा में रॉक गार्डन का विकास ब्यास बांध से एकत्रित बेकार और फालतू सामग्री से किया गया है। इसमें बांध निर्माण को चित्रित करते हुए इंजीनियरिंग खण्ड, पर्यावरण खण्ड और बाल उद्यान जैसी अद्वितीय विशेषताएं हैं। इस आधुनिक रॉक गार्डन का उदघाटन पद्मश्री नेक चन्द की उपस्थिति में, अध्यक्ष, बीबीएमबी, चण्डीगढ़ द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2005 को किया गया। इस गौरवशाली गार्डन में प्रतिवर्ष नए विकास कार्य किए जा रहे हैं।

## 9.7 समाज कल्याण गतिविधियाँ

बीबीएमबी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति अत्यधिक जागरूक है। प्रत्येक बीबीएमबी परियोजना स्थल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए समाज कल्याण गतिविधियों पर उदारता से खर्च कर रहा है। वर्ष के दौरान बीबीएमबी अस्पतालों द्वारा परियोजना स्थल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए विशेष बाहरी एवं आंतरिक चिकित्सा सुविधाएं तथा एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई गई। रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, नि:शुल्क चिकित्सा शिविरों के आयोजन द्वारा ग्रामीणों को घर बैठे ही चिकित्सा सहायता एवं दवाएं उपलब्ध करवाई गईं। हालांकि यह भी निर्णय लिया गया कि बीबीएमबी परियोजनाओं के आस-पास विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों/उप-उपायुक्तों के परामर्श से बीबीएमबी द्वारा विभिन्न समाज कल्याण कार्यकलापों के लिए वार्षिक सिंचाई कार्य के बजट के 2% की दर का प्रावधान किया जाए।

## 10.1 मानव संसाधन विकास

### 10.1.1 बीबीएमबी की प्रशिक्षण नीति

क बीबीएमबी ने विद्युत मंत्रालय की "विद्युत क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण नीति-मार्च 2002" की तर्ज पर वर्ष 2003 में अपनी प्रशिक्षण नीति तैयार की और अपने कार्मिकों को व्यापक एवं नियमित प्रशिक्षण देने के लिए इसे वर्ष 2003-04 में इससे आगे कार्यान्वित किया। विद्यमान नीति की समीक्षा करने और द्विवर्षीय प्रशिक्षण योजना तैयार करने के लिए, बीबीएमबी में सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यों का मार्गदर्शन करने हेतु अक्तूबर, 2007 में वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के नेतृत्व में एक स्थाई कोर ग्रुप का गठन किया। विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/सेमिनारों/संगोष्ठी इत्यादि के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के नामांकन हेतु कार्य प्रक्रिया तैयार की गई है, जो दिनांक 9.6.2015 से लागू है और समय-समय पर जरूरत के अनुसार संशोधित की जा रही है।

ख बीबीएमबी की प्रशिक्षण नीति का आदर्श वाक्य था "प्रत्येक कर्मचारी के लिए वर्ष में एक बार सभी के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित करना"। नीति के आधार पर कार्यपालकों के लिए 07 कार्य दिवसों के प्रशिक्षण का लक्ष्य है। वर्ग 3 तथा 4 के लिए 03 मानव दिवस स्तर को पूरा करने का प्रस्ताव है। इन हाउस प्रशिक्षण जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्य परियोजना केन्द्रों पर प्रशिक्षण हेतु तैनात करने का माड्युल भी शामिल है इसे विभागाध्यक्षों से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मांगा जाता है । सम्पूर्ण बीबीएमबी के लिए निर्धारित मानव दिवसों में से उनके कार्यालय की निर्धारित मानव दिवस से संबंधित स्वीकृति संबंधित कार्यालय को भेज दी जाती है । वर्ष 2019-20 हेतु संस्थागत प्रशिक्षण के साथ साथ इन हाऊस कैलेण्डर में विभिन्न प्रकार के जैसे तकनीकी प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास, आई टी एवं कम्प्यूटर स्किल, जीवन शैली प्रबंधन, मानव संसाधन तथा वित्त, प्राथमिक उपचार सहित अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण, विविध मॉडयुल के प्रशिक्षण सम्मिलित किए गए थे।

ग अपनी प्रचलित प्रशिक्षण नीति की समीक्षा करने के बाद, चूंकि सेवानिवृत्तियों द्वारा हुई रिक्तियों को भरने के लिए भागीदार राज्यों से आ रहे नए स्टॉफ को केन्द्रित तथा व्यापक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस की गई। कर्मचारियों के विभिन्न विभागों और विभिन्न कार्य संस्कृति के होने के कारण उन्हें प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत

बीबीएमबी की जरूरतों तथा कार्य संस्कृति के अनुसार प्रशिक्षित करना अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त, स्टॉफ के उनके मूल विभाग से बार-बार स्थानांतरण/विभाग को प्रत्यावर्तन के कारण यह भी अनिवार्य हो जाता है कि नियमित आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि सभी नवागंतुकों को बीबीएमबी की कार्य अपेक्षाओं एवं संस्कृति की जानकारी दी जा सके। अत: यह आवश्यक है कि सभी श्रेणियों के कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए ताकि उनकी तकनीकी/प्रबंधकीय कुशलता में सुधार हो और उन्हें नवीनतम जानकारी एवं अभिनव प्रौद्योगिकियों से लैस किया जा सके। सिंचाई खण्ड एवं विद्युत खण्ड के नव शामिल अभियन्ताओं के लिए परियोजना केन्द्रों पर समय समय पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

घ **बीबीएमबी द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण निम्नानुसार है:-**

i. संस्थागत प्रशिक्षण जिसमें बीबीएमबी के विभिन्न केन्द्रों पर स्थित भिन्न-भिन्न संस्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने हेतु कार्मिकों को नामित किया जाता है अथवा बीबीएमबी कार्मिकों के लिए बाहय् विशेषज्ञों/शिक्षा संकायों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं।

ii. बीबीएमबी के अपने विशेषज्ञों द्वारा इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम

iii. नई भर्त्ती द्वारा अथवा भागीदार राज्यों से बीबीएमबी में कार्य ग्रहण करने वाले कार्मिकों को प्रवेश प्रशिक्षण

विद्युत यूटिलिटीज़/भागीदार राज्यों के डिस्कॉम के वितरण सुधारों पर डीआरयूएम प्रशिक्षण

iv. दूसरे संगठनों के इंजीनियरों जैसे हरियाणा सिंचाई से एचसीएस परिवीक्षार्थी, एनपीटीआई, पीएसपीसीएल इत्यादि को ऑन-जॉब साइट प्रशिक्षण ।

v. भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से आने वाले अंडर ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट पाठयक्रम के छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण ।

vi. बीबीएमबी विद्यालयों के शिक्षण स्टॉफ को सीबीएसई द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यकर्मों में भाग लेने के लिए नामांकित किया जाता है ताकि उन्हे शिक्षा प्रणाली में नई तकनीक के साथ अध्ययन किया जा सके।

vii. परियोजना स्टेशनों पर बीबीएमबी विद्यालयों के छात्रों के लिए समय समय पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संवर्धन हेतु अभिविन्यास कार्यक्रम और कैरियर परामर्श आयोजित किए जाते हैं।

viii. विद्युत और सिंचाई दोनों खंडो के अभियंताओं के लिए विभिन्न ऑनसाइट कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि वे अपने जॉब प्रोफ़ाइल से संबन्धित नवीनतम तकनीकों का ज्ञान प्राप्त कर सकें।

बीबीएमबी में उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों यथा इंजीनियरों, अनुसचिवीय स्टॉफ, अधीक्षक/सहायकों, आदि (गैर-तकनीकी श्रेणी) और कामगार श्रेणी को प्रशिक्षण देने के लिए संचालित किए जा रहे हैं।

कामगार श्रेणी/अनुसचिवीय स्टाफ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए संस्थागत प्रशिक्षण सस्ता नही पड़ता है इसलिए प्रबन्धन ने सभी परियोजना केन्द्रों/कार्य स्थलों पर गहन इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का निर्णय लिया है। सभी परियोजना केन्द्रों/कार्य स्थलों पर तकनीकी प्रबंधन, प्रेरणा, स्वास्थ्य, वित्त आदि जैसे विविध विषयों पर बडे पैमाने पर पारस्परिक कार्यशालाएं/सेमिनार आदि आयोजित किए जा रहे हैं ।

बीबीएमबी ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपना मूलढ़ांचा तैयार किया है। वर्ष 2003 में एसएलडीसी कॉम्प्लैक्स, चण्डीगढ़ में इन हाउस व्याख्यान/कार्यशालाएं/सेमिनारों के आयोजन हेतु व्याख्यान कक्ष स्थापित किया गया है। मार्च, 2005 से नंगल में, प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से "भाखड़ा ब्यास प्रशिक्षण केन्द्र" ने काम करना शुरू कर दिया है जिसमें, अध्ययन के सभी नवीनतम साधन, सिंचाई एवं विद्युत खण्डों के लिए दो भिन्न मॉडल-कक्ष और बीबीएमबी एवं अन्य विद्युत यूटिलिटिज़ के विद्युत क्षेत्र के इंजीनियरों एवं टेक्निशियनों को संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक परिचर्चा कक्ष मौजूद है।

इस केन्द्र पर वर्ष 2005-06 से वितरण सुधार, उन्नयन एवं प्रबन्धन (डीआरयूएम) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है और प्रत्येक माह "डीआरयूएम" पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसमें भागीदार राज्यों/विद्युत यूटिलिटीज़ के इंजीनियर भी भाग लेते हैं। वर्ष 2019-2020 से बीबीएमबी बिना लाभ-हानि स्वपोषित आधार पर लगातार डीआरयूएम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ।

### 10.1.2 वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान प्रशिक्षण की उपलब्धियां

वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में बीबीएमबी में प्रयुक्त मानव-दिवसो के संबंध में उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

प्रशिक्षण मानव दिवस

| वर्ष | निर्धारित मानव दिवस का लक्ष्य | प्रशिक्षण मानव दिवस | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कार्यपालक | | अकार्यपालक | | |
| | | संस्थागत प्रशिक्षण | इन-हाउस प्रशिक्षण | संस्थागत प्रशिक्षण | इन-हाउस प्रशिक्षण | योग |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2018-2019** | **16000** | **2299** | **2136** | **811** | **13113** | **18359** |
| **2019-2020** | **16000** | **1536** | **2095** | **676** | **11809** | **16116** |

## 10.2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

बीबीएमबी, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79(1) में निर्धारित अपने कार्यों का निर्वहन करता है जिसके लिए कार्यों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु भागीदार राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्थानान्तरण आधार पर स्टॉफ की व्यवस्था की जाती है। तथापि भागीदार राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्टॉफ उपलब्ध कराने में असमर्थ होने की स्थिति में बीबीएमबी केवल समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों से सम्बन्धित सीधी भर्ती एवं पदोन्नति करता है।

बीबीएमबी में स्टॉफ पदों के आबंटित हिस्सों के पदों के अनुसार भागीदार राज्यों से लिया जात है । ऐसे कर्मचारी उनके पैतृक विभाग में उनके ऊपर लागू निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार शासित होते है । इस श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए आरक्षण की निगरानी राज्य सरकार के पैतृक विभागों द्वारा अपनी नीतियों/नियमों/विनियमों के अनुसार की जाती है । बीबीएमबी के अपने भर्ती किए गए कर्मचारी बीबीएमबी द्वारा श्रेणी-।।। एवं ।V कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) विनियम, 1994 और बीबीएमबी श्रेणी-। एवं ।। अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) विनियम, 2015 द्वारा शासित होते हैं । बीबीएमबी श्रेणी-।।। एवं ।V कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) विनियम, 1994 और बीबीएमबी श्रेणी-। एवं ।। अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार बीबीएमबी में अप्रैल, 2017 तक में पंजाब सरकार की आरक्षण नीति लागू थी । अब भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार मई, 2017 से बीबीएमबी में केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति का अनुसरण किया जा रहा है । इन विनियमों की संशोधित धारा ।। में निर्दिष्ट है कि सेवा के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों तथा सेवा में मृतक कर्मचारी के आश्रितों को केन्द्र सरकार की नीति के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर यथानिर्धारित सेवा में आरक्षण तथा सभी अन्य रियायतें प्राप्त होगी । बीबीएमबी के विभिन्न प्रशासनों/विभागाध्यक्षों द्वारा रोस्टर रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाता है ।

01.01.2020 को बीबीएमबी के श्रेणी 'ग' और 'घ' के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की मौजूदा संख्या/प्रतिशत्ता निम्नानुसार है:-

| श्रेणी | बीबीएमबी द्वारा स्वयं भर्ती किए गए | अनुसूचित जाति | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|

| | कुल कर्मचारी | | |
|---|---|---|---|
| क | 65 | 17 | 26.15% |
| ख | 444 | 92 | 20.72% |
| ग | 2181 | 658 | 30.16% |
| घ | 2333 | 676 | 28.97% |
| योग | 5023 | 1443 | 28.72% |

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए सामान्य कल्याण के उपाय करने हेतु सभी कार्यालयों को निर्देश दिये गए हैं कि डॉ.बी.आर.अम्बेदकर, महर्षि वाल्मीकि जी और गुरू रवि दास जी के जन्म दिवस के अवसर पर यदि अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा मांग की जाए तो निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं:-

i) 1 रूपया प्रति कि.मी. के टोकन शुल्क पर शोभा यात्रा के लिए बस सुविधाएं।

ii) उपरोक्त अवसरों पर समारोह हेतु नि:शुल्क सभा भवन।

बीबीएमबी के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि संगठन प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी, नित्य विशेष रूप से डॉ.बी.आर.अम्बेदकर जयन्ती, महर्षि वाल्मीकि जी जयन्ती आदि के अवसर पर अपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/स्टाफ से मुलाकात किया करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त, बीबीएमबी ने सभी चयन समितियों में अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता/वरिष्ठ कार्यकारी अभियन्ता के स्तर का एक अनुसूचित जाति का सदस्य नामित करके अनुसूचित जाति के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया है।

## 10.3 प्रबंधन-कर्मचारी संबंध

स्टाफ/यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रबंधन की बैठकों का समय-समय पर आयोजन किया जाता है और यूनियनों द्वारा उठाई गई मांगों और उनकी शिकायतों का मैत्रीपूर्ण भाव से निपटारा किया जाता है।

## 10.4 सतर्कता संगठन का ध्येय : सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड में सतर्कता प्रशासन में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), एनटीपीसी के पास बीबीएमबी के सीवीओ का अतिरिक्त प्रभार है और उनके अधीन 06 सतर्कता अधिकारी (वीओ) अर्थात एक उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, एक उप निदेशक, तीन सहायक निदेशक तथा एक लेखा अधिकारी सतर्कता कार्य देखने के लिए नियुक्त किए गए हैं।

बीबीएमबी में सतर्कता संगठन, सुरक्षात्मक सतर्कता के उपाय के रूप में बीबीएमबी के सभी कर्मचारियों के मन में निम्नलिखित बातें बैठाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है:-

(i) मामलों में किसी की भी ओर से देरी की प्रवृत्ति की जांच और नियन्त्रण करना।

(ii) आदेशों के गुण दोषों का उल्लेख करते हुए फाइलों पर स्व-स्पष्ट आदेश स्पष्ट शब्दों में रिकार्ड करना।

(iii) निहित स्वार्थ के कारण निर्णय प्रभावित होने से बचना ।

(iv) किसी सहयोगी, वरिष्ठ अथवा अधीनस्थ द्वारा दिए गए किसी भी ऐसे सुझाव को हमेशा ग्रहण करना जिसके परिणामस्वरूप राजकोष में बचत हो।

(v) किसी भी कीमत पर सत्यनिष्ठा की सुरक्षा हेतु दृढ़ विश्वास रखना ।

(vi) संवेदनशील स्थानों की पहचान तथा ध्यान केन्द्रित करना, ऐसे संस्थानों की नियमित तथा औचक जॉच/निरीक्षण करना ।

(vii) भ्रष्टाचार के संदिग्ध कार्मिकों की पहचान, पब्लिक डीलिंग, स्थापना तथा परचेज संबंधित कार्य में संल्प्ति, संवेदनशील पदों पर तैनात कार्मिकों की उचित छटनी तथा सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उनकी प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात रोटेशन करना।

(viii) भ्रष्टाचार के पनपने वाले सभी स्थानों पर नज़र रखना।

(ix) स्वयं तुष्टिकरण के कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों का निर्भयता से विरोध करना।

(x) सादा जीवन व्यतीत करना और ईमानदारी के कार्य करने में गर्व अनुभव करना।

(xi) नियमों, प्रक्रियाओं, हिदायतों, नियम-पुस्तिकाओं आदि का सावधानीपूर्वक अनुसरण करना।

(xii) नियमों में कोई अस्पष्टता होने की स्थिति में अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से अतार्किक एवं विवादास्पद निष्कर्ष निकालने से बचना।

(xiii) ईमानदार तथा संदिग्ध अंखडता वाले कार्मिकों की सूची तैयार करना है और यह सुनिश्चित किया जाना कि संदिग्ध अखंडता वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को संवेदनशील पदों पर तैनात नहीं किया जाए।

(xiv) पैतृक राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों से जॉच और निर्णय प्राप्त करने के लिए उन पर अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र पूरी करना।

(xv) जहां कहीं बीबीएमबी स्वयं कार्रवाई करने में सक्षम हो, बिना किसी देरी के अनुशासनात्मक कार्रवाई का क्रियान्वयन करना।

(xvi) बीबीएमबी में प्रणाली सुधार हेतु विभिन्न परामर्श जारी किए गए ।

(xvii) बीबीएमबी की कार्य प्रणाली के जागरूक्ता में सुधार होने के साथ-साथ प्रणाली में सुधार लाने हेतु समय-समय पर परिपत्र जारी करना ।

वर्ष 2019-20 के दौरान (01.04.2019 से 31.03.2020 तक) 22 शिकायतें प्राप्त हुई । 22 नं0 शिकायतों का निपटान किया गया ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, दिनांक 28.10.2019 से 02.11.2019 तक बीबीएमबी कार्यालय चण्डीगढ़ के साथ-साथ परियोजना स्थलों पर भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2019 मनाया गया। सतर्कता जागरूक्ता सप्ताह के दौरान चण्डीगढ़, नंगल, तलवाड़ा, पानीपत एवं भिवानी में "इटैग्रिटी अ वे आफ लॉइफ" विषय पर परस्पर संवाद सत्र भी आयोजित किया गया ।

## 10.5 बीबीएमबी में संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड में अधिकारियों की नियुक्ति मुख्यत: इसके भागीदार राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से स्थानान्तरण आधार पर की जाती है। इनमें से 60% स्टाफ पंजाब राज्य/पंजाब राज्य पावर निगम लिमिटेड से है, जिनकी मातृ-भाषा पंजाबी है और जो अपना समस्त सरकारी काम-काज मुख्यत: पंजाबी अथवा अंग्रेजी में ही करते हैं। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत बीबीएमबी में भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन अत्यन्त कठिन कार्य रहा है। एक समय था जब बोर्ड में केवल 4-5% कार्य ही हिंदी में किया जाता था, हालांकि उच्च अधिकारियों की वचनबद्धता और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के कारण बोर्ड के सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग तीव्र गति से बढ़ा है।

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। बोर्ड द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास किए गए हैं और निर्धारित लक्ष्य की तुलना में बोर्ड द्वारा अर्जित हिन्दी प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

### राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत बोर्ड सचिवालय तथा सम्पूर्ण बोर्ड द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान जारी किए गए कागजातों का विवरण निम्नलिखित है:-

| | धारा 3 (3) के अन्तर्गत जारी कुल कागज़ात | केवल अंग्रेजी में जारी कागज़ात |
|---|---|---|
| बोर्ड सचिवालय | 158 | शून्य |
| सम्पूर्ण बोर्ड | 3184 | शून्य |

## हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर

बोर्ड सचिवालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाते हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर की स्थिति निम्नलिखित है-

| | हिंदी में प्राप्त कुल पत्र | हिंदी में उत्तर | अंग्रेजी में उत्तर |
|---|---|---|---|
| बोर्ड सचिवालय | 14313 | 10375 | शून्य |
| सम्पूर्ण बोर्ड | 485977 | 395433 | शून्य |

नोट : शेष पत्र फाइल किए गए।

## हिंदी में पत्राचार

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए बीबीएमबी के अधिकारियों/कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों के दौरान बोर्ड सचिवालय एवं इसके अधीनस्थ कार्योलयों के द्वारा हिंदी में भेजे गए पत्रों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए है। वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड सचिवालय द्वारा औसतन 99.7% तथा सम्पूर्ण बोर्ड द्वारा 96.5% पत्र हिंदी में भेजे गए हैं, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

| | कुल पत्र | हिंदी में भेजे गए | अंग्रेजी में भेजे गए |
|---|---|---|---|
| बोर्ड सचिवालय | 37368 | 37258 | 110 |
| सम्पूर्ण बोर्ड | 730419 | 705209 | 25210 |

## हिंदी में टिप्पणी

लगभग 92.5 % टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाती हैं।

## हिंदी में श्रुतलेख

अधिकारियों द्वारा 75% श्रुतलेख हिंदी में दिए गए ।

## हिंदी टंककों/आशुलिपिकों की भर्ती

बीबीएमबी में शत प्रतिश्त हिंदी/द्विभाषी टंककों/आशुलिपिकों की ही भर्ती की जाती है।

## पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद

वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड सचिवालय के पुस्तकालय के लिए खरीदी गई हिंदी पुस्तकों पर खर्च की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

| पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय | हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय |
|---|---|
| रू **105450/-** | रू **87605/- (83%)** |

## कम्प्यूटर

बोर्ड में अभी तक 540 कम्प्यूटर और 16 लैपटॉप उपलब्ध है, सभी कम्प्यूटरों/लैपटॉप पर द्विभाषी (हिंदी/अंग्रेजी) सुविधा उपलब्ध है।

## वेबसाइट

बीबीएमबी की वेबसाइट द्विभाषी अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में है। वेबसाइट पर दोनों ही भाषाओं में दी गई जानकारी नियमित रूप से अद्यतन की जाती है।

## राजभाषा कार्यान्वयन समिति

बीबीएमबी के सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है और इस समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड सचिवालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:-

| तिमाही | बैठक की तिथि |
|---|---|
| अप्रैल-जून | 25 जून, 2019 |
| जुलाई-सितम्बर | 03 अक्तूबर, 2019 |
| अक्तूबर-दिसम्बर | 31 दिस्मबर, 2019 |
| जनवरी-मार्च | 29 मई, 2020 (लाकडाउन के कारण) |

## हिंदी कार्यशाला:

वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड सचिवालय में निम्नलिखित हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित किए गए:-

| तिमाही | कार्यशाला की तिथि |
|---|---|
| अप्रैल-जून | 29 मई, 2019 |
| जुलाई-सितम्बर | 30 सितम्बर, 2019 |
| अक्तूबर-दिसम्बर | 31 दिसम्बर, 2019 |
| जनवरी-मार्च | 20 फरवरी, 2020 |

## हिंदी पखवाड़ा

बोर्ड सचिवालय तथा सभी अधीनस्थ कार्योलयों में प्रत्येक वर्ष सितम्बर, माह में हिन्दी पखवाडे का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड सचिवालय में दिनांक 01 सितम्बर, 2019 से 29 सितम्बर, 2019 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

हिंदी पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं:-

1. हिंदी शब्द-ज्ञान प्रतियोगिता,
2. कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण प्रतियोगिता,
3. हिंदी निबंध एवं अनुवाद प्रतियोगिता,
4. हिंदी नोटिंग व ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता,

इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को क्रमश: रु 3,000/-, रु 2,500/-, तथा रु 2,000/- के नकद पुरस्कार दिए गए। प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अपना ज्यादा से ज्यादा सरकारी काम-काज हिंदी में करने वाले 27 कर्मचारियों को भी नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

पखवाड़े के अंत में दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान एक "हास्य कवि सम्मेलन" भी आयोजित किया गया। चण्डीगढ़ स्थित बीबीएमबी कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस आयोजन में बहुत उत्साह के साथ भाग लिया ।

इसके अतिरिक्त बीबीएमबी नें दिनांक 01 अगस्त 2019 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति चण्डीगढ़ के तत्वावधान में एक "देश भक्ति गीत गायन प्रतियोगिता" भी आयोजित की गई और इसमें केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों के कार्मिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

## द्विभाषी/हिंदी प्रकाशन

बोर्ड द्वारा निम्नलिखित सामग्री/पुस्तकें द्विभाषी हिन्दी में प्रकाशित की गई हैं :-

- वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
- बीबीएमबी समाचार (गृह पत्रिका)
- समाचार पत्रों में प्रकाशित समस्त सामग्री
- बीबीएमबी जनता कॉरपोरेट ब्रोशर
- "जीवन धारा" पत्रिका
- बेहतर सतर्कता अनुपालन के लिए क्या करें और क्या न करें ।
- बोर्ड की डायरी ओर कैलेण्डर।
- टेलीफोन डायरेक्टरी।

उक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अब तक निम्नलिखित पुस्तकों का भी प्रकाशन किया गया है:-

- प्रशासनिक शब्दावली
- राजभाषा सहायक पुस्तक
- तकनीकी शब्दावली
- भाखड़ा ब्यास की कहानी
- ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना

## दो शब्द

कर्मचारियों को दिन प्रतिदिन का सरकारी कार्य हिन्दी में करने हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए एक श्वेत पट्ट पर दो शब्द अंग्रेजी के और उनके हिन्दी प्रर्याय रोज़ाना प्रदर्शित किए जाते हैं।

## 11.1 परामर्शी सेवाएं

भारत सरकार ने बीबीएमबी को वर्ष 1999 में जल विद्युत परियोजनाओं तथा सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में इंजीनियरी और सम्बद्ध तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कार्य सौपें हैं।

## 11.2 परामर्शी निदेशालय की गतिविधियां

### (i) एकीकृत प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन

प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बीबीएमबी को 07 केन्द्रों यानि 06 मुख्य अभियताओं तथा बोर्ड सचिवालय में विभाजित किया गया है । पहले से अधिग्रहित क्युएमएस 9001 एवं ईएमएसः 14001 के अतिरिक्त 14 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन के साथ अपने कर्मचारियों सहित अपने पणधारियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता में बीबीएमबी नें सभी के लिए व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएसः 18001) को इसके सात केन्द्रों और एक साथ एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) जिसमें ईएमएस, क्यु एमएम और ओएचएसएमएस शामिल है, को बढ़ाने और लागू करने का प्रयास किया है ।

बीबीएमबी के एकीकृत प्रबंधन प्रणाली कार्यक्रम के अंतर्गत मानक 2015 के अनुसार आई एस ओ प्रमाणन म्यू एम एस (9001.2015), ई एम एस (18001:2007) हासिल करने का प्रयास किया है । बीबीएमबी ने आजतक बोर्ड सचिवालाय और मुख्य अभियंता/प्रणाली परिचालन के लिए यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं । अन्य एम आर / मुख्य अभियंता प्रमाणन चरण II ऑडिट पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और शीघ्र ही इसे प्राप्त कर लेंगे । एकीकृत प्रबंधन नीति सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित हो गई है और इसे जारी किया जा रहा है।

### (ii) ऊर्जा संरक्षण पर पेंटिंग प्रतियोगिता

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय (बीईई) द्वारा शुरू की गई ऊर्जा संरक्षण योजना 2019 पर बीबीएमबी को चित्रकला प्रतियोगिता को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था । चित्रकला प्रतियोगिता में स्कूल स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता शामिल हैं । बीबीएमबी की टीम में पंजाब हरियाणा तथा यूटी चण्डीगढ़ के लिए वर्ग ए में चौथी, पांचवी और छठी) तथा ग्रुप बी में सातवीं, आठवीं एवं नौवी कक्षा के छात्रों के लिए ऊर्जा संरक्षण 2019 के लिए स्पॉट स्टेट स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 14.11.2019 को टैगोर थियेटर, सेक्टर-18, चण्डीगढ़ में किया गया ।

2005 से ऊर्जा संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन के इतिहास में हरियाणा, पंजाब और यूटी चण्डीगढ़ के शिक्षा विभाग की भागीदारी के साथ बीबीएमबी ने 30.92 लाख से अधिक छात्रों को चित्रकला प्रतियोगिता से जोड़ा जोकि सम्पूर्ण भारत में

वर्ष 2019 के स्कूल स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले लगभग 84.27 लाख प्रतियोगियों के 1/3 से भी अधिक है । वर्ष 2019 के लिए हरियाणा राज्य ने 19 लाख से अधिक छात्रों तथा यूटी चण्डीगढ़ नें 51486 छात्रों को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा विभाग के रूप में चुना गया । बीबीएमबी के अब तक के इतिहास में यह उपलब्धि अद्वितीय थी।

दिन रात के अथक प्रयासों से और बीबीएमबी टीम के सक्रिय समर्थन के साथ स्कूल स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर के सभी कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया । बीईई, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बीबीएमबी के नोडल अधिकारी इंजी0 बलवीर सिंह सिंहमार, निदेशक/एचआरडी को उत्कृष्ट नोडल अधिकारी की श्रेणी में स्कूल में उच्चतम प्रतिशत्ता अर्जित करने तथा उर्जा संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता 2019 में पंजाब राज्य के लिए उत्कृष्ट भागीदारी हेतु राष्ट्रीय प्रदर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

## 12. जन शिकायते/आर.टी.आई (अध्याय 31 एवं 32)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 को 12 अक्तूबर, 2005 से प्रदर्शित् कर पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है। यह अधिनियम सरकारी कार्यालयों में प्राक्टय पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। बीबीएमबी ने अक्षरश: अधिनियम को अपनाया तथा लागू किया। अधिनियम के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया। बीबीएमबी ने भिन्न-भिन्न प्रशासनों/स्थानों पर नौ सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओज़) एवं आठ जन सूचना अधिकारियों (पीआईओज़) को नामित किया है। अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार आठ अपीलीय प्राधिकारियों को भी नामित किया गया है। बीबीएमबी की आधिकारिक वेबसाइट (www.bbmb.gov.in) इन अधिकारियों के कार्यालयीन पदनाम, पते और दूरभाष नं. दर्शाती है। सूचना हेतु आवेदन करने संबंधी प्रक्रिया का विस्तृत विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैन्युअल नं.17 के बारे में जानकारी जोकि आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (2) के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है, वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर सूचना का अद्यतन किया जाता है। अपील अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की मांग तथा अन्य संबंधित विवरण नीचे दिए गए अनुबन्ध-1 में दर्शाए गए हैं:

| वर्ष 2019-20 के लिए आर.टी.आई अधिनियम से सम्बन्धित विवरण ( 31.03.2020 तक) | | | | | | | | | | | | | | | अनुबन्ध-I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.स. | प्राप्त आवेदनों की संख्या | निर्णीत की संख्या | निर्णय, जहां सूचना के आवेदनों को अस्वीकार किया<br>कितनी बार विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया | | | | | | | | | | | | इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशासन के सम्बन्ध में ऐसे कितने मामले हैं जहॉ अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की गई | कितनी प्रभार राशि एकत्रित की (`) |
| | | | धारा 8 (1) | | | | | | | | अन्य धाराएं | | | | | |
| | | | क | ख | ग | घ | ड | च | छ | ज | झ | ञ | 9 | 11 | 24 | अन्य | | |
| 1- | 82 | 82 | शून्य | | | | | | | | | | शून्य | | | | शून्य | 1770/- |